बुधवार,
११ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार ११ मार्च १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नैतिक पुनरुद्धार संघ

*६५६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नैतिक पुनरुद्धार संघ के एक दल ने हाल में देश भर का भ्रमण किया है ?

(ख) भारत सरकार द्वारा यदि उक्त दल को कोई सुविधाएं दी गई थीं तो वे क्या थीं ?

वैदेशिककार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ सदस्यों को जयपुर हाउस में कुछ कमरे रहने के लिए दिए गये थे । जयपुर हाऊस उस समय खाली पड़ा था।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को विदित है कि १९३० से १९४० में तथा बाद के कुछ वर्षों में नैतिक पुनरुद्धार संघ, जो उस समय 'आक्सफोर्ड गुट' के नाम से सुप्रसिद्ध था, हिटलर, फ्रांको तथा अन्य तानाशाही व्यक्तियों तथा आन्दोलनों के समर्थन के लिए बहुत बदनाम था ?

श्री अनिल के० चन्दा : कभी कभी बहुत पहले की बातों में जाने से काफ़ी परेशानी का सामना होता है । कभी समय था कि हिटलर के गुट के व्यक्तियों तथा लोकतन्त्रवादी रूस के प्रवक्त एक दूसरे का कल्याण चाहते थे तथा बड़े उत्साह से मित्रता के सदैव बनाए रखने और सहयोग की कामना करते थे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं समझ लूं कि डा० बुकमैन नाम के एक व्यक्ति ने भाषण दिया था जो बहुत बदनाम हो गया था जिस में उन्होंने हिटलर के लए भगवान का धन्यवाद' शब्द प्रयुक्त किए थे .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस मामले में हम तर्क कर रहे हैं । माननीय सदस्य केवल सूचना प्राप्त कर सकते हैं । सूचना के अनुसार उन्हें कुछ कमरे दिए गये थे । इस मामले के उठाने के और ढंग भी हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का नैतिक पुनरुद्धार संघ के दल की इस देश की यात्रा से तनिक सम्बन्ध नहीं है । यह एक बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है । कुछ व्यक्तियों का इस से कुछ सम्बन्ध था, परन्तु सरकार का सरकार होने के नाते कोई सम्बन्ध नहीं है । कुछ लोग अपनी इच्छा से या दूसरों के बुलाने से यहां आए, परन्तु उस का सरकारी स्तर पर कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान एक प्रस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि हालेण्ड सार्जेंट ने, जो अमेरिका के सूचना तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के सहायक राज्य सचिव हैं, एक भेंट में यह कहा है कि नैतिक पुनरुद्धार संघ ने अमेरिका की स्थिति को दृढ़ करन की दिशा में, विशेषत: एशिया के देशों में--काफ़ी कार्य किया है तथा विचार-धारा के क्षेत्र में इस आन्दोलन का वही महत्व है जो आर्थिक क्षेत्र में मार्शल योजना का है। म न यह उदाहरण 'दिल्ली टाइम्ज़' दिनांक २८ फर्वरी से दिया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान्। मेरा ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया है। यदि ध्यान दिलाया भी जाय तो मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य इस बारे में मुझ से किस कार्यवाही की आशा करते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। म उपस्थित सदस्यों की सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि कुछ प्रश्नों तथा उत्तरों की सीमा कहां तक है। सूचना यह मांगी गयी थी कि क्या जयपुर हाऊस में कोई व्यक्ति रहते हैं या नहीं। एक और प्रश्न के सम्बन्ध में कि यह प्रश्न किस सीमा तक एक राजनैतिक या अन्य प्रकार का प्रश्न है तथा सरकार को इस में कहां तक रुचि है, उत्तर यह मिला है कि सरकार को इस में कोई रुचि नहीं है तथा इस आन्दोलन को सरकार से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई है। नैतिक पुनरुद्धार आन्दोलन वास्तव में क्या है, क्या यह एक अच्छा आन्दोलन है या बुरा, इस विषय पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। यदि सचमुच इसे चर्चा-योग्य विषय समझ लिया जाय, तो इस के लिए और तरीक़े भी हैं तथा ज़रूरी नहीं कि प्रश्न और उत्तर के रूप में ही इसे पूछा जाय। इस अवस्था में यह जानना अध्यक्ष महोदय का काम होगा कि क्या यह एक उचित विषय है या नहीं। ऐसा करने में वे संगत विचारनीय बातों को सामने रखेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, एक प्रश्न और भी है, क्या यह सत्य है कि नैतिक पुनरुद्धार आन्दोलन को कुछेक संसद्-सदस्यों को असुविधा होने पर भी कान्स्टीट्यूशन हाऊस में रहने को स्थान दिया गया था तथा यदि ऐसा है तो, क्या इन महानुभावों से निवासस्थान के लिए सामान्य शुल्क वसूल किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है; स्पष्ट है कि यदि उन्हें रहने के लिये स्थान दिया गया था तो किसी न किसी ने उस के लिए किराया आदि दिया होगा।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को विदित है कि कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों तथा न्यायाधीशों ने भी स्वागत में भाग लिया था तथा कि कलकत्ता में सरकारी बसों, संस्थाओं की इमारतों तथा अन्य सुविधायें दी गई थीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कलकत्ता से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार को भारत के न्यायाधीशों पर कोई नियन्त्रण प्राप्त नहीं है।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का नैतिक पुनरुद्धार हो चुका है ?

श्री जयपाल सिंह : नैतिक पुनरुद्धार दल एक काफ़ी बड़ा दल था। मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने प्रत्यक्ष या उपरोक्ष रूप से उक्त आन्दोलन के लिये चन्दा जमा करने में भाग लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस का तो मुझे पता नहीं है। परन्तु इतना मुझे अवश्य पता है कि मंत्रिमण्डल के एक या सम्भवत: दो

मंत्रियों का इस आन्दोलन से सम्बन्ध है तथा उन्हें इस में रुचि है। परन्तु चन्दा जमा करने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : आपने इस के वास्ते कोई खर्च किया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : गवर्नमेंट ने ? जी नहीं ।

दक्षिण भारतीय चल-चित्र व्यापार-मण्डल के निदेश

*६५७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण भारतीय चल-चित्र व्यापार मण्डल की कार्य-कारिणी समिति तथा चित्र-निर्माता सदस्यों ने एक निदेश जारी किया है कि आल इण्डिया रेडियो में नौकरी को स्वीकार कर लेने वाले किसी गायक को चल-चित्रों में कोई काम न दिया जाय; तथा

(ख) क्या यह भी सत्य है कि चल-चित्रों से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को रेडियो कार्यक्रम में भाग न लेने का निदेश दिया गया है तथा कि आल इन्डिया रेडियो के सरकारी पत्रों में किसी चल-चित्र के विज्ञापन के न देने का फैसला किया गया है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). सरकार को इस मामले में सरकारी स्तर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं है परन्तु 'प्रेस' में प्रकाशित रिपोर्टों से उन्हें पता चला है कि दक्षिण-भारतीय चल-चित्र व्यापार-मण्डल की कार्यकारिणी समिति ने इस प्रकार का एक संकल्प पारित किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि चल-चित्र व्यापार मण्डल के इस प्रकार के संकल्प के पारित करने का क्या कारण है ?

डा० केसकर : मैं ने बतलाया कि हमें केवल प्रेस की रिपोर्टों से ऐसा पता चला है। हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि उन्हों ने ऐसा संकल्प पास किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि प्रादेशिक पर्षदों ने नई फिल्मों के सैंसर करने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं ?

डा० केसकर : श्रीमान्, क्या इस बात का मूल प्रश्न से सम्बन्ध है ? यदि उचित रीति से प्रश्न किया जाय तो मैं उत्तर देने के लिए तैय्यार हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या आल इन्डिया रेडियो में फिल्मी गानों पर प्रतिबन्ध लगाने से इस का कोई सम्बन्ध है ?

डा० केसकर : स्पष्ट है कि बात ऐसी ही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या श्रोताओं की प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

डा० केसकर : निश्चय ही ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ रेडियो स्टेशनों से प्रार्थनाएं की गई हैं कि कुछ श्रोता सिनेमा के गानों को सुनना चाहते हैं ?

डा० केसकर : सरकार से विवादमय प्रार्थनाएं की जाती हैं। एक प्रकार की प्रार्थना तो माननीय सदस्य ने अभी बतलाई तथा इस के विरोध में यह प्रार्थना की जाती है कि हम इसे कम कर देना चाहिये। सरकार को बीच का मार्ग अपनाना पड़ता है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या आल इण्डिया रेडियो में उन के कार्यक्रम में भाग लेने वाले फिल्म कार्यकर्ताओं का कोई अभिलेख्य रखा जाता है ?

डा० केसकर : हम ऐसा कोई अभिलेख्य बना कर नहीं रखते हैं क्योंकि यह हमारे लिये आवश्यक नहीं है । रेडियो में सारा समय करने वाले कर्मचारी फिल्मों में भाग नहीं ले सकते हैं, परन्तु समय समय पर काम करने वाले कलाकारों को फिल्मों में भाग लेने की स्वतन्त्रता है ।

डा० रामसुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि उस मण्डल के सदस्यों ने, जिन्हों ने आल इण्डिया रेडियो के साथ बधताएं कर रखी थीं उस संकल्प के पास होने के बाद उक्त वद्धाओं को समाप्त कर दिया है ?

डा० केसकर : किन्हीं निश्चित कलाकारों के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता पड़ेगी । मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि हमें इस प्रकार की बात के कार्यान्वित करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हो रही हैं । हम ने केवल पत्रों में पढ़ा है कि ऐसा एक संकल्प पारित किया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या फिल्मी कलाकारों पर किसी आल इण्डिया रेडियो स्टेशन से गानों के प्रसारित करने पर कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है?

डा० केसकर : आल इण्डिया रेडियो ने फिल्मी कलाकारों पर प्रसारण के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है ।

पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

*६५८. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तदा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन मिलों के प्रतिनिधियों से पटसन मिलों तथा मशीनों कें आधुनिकीकरण के बारे में कोई सम्मेलन या परामर्श किया है;

(ख) यदि ऐसा है तो (१) क्या फैसला किया गया है;

(२) अनुमित लागत कितनी है; तथा

(३) क्या कोई निश्चित योजना अन्तिम रूप से बनाई गई है; तथा

(ग) क्या सरकार के पास पटसन मिलों की मशीनों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक । माननीय सदस्य का ध्यान ११ जुलाई तथा २ दिसम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या १६७६ तथा ८२४ के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिए गए क्रमशः उत्तरों की ओर दिलाया जाता है । उस समय से कोई विशेष बात नहीं हुई है ।

श्री ए० सी० गुहा : उस दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर उद्योग द्वारा तथा योजना आयोग द्वारा सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । क्या तब से इस मामले में कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा कि मैं ने कहा है, हम उस दिन से कोई प्रगति नहीं कर सके हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या तब से पटसन उद्योग के साथ आधुनिकीकरण के बारे में कोई विचार विमर्श हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, विचार विमर्श तो होता रहता है । वास्तव में बात तो यह है कि हाल में भारतीय पटसन मिल संघ की वार्षिक बैठक में सभापति ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं । इस सम्बन्ध में किसी सम्भव बात के बारे में कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या इस बारे में कुल अपेक्षित लागत कोई निश्चित आंक तैय्यार किए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो कुछ मैं ने पिछले अवसर पर बतलाया था, उस से अधिक मैं कुछ नहीं बतला सकता ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि पटसन मशीनों के यूरोपियन निर्माता पूर्वी पाकिस्तान की पटसन मशीनों में बहुत अधिक धन लगा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्, मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि पटसन आयोग के भूतपूर्व सभापति की मितव्ययता के 'जोश' के कारण पटसन समितियों के संचालकों तथा विभिन्न प्रयोगशालाओं के संचालकों के वेतन कम कर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक सहायकों के वेतनों के बराबर कर दिए गए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, ऐसा होना सम्भव है परन्तु इन सब बातों का मशीनों के आधुनिकीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को विदित है कि बहुत सी मिलें मिलों के आधुनिकीकरण के बहाने हज़ारों की संख्या में मिलों की छंटनी कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे खेद है कि यह एक तथ्य नहीं है ।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सत्य है कि पिछले तीन या चार महीनों में पश्चिमी बंगाल के ११,००० पटसन कार्यकर्ताओं को इस आधुनिकीकरण के परदे में नौकरी से हटा दिया गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्. स्थिति यह है कि प्रत्येक मास नौकरी पर रखे गय व्यक्तियों की संख्या विभिन्न होती है । पहले महीनों की परस्पर तुलना करते हुए, यदि मुझे ठीक स्मरण है तो दिसम्बर के महीने में सेवायुक्त किए गए कर्मगारों की संख्या २,६१,००० थी जिसका अर्थ यह है कि पूर्व वर्ष के उसी काल को संख्या की तुलना में १०,००० से ११,००० की कम संख्या थी । मैं आंकड़ों के ठीक होने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता । परन्तु इस का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि बड़े पैमाने पर छंटनी कर दी गई है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री स.ा नहीं समझते कि . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब अपने अपन मत की बात है । आप सूचना के प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री मेघनाद साहा : श्रीमान्, यह प्रश्न कुछ न कुछ संगत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मतों, सुझावों तथा अर्थों के निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती । प्रश्न किसी तथ्य को जानने के लिए किए जा सकते हैं । माननीय सदस्य मत के व्यक्त करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री ने अखिल भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की विभिन्न प्रयोगशालाओं के अनुसन्धान कार्यों की जांच पड़ताल की है तथा क्या उन्हें पता है कि इस मितव्ययता आन्दोलन के कारण उन के वेतन कम कर दिए गए हैं तथा उन में से अधिक संख्या में काम नहीं कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस प्रश्न का मशीनों के आधुनिकीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि मूल प्रश्न का आधार है ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या पूर्वी बंगाल तथा एशिया के अन्य भागों में आधुनिक प्रकार की पटसन

मिलों की स्थापना को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने इस मामले पर विचार किया है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, सरकार जानती है कि यदि हमें प्रतियोग्यता मूल्यों को बनाए रखना है तथा इस मामले में कोई मतभेद नहीं है, तो आधुनिकीकरण करना ही होगा। प्रश्न यह है कि कार्यकर्ताओं को बहुत संख्या में विस्थापित न करते हुए इसे कैसे किया जाय तथा दूसरी बात यह है कि इस के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था कैसे की जाय? श्रीमान्, ये प्रश्न सरकार के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। हम ने अभी किसी अन्तिम नीति को तय नहीं किया है।

हिन्दुस्तान पोत-हाता

*६५९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम हाते को सिन्ध्या से सरकार द्वारा स्वयं सम्भाले जाने के समय से ले कर पोत-निर्माण कार्य में कोई सुधार किया गया है अथवा किए जाने की सम्भावना है?

(ख) अभी तक उस हाते में कितने जहाज़ बनाए जा चुके हैं?

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम है?

(घ) इस परिवर्तन के बाद कितने कर्मचारियों को सेवा में रखा गया है तथा उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें एक या दूसरे कारण सेवा से निकलना पड़ा है?

(ङ) क्या उक्त हाते में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन तथा मज़दूरी में कोई परिवर्तन हुआ है या होने वाला है?

(च) क्या उन्हें सारे वर्ष में काम पर लगाया जा सकेगा?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : हिन्दुस्तान शिप-यार्ड लिमिटेड न, जिस में सरकार के दो तिहाई शेयर हैं, विशाखापटनम पोत-हाते के कार्य को प्रथम मार्च, १९५२ से अपने हाथ में ले लिया है। तब से तीसरी 'बर्थ' को पूरा किया जा चुका है तथा ३५ टन भारी 'क्रेन' को पूर्णतः स्थापित किया जा चुका है। एक फ्रांसीसी पोत-निर्माता सार्थ के साथ टेक्नीकल सहायता के प्रबन्ध हो चुके हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाते के अग्रेतर विकास के सम्बन्ध में इस सार्थ द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा की जाती है।

(ख) हाते में अभी तक ११ जहाज़ बनाए जा चुके हैं। ११ तो ८००० टन प्रत्येक के जहाज़ हैं तथा एक छोटा मुसाफिरों को ले जाने वाला ३०० टन का छोटा जहाज़ है।

(ग) ८,००० टन प्रत्येक वाले २ जहाज़ इस समय बन रहे हैं तथा हाते में ७,००० टन प्रत्येक वाले पांच जहाज़ों और ८,००० टन प्रत्येक वाले दो जहाज़ों के क्रय-आदेश दे रखे हैं। इन के अगले तो वर्षों में पूरा हो जाने की आशा की जाती है। ये सात जहाज़ नए नमूने के होंगे तथा इन में 'डीज़ल' इंजन लगे होंगे।

(घ) कार्य-भार के सम्हालने के दिन अर्थात् प्रथम मार्च, १९५२ के दिन कर्मचारियों की संख्या ३७३५ थी। प्रथम फर्वरी, १९५३ के दिन यह कम हो कर ३६९७ रह गई थी। यह कमी मृत्यु, त्यागपत्र तथा सेवा से निकाले जाने के कारण हुई थी।

(ङ) जब से सरकार ने इस हाते को अपने हाथों में लिया है, महंगाई भत्ते का एक तिहाई भाग, जिसे इस से पहले मज़दूरो और कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ रखा था, फिर से दिया जाने लगा है।

(च) इस समय हाते में कर्मचारियों की यद्यपि उन्हें पूरी मज़दूरी मिल रही है, आधी संख्या बिना किसी काम के है। उन के बिना काम के होने का कुछ अस्थायी कारण यह है कि भारत में इस्पात की प्लेटों की कमी है। यदि

हाते की कार्य-समर्थता को वर्ष में २½ जहाज़ों से बढ़ा कर चार जहाज़ भी कर दिया जाय तो भी ८०० से ९०० व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि इस रिपोर्ट में कहां तक सत्य है कि इस हाते में पोत-निर्माण का कार्य इस परिवर्तन के बाद ढीला पड़ गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, अभी मैंने जो एक उत्तर दिया है, उस में इस बात का उत्तर आ जाता है। इस्पात की कमी के कारण काम कुछ सीमा तक पहले ही ढीला पड़ चुका है। इस के अतिरिक्त पोत-हाते में काम किसी प्रकार से ढीला नहीं पड़ा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हाते के कर्मचारियों के पास सारा वर्ष काम रहता है अथवा यदि नहीं, तो वर्ष में कितने समय के लिए उन्हें बेकार रहना पड़ता है तथा उसका क्या कारण है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस का निश्चित रूप से एक वाक्य में उत्तर नहीं दिया जा सकता। पोत-हाते में काम करने वाले मज़दूरों आदि को एक 'बंटित श्रम' की श्रेणी में रखा गया है तथा कुछ मज़दूरों को 'आबंटित श्रम' में रखा गया है। यह बात समय समय पर पोत-हाते में उपलब्ध काम की मात्रा पर निर्भर करती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि फ्रांसीसी सार्थ द्वारा दिए गए सुझाव पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : क्या प्रस्थापनाओं की कुल लागत ? इस प्रकार का कोई आंकड़ा तैय्यार नहीं किया गया। फ्रांसीसी सार्थ ने अपनी प्रस्थापना अभी हाल ही में कम्पनी को भेजी है तथा सरकार को अभी यह प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक मुझे पता है, इस की लागत का अनुमान अभी नहीं किया गया है। परन्तु माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बतला दूं कि पंच वर्षीय योजना में इस हाते के विकास के निमित्त १४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं, समझ लूं कि सिन्ध्या स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के प्रबन्ध के समय तो काफ़ी इस्पात था परन्तु अब इस्पात उपलब्ध नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं यह तो नहीं बतला सकता कि सिन्ध्या के प्रबन्ध के समय इस्पात की कितनी मात्रा उपलब्ध थी तथा इस समय कितनी मात्रा उपलब्ध है, परन्तु यह एक तथ्य है कि पिछले वर्ष में टाटा लोहे तथा इस्पात कम्पनी की रोलिंग-मिल में मन्दगति हो गई है तथा इस्पात की प्लेटें कम मिलती हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, माननीय मंत्री के उत्तर से उत्पन्न होने के फलस्वरूप, पोत-हाते द्वारा पूर्ण काम करने की दशा में भी ८०० कर्मचारी बेकार हो जायेंगे, मैं जान सकता हूं कि इन ३००० या इस से कुछ अधिक कर्मचारियों को पूरे समय का काम देने के सम्बन्ध में सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उस हाते की इस्पात की प्लेटों सम्बन्धी मासिक आवश्यकताएं कितनी हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को तत्काल यह मात्रा नहीं बतला सकता।

श्री राघवाचारी : मैं जान सकता हूं कि सेवा में रखे गए कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन कितना बनता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मेरे पास ठीक ठीक आंकड़ां नहीं है ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस्पात की कमी है । क्या मैं जान सकता हूं कि अपेक्षित मात्रा को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी में अपना एक विशेष सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करके भेजा है जो कम्पनी के हाते में इस्पात को तुरन्त भिजवाने के लिए कार्यवाही करेगा । हम ने बाहर से इस्पात के आयात करने की कार्यवाही भी की है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं पूछ सकता हूं कि कर्मचारियों को किस आधार पर वंटित तथा अवंटित श्रेणियों में बांटा गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, समय समय पर काम की मात्रा का वहां पर मौजूद फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से अनुमान लगाया जाता है तथा उसके आधार पर वंटित या अवंटित श्रेणियां बनाई जाती हैं ।

पावर अल्कोहल

***६६०. श्री बी० के० दास** : **क्या उद्योग तथा वाणिज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के क्षेप्य पदार्थों से पावर अल्कोहल बनाने पर क्या लागत आती है; तथा

(ख) क्षेप्य तथा अन्य वस्तुओं से तय्यार की गई पावर अल्कोहल के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री बी० के० दास : क्या पिछले नवम्बर में लखनऊ म हुए सम्मेलन (सेमीनार) में इस विषय पर कोई चर्चा हुई थी तथा क्या भारत सरकार का वहां प्रतिनिधित्व किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्, कुछ चर्चा तो हुई थी ।

श्री बी० के० दास : क्या इस प्रकार का कोई फैसला किया गया था कि इ० सी० ए० एफ० इ० द्वारा इस योजना को प्रारम्भ किया जायेगा तथा उन की सहायता से भारत में मशीनें लगाई जायेंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इ० सी० ए० एफ. इ. द्वारा किसी योजना को प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या यह सत्य है कि तेल व्यवसायों को अल्कोहल का प्रयोग पसन्द नहीं है तथा कि वे मिश्रण प्रक्रिया के विरोध में हैं तथा कि 'पावर-अल्कोहल' के विषय पर हाल में पारित किए गए अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उत्पादित अल्कोहल की खपत के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का सम्बन्ध खेती के क्षेप्य पदार्थों से है । यदि माननीय सदस्य एक पृथक् प्रश्न पूछें तो मैं इस का उत्तर दे सकूंगा ।

श्री सी० डी० पांडे : श्रीमान्, क्या चीनी बनाने के बाद बचे 'शीरे' को कृषि उत्पादन नहीं समझा जा सकता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह कोई कृषि क्षेप्य पदार्थ नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, चीनी बनाने के बाद बचे 'शीरे' से, जो चीनी के कारखानों में बेकार जाता है, पावर अल्कोहल के बनान की कोई योजना विद्यमान है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है; योजनाएं पहले से चल रही हैं तथा ऐसे शीरे से पावर अल्कोहल पहले से बनाई जा रही है ।

श्री सी० डी० पांडे : श्रीमान्, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मेरे प्रश्न का उचित ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कसौटी क्या है ?

श्री सी० डी० पांडे : श्रीमान्, यह प्रश्न के उत्तर से कतराने के सिवाय कुछ नहीं है ।

आल इण्डिया रेडियो की विकास योजना

*६६१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय आल इण्डिया रेडियो की विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं की क्या स्थिति है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण जिस में आवश्यक सूचना दी गई है, सदन-पटल पर रखा गया है ।

———

विवरण

बम्बई में एक नए 'सीसीविंग' केन्द्र तथा त्रिवेन्द्रम में एक नए 'स्टूडियो' के बनाने का काम पूरा हो चुका है । नागपुर का १२ किलोवाट का ट्रान्समिटर १२ मार्च, १९५३ से काम करना आरम्भ कर देगा । 'एयर-कन्डीशनिंग' (वातावस्थापन) जैसी स्टुडियो की अधिक सुविधाओं की व्यवस्था अलाहाबाद, जालन्धर, अहमदाबाद तथा दिल्ली में की गई है ।

(२) गौहाटी में ट्रान्समिटर के बनाने के कार्य में प्रगति हो रही है । मद्रास में अस्थायी स्टूडियो की इमारत के बनाने का कार्य आरम्भ हो चुका है । बम्बई में अधिक शक्ति के ट्रान्समिटर की इमारत के बनाने का काम भी आरम्भ हो चुका है ।

(३) अहमदाबाद, अलाहाबाद तथा जालन्धर में अधिक शक्ति के ट्रांसमिटरों के लिए स्थानों को चुन लिया गया है । नई दिल्ली के प्रसारण केन्द्र में अतिरिक्त अस्थायी स्टूडियो के लगाने के लिए इमारती परिवर्तन किए जा रहे हैं ।

———

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो बयान मेज़ पर रखा गया है, उस में जो पुनर्निर्माण के कार्य वर्णित हैं, क्या उस के अलावा आल इण्डिया रेडियो के अन्तर्गत कोई ऐसी योजना और काम हैं जिन को कि सरकार ने अभी हाथ में तो नहीं लिया है, लेकिन क्या यह सम्भव है कि जिन को हाथमें ले लिया जायगा और लिया जायगा तो कब तक ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कई प्रश्न एक साथ इतनी तेजी से पूछ डाले हैं ।

श्री एम० एल द्विवेदी : यदि विवरण में किन्हीं विकास योजनाओं का वर्णन नहीं किया गया है तो वे कौन कौन से स्टेशन हैं अथवा किन के आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

डा० केसकर : पिछले सत्र में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, सदन पटल पर एक विवरण रखा गया था जिस में अगले तीन वर्ष के सम्बन्ध में पूरी विकास योजना बतलाई गई थी । यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं उन्हें उस समय सदन पटल पर रखे गए विवरण की एक प्रति दे सकता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना में विजयवाडा स्टेशन को छोटी श्रेणी में लाने की परियोजना भी शामिल है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्देश परियोजनाओं से है तथा स्टेशनों से नहीं ।

श्री एम० एस० गूरूपादस्वामी : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि आल इण्डिया

रेडियो का बंगलौर स्टेशन कब तक पूरा हो जायेगा ?

डा० केसकर : यह कोई पहली प्राथमिकता सूची नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हम यथासम्भव इस इमारत को शीघ्र बनवाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि मद्रास स्टेशन की इमारत के बनाने का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

डा० केसकर : श्रीमान्, वहां पर एक रेडियो स्टेशन मौजूद है। यह परियोजना वहां के ट्रांसमिटरों की शक्ति के बढ़ाने से सम्बन्ध रखती है। इसे तुरन्त आरम्भ किया जा रहा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि भाग 'ग' और 'ब' राज्यों में भी कोई नये स्टेशन बनाये जाने की योजना है ?

डा० केसकर : श्रीमान्, बतलाई गई जगहों को मैं समझ नहीं सका।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने यह जानना चाहा था कि क्या किसी भाग (ख) या भाग (ग) राज्य में पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी नए स्टेशन की स्था की सम्भावना है।

डा० केसकर : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ कर प्रश्न करेंगे।

श्री आल्तेकर : मैं जान सकता हूं कि पूना पर प्रसारण स्टेशन के बनाने का काम कब आरम्भ होगा ?

डा० केसकर : मैं आशा करता हूं कि अगले चार या पांच महीनों में हम इसे पूर्णतः बना सकेंगे।

कच्चा पटसन

*६६२. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५२-५३ में कच्चे पटसन के आयात पर कोई नियन्त्रण लगा हुआ है; तथा

(ख) इस वर्ष में हमारी कच्चे पटसन सम्बन्धी अन्तर्देशीय आवश्यकताओं तथा पिछले वर्ष की शेष मात्रा के साथ पिछले वर्ष के उत्पादन की मात्रा में कितना अन्तर था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जुलाई ५२—जून ५३ तक के काल में हमारी कुल खपत लगभग ६० लाख गांठें थीं। प्रथम जुलाई १९५२ के दिन शेष मात्रा ९.४८ गांठें थीं। गांठ का भार इन बातों पर निर्भर करता है—

(१) क्या अन्तर्देशीय उत्पादन ४६.९५ लाख गांठों के सरकारी अनुमान से कम है तथा यदि ऐसा है तो किस सीमा तक; तथा

(२) १९५३-५४ के आरम्भ के स्टाक में कितनी वृद्धि की जा सकती है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि चालू वर्ष में पाकिस्तान से वास्तव में कितनी मात्रा का आयात किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जुलाई १९५१ से जनवरी १९५२ तक १३.४ लाख गांठें तथा फ़रवरी १९५२ से जून १९५२ तक ४.९४ लाख गांठें।

श्री ए० सी० गुहा : आयात के लिए वास्तव में कितनी मांग की गई थी तथा नियन्त्रण किस सीमा तक किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियन्त्रण लाइसेंस देकर किया जाता है।

श्री ए० सी० गुहा : वास्तव में कितनी मात्रा की मांग की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मुझे खेद है कि मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री को यह सूचना मिली है कि कभी कभी घटिया प्रकार के पटसन को, जिसे बढ़िया प्रकार के पटसन के रूप में चिह्नित किया जाता है, भारत को दे दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हो सकता है कि घटिया प्रकार के पटसन का आयात किया गया हो। मुझे विदित नहीं है कि क्या घटिया प्रकार के पटसन को बढ़िया प्रकार का पटसन बता कर बेचा जाता है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या आयात-कर्ताओं तथा उद्योगपतियों की अधिकांश संख्या को पाकिस्तानी पटसन की खरीद में रुचि है क्योंकि वे पाकिस्तान सरकार की ओर से पाकिस्तानी पटसन का समाहार करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त करना चाहता हूं।

बैयक्तिक सामान के रूप में मोटरकारों का आयात

*६६३. **डा० राम सूभग सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या सरकार १९५२ में मोटरकारों के वैयक्तिक सामान के रूप में आयात करने पर लगाए गए निर्बन्धनों में किसी परिवर्तन के करने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे परिवर्तन कब लागू हो सकेंगे ?

(ग) क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग)। माननीय सदस्य का ध्यान १० दिसम्बर, १९५२ के दिन प्रकाशित की गई प्रेस टिप्पणी की ओर दिलाया जाता है, जिस की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट, ५ अनुबन्ध संख्या ५]**

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशों में काम पर भेजे गए उच्च अधिकारी अपने साथ पुरानी कारें वैयक्तिक सामान के रूप में लाते रहे हैं तथा क्या मैं जान सकता हूं कि परिवर्तित नियमों से उन के मामलों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : उच्च अधिकारियों तथा दूसरों में कोई अन्तर नहीं रखा जाता है। यदि वे एसी कारें लाए हैं तो वे इन्हें नियमों के अन्तर्गत लाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री वी० पी० नायर : मैं ने यह जानना चाहा था कि क्या मोटर कारों को उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लाया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न पूछे थे। उत्तर दिया जा चुका है। यह पृथक् बात है कि वह मोटरकारों की संख्या जानना चाहते हैं। परन्तु 'बड़ी संख्या में' शब्द तो कोई निश्चित अर्थ नहीं रखते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि इन नियमों के लागू होने के बाद कितनी कारें लाई गई हैं ?

श्री करमरकर : ये नियम प्रथम अप्रैल, १९५३ से लागू होंगे। ये उस तिथि के बाद लाई जाने वाली कारों पर लागू होंगे। निःसन्देह इससे पहले हमें ये शिकायतें मिली हैं कि इस का दुरुपयोग हो रहा है तथा कि मोटर कारें काफ़ी बड़ी संख्या में वैयक्तिक सामान के रूप में लाई जा रही हैं। हम ने दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को कुछ कड़ा सा बना दिया है।

सूती कपड़ों का निर्यात व्यापार

*६६४. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश के सूती कपड़े के निर्यात व्यापार को स्वयं सम्भाल लेने के बारे में कुछ सोचा है तथा यदि ऐसा है तो उस फैसले को लागू करने के समय तथा उस की कार्यान्विति की सीमा के बारे में क्या फैसला किया गया है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्रथम भाग का उत्तर नहीं में है। दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता है।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कपड़े के निर्यात से असरकारी व्यापार द्वारा कमाए गए नफ़ों को समाप्त कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वर्ष १९५३-५४ में किसी अन्य वस्तु के निर्यात व्यापार को अपने हाथों में लेना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात केवल सूती कपड़ों पर ही लागू होती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैंने इस समस्या पर विचार नहीं किया है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार तथा उद्योग में ऐसा कोई समझौता है जिस के अनुसार सरकार सूती कपड़ों के निर्यात व्यापार को अपने हाथों में नहीं ले सकती।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार इस प्रकार के कोई समझौते नहीं करती है।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय नागरिकों का तंग किया जाना

*६६५. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तानी सीमाओं पर पाकिस्तानी सैनिक भारतीय नागरिकों को अभी तक बराबर तंग कर रहे हैं; तथा

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पाकिस्तानी सैनिकों तथा अन्सारों द्वारा पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय नागरिकों के तंग किए जाने की शिकायतें समय समय पर मिलती रहती हैं।

(ख) १९४८ के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुसार, सीमा पर हुई समस्त घटनाएं, सिवाय उन के जिन में नीति की बातें आती हैं, सीमावर्ती ज़िलों के सम्बन्धित मैजिस्ट्रेटों द्वारा सुलझाई जाती हैं। उन के द्वारा किसी निर्णय पर न पहुंच सकने की अवस्था में सम्बन्धित डिवीज़न के आयुक्त महोदय द्वारा सुलझाई जाती हैं। वे इन घटनाओं को फिर न होने देने के प्रबन्ध भी करते हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार गम्भीर घटनाओं के सम्बन्ध में पूर्वी बंगाल सरकार से भी बातचीत करती है।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष के प्रारम्भ से कितनी घटनाओं के बारे में सरकार को सूचना दी गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ठीक ठीक संख्या तो नहीं बतला सकता, परन्तु इस विषय पर पहले से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं जिनका मैं उत्तर दे चका हूं।

मालडाइवस के गण राज्य का अभिस्वीकरण

*६६७. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मालडाइवस के गण-राज्य को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार उस राज्य में कोई प्रतिनिधि भेज रही है; तथा

(ग) क्या मालडाइवस द्वीप में कोई भारतीय रहते हैं तथा यदि ऐसा है तो उन की इस समय क्या हालत है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : मालडाइव द्वीप के प्रशासन में यह परिवर्तन आया कि वहां अब सुल्तान का शासन न रह कर गण-राज्य की स्थापना की गई है, परन्तु जहां तक इस के वैदेशिक सम्बन्धों का मामला है, ये द्वीप पहले भी एक ब्रिटिश रक्षित राज्य रहे हैं तथा इस समय भी हैं। सरकार के लिए मालडाइवस के गण-तन्त्र के स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह अनुमान किया गया है कि मलेय में लगभग ८० भारतीय हैं। यह माल-डाइवस की राजधानी है । उन में से कुछ तो व्यापारिक सार्थों में सेवायुक्त हैं, कुछ स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर रहे हैं। इस समय तक उन पर व्यापार या नौकरी के मामले में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

बर्मा के लिये भारतीय इंजीनियर

*६६८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बर्मा में सेवा के लिए भारतीय इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है तथा यदि ऐसा है तो इस के लिए सेवा की क्या शर्तें रखी गई हैं ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : अगस्त, १९५२ में भारत सरकार को बर्मा सरकार से बर्मा में सेवा के लिए भारत से इंजीनियरों के भर्ती करने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी। उन्हें सूचना दी गई थी कि भारतीय प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती थी। इस समय सेवा की अवधि तथा अन्य शर्तों को निश्चित किया जा रहा है। एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायगी।

श्री विश्व नाथ रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि बर्मा में सेवा के लिए भर्ती किए गए व्यक्ति वहां पर बर्मी नागरिकों के रूप में जायेंगे या भारतीय नागरिकों के रूप में ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये नियुक्ति तीन वर्ष के ठेके के आधार पर की जायेगी या अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिए। स्पष्ट है कि ये व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में ही जा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या ऐसी भर्ती के लिए कोई संख्या निश्चित की गई है।

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान्। वे

४ प्रबन्धक इन्जीनियर
१९ सहायक इंजीनियर
५६ रेज़ीडेन्ट इंजीनियरिंग सहायक
२० ड्राफ्ट्समैन

चाहते हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में इंजीनियरों की कमी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद् मंत्रालय द्वारा हमें विश्वास दिलाया गया है कि बर्मा को जाने वाले ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी अनुमति क्यों दी गई हैं जब कि हम वास्तव में बाहिर से इंजीनियर मंगवा रहे

हैं ? क्या इस का कारण यह है कि हमें अपने देश में ऐसे इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है ।

श्री अनिल के० चन्दा : हम विदेशों से बहुत उच्च योग्यताओं वाले इंजीनियरों को मंगाते हैं तथा इस प्रकार के अर्थात् सहायक इंजीनियरों तथा ड्राफ्ट्समैन को नहीं ।

श्री पुन्नूस : तब क्या यह सत्य नहीं है कि हम यहां से कुछ घटिया योग्यताओं के व्यक्तियों को बर्मा में भेज रहे हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं, बिल्कुल नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का अर्थ यह नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस काम की शस्त्र तथा गोला बारूद शाखाओं में तथा अन्य सामरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित भारतीय कर्मचारियों को बर्मा में सेवा के लिए भर्ती किये जाने की अनुमति है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये तो मामूली सिविल सहायक तथा प्रबन्धक इंजीनियरों तथा ड्राफ्ट्समैन ही हैं ।

इण्डियन माइनिंग एन्ड कन्स्ट्रक्शन क० लिमिटेड

*६६९. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इण्डियन माइनिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं० लिमिटेड ने बर्मा के कोयले के मैदानों में जो गिरिढि सब डिवीजन में हैं, कब से काम आरम्भ किया था तथा सरकार के साथ क्या शर्तें आदि तय की गई थीं ?

(ख) उन्हों ने अपना काम कब बन्द किया था तथा क्यों ?

(ग) क्या उन्होंने काम करने की मशीनों को पीछे उसी स्थान पर ही छोड़ दिया है ?

(घ) यदि ऐसा है तो रुपयों में उन का कुल मूल्य कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १–४–१९४८ से । एक विवरण जिस में मुख्य २ शर्तों का वर्णन है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६].**

(ख) कम्पनी के कामों को सर लिन्डसे पार्किन्सन एन्ड कम्पनी लिमिटेड तथा भारत सरकार के सांझे व्यापार के रूप में १–४–५२ के दिन बन्द कर दिया गया था जब कि भारत सरकार ने कम्पनी के सारे शेयर खरीद कर लिय थे । इस के बाद कामों को लगभग तीन मास तक चलने दिया गया था तथा सब काम अन्तिम रूप से १५–७–१९५२ के दिन बन्द कर दिए गए थे क्योंकि कम्पनी मशीनों को पूर्णत: काम लगाए रखने के लिए काफ़ी काम नहीं मिल सका था ।

(ग) सिवाय कुछेक मशीनों के इन्डियन माइनिंग एन्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की सब मशीनें, जिन्हें मद्रास सरकार को लिगनाइट प्रारम्भिक परियोजना के सम्बन्ध में उधार रूप से दिया गया था, बर्मा के एक कारखाने में जमा कर रखा गया है ।

(घ) मशीनों की कीमत, लागत को कम कर के २०,६३,००० रु० है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार मशीनें ठीक हालत में नहीं हैं तथा कि उन्हें कटे फटे लोहे के रूप में बेचा जाने वाला है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझ इस का पता नहीं है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या जहां मशीनों को गोदामों में जमा कर के रक्खा गया है, वहां पर गैस जमा हो गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बारे में ठीक ठीक स्थिति का पता लगाऊंगा ।

कोयला खानों में अधिक भार का हटाना

***६७०. श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गिरिढि में करगली तथा बोरवारों की खानों (मिट्टी) के 'अधिक भार' को शारीरिक श्रम द्वारा कम करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस प्रकार के काम में प्रति हजार क्यूबिक फुट मिट्टी के हटाने की अनुमित लागत क्या है ?

(ग) गोला बारूद की लागत समेत इन्डियन माइनिंग एन्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दी गई दरें क्या थीं ?

(घ) ठेकेदारों को क्या दरें दी गई थीं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) सभी खर्चों के समेत करगलि में दी गई दर १४३ रु० के लगभग है तथा बोरवारो में १४९ रु० है ।

(ग) इन्डियन माइनिंग एन्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रु० १३४/८/- प्रति हज़ार फुट की दर दी गई थी तथा इस में सभी खर्च शामिल थे । इस के अतिरिक्त उन्हें पानी और बिजली मुफ्त में दिए गए थे । मज़दूरों को तथा कुछेक दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों को मकान और कोयला मुफ्त में दिए गए थे ।

(घ) १-४-१९४८ से दी गई मूल दरें ये हैं :—

करगली ६८।०।१.३ प्रति हज़ार क्यूबिक फुट

बोकारो ७४।५।११ प्रति हज़ार क्यूबिक फुट

इस के अतिरिक्त सरकार खाद्यान्न को रियायती दामों पर देने, उपस्थित के आधार पर मज़दूरों को नगदी की रियायत, मज़दूरों को बोनस, कोयला खान भविष्य निधि, मकान, जल, चिकित्सा की सुविधाएं तथा बिना दाम लिये कोयले के देने का खर्च सहन करती है ।

सामूहिक परियोजना क्षेत्रों में कार्य की प्रगति

***६७१. श्री एल० जे० सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक परियोजना क्षेत्रों में चल रहे कार्यों के प्रकाशित करने के प्रबन्ध तथा विभिन्न गुटों में चल रहे कार्यों में प्रगति क्या है ।

(ख) क्या सरकार ने मासिक या त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अथवा चित्रों सहित बुलेटिन के छापने की वांछनीयता पर विचार किया है; तथा

(ग) क्या सरकार ने प्रलेख चल-चित्रों में इन गुटों के कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देने की वांछनीयता पर विचार कर लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रकाशित करने की प्रस्तावना की गई है । 'कुरुक्षेत्र' नाम की एक पत्रिका जिस में एकमात्र सामूहिक परियोजनाओं के बारे में लेख होते हैं, प्रत्येक मास प्रकाशित की जाती है ।

(ग) जी हां, विभिन्न सामूहिक परियोजना केन्द्रों के बारे में प्रलेखीय चल-चित्र दिखाए जायेंगे ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सामूहिक परियोजना क्षेत्रों में की गई प्रगति सम्बन्धी रिपोर्टों को स्थानीय भाषाओं के पत्रों में प्रकाशित किया जाता है ।

श्री हाथी : क्या आप अपने प्रश्न को दोहरायेंगे ?

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सामूहिक परियोजना क्षेत्रों में सर्वोत्तम करने वाले व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं के गुटों को कोई इनाम देने का विचार रखती है ?

श्री हाथी : यह एक सुझाव है । इस पर ध्यान दिया जायगा ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या उत्तर प्रदेश के ज़िलों में सामूहिक परियोजनाओं के बारे में हुई प्रगति को मैं क्रमश : जान सकती हूं ?

श्री हाथी : एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की जाया करेगी ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : कौन सी पत्रिका ।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में जो साहित्य सरकार प्रकाशित कर रही है और प्रकाशित करने वाली है, वह राज भाषा हिन्दी और भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं में भी छपेगा या सिर्फ अंग्रेजी में ही छपेगा ?

श्री हाथी : इसे स्थानीय भाषाओं में भी छापा जायगा ।

सेठ गोविन्द दास : हिन्दी की बाबत आप ने कुछ नहीं कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कल्पना करता हूं कि हिन्दी को स्थानीय भाषाओं में शामिल समझा गया है ।

श्री केलप्पन : क्या यह सत्य है कि प्रशासी तथा टेक्नीकल मंजूरियों में हो रहे विलम्ब से कार्य की प्रगति में रुकावट पड़ रही है ?

श्री हाथी : प्रारम्भ में कुछ समय के लिए इस में कठिनाई का सामना हुआ था । अब बजट स्वीकार हो चुके हैं तथा टेक्नीकल मंजूरियां मिल चुकी हैं तथा कार्य में प्रगति हो रही है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस अभियोग में कुछ सत्य है कि मंजूर किया गया धन सम्बन्धित क्षेत्र को महीनों तक पहुंचता तथा कि इस कारण डाली गई नीवें तथा आरम्भ की गई सड़कों का निर्माण-कार्य रुक जाता है ?

श्री हाथी : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य नहीं कि बम्बई राज्य में ऐसा हुआ है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, मुझे कोई सूचना प्राप्त नही है ।

श्री केलप्पन : क्या यह सत्य है कि स्वीकृत योजना में थोड़े से अन्तर के लिए भी योजना अधिकारी को राज्य विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती है ।

श्री हाथी : बजटों के एक बार पास तथा मंजूर हो जाने के बाद छोटी छोटी बातों के सम्बन्ध में मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों से मासिक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं ?

श्री हाथी : हमें त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त होती है ।

श्री सारंगधर दास : परन्तु क्या अभी तक कोई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ?

श्री हाथी : कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि किन किन परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सारे भारत में कितनी ही परियोजनाएं चल रही हैं।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन रिपोर्टों को समाचारपत्रों में विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करवा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम परियोजनाओं के विषय को छोड़ विज्ञापनों की बात छेड़ रहे हैं।

श्री हाथी : ये रिपोर्टें समाचारों के रूप में प्रकाशित की जाती हैं।

इस्पात की तार की बनी वस्तुएं

*६७२. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष कील, हुक, बालों को लगाने के पिन और कलिप्पों आदि जैसी इस्पात की वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात किया जाता है ?

(ख) भारतीय उद्योगों को भारत में ही इन वस्तुओं के बनाने के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कीलों के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७**]

दूसरी वस्तुओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) कील तथा कलिप्प उद्योगों को आयात किए गए तथा स्वदेशी कच्चे माल के प्राप्त करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। हुक तथा बालों में लगाने के पिनों के उद्योग अभी ठीक प्रकार से संगठित नहीं किए गए हैं। अतएव उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं दी जा सकती।

श्री एम० आर० कृष्ण : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि भारत से कटा फटा इस्पात आदि दूसरे देशों को काफ़ी कम मूल्यों पर भेजा जाता है जिस से भारतीय उद्योगों को स्थानीय उत्पादन के निमित काफ़ी मात्रा में कच्चा माल नहीं मिल पाता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझ सका कि यह प्रश्न इस मुख्य प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है। यह ठीक है कि कटे फटे इस्पात आदि की कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जाती है, परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस से माननीय सदस्य द्वारा बतलाए गए परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस उद्योग के निर्माताओं की मांग को पूरा करने के लिए देश के अन्दर काफ़ी इस्पात मिल सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्, वास्तव में कई बार उन्हें आयात किए गए माल पर निर्भर करना पड़ता है।

श्री नानादास : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि इन धातुओं में हमारी कमी कितनी है तथा कि हम कब तक इन में स्वावलम्बी हो जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कीलों के आयात के सम्बन्ध में हमारी स्थिति इस प्रकार से है;

१९४९–५०	५०३	टन
१९५०–५१	३८२	टन
१९५१–५२	३,५४५	टन
अप्रैल से दिसम्बर, १९५२ तक	१,०४३	टन

जहां तक स्वावलम्बता के प्राप्त करने का सवाल है, मैं इस का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि आयात की गई वस्तुओं की तुलना में स्वदेशी वस्तुओं के दाम कितने हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है

केन्द्रीय मंत्रणा परिषद्

* ६७३. **श्री एस० एन० दास :** (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) इसने अभी तक क्या क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ?

(ग) सरकार ने इनमें से अभी तक किन किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया हैं तथा कार्यान्वित कर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक बार ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) सिफारिशों पर विचार हो रहा है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान, क्या मैं इस समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट किए गए प्रार्थनापत्रों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, इस समिति से लाइसेंसिंग समिति के काम की छान बीन करने की आशा की जाती है तथा लाइसेंसिंग समिति द्वारा किए गए कार्य को छान बीन के अभिप्राय से उद्योगों की मंत्रणा परिषद् की उपसमिति को सौंपा जाता है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या देश की डीज़ल आयल इंजनों सम्बन्धी कुल मांग के पुनर्निर्धारण का आधार लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए कोई नए प्रार्थना पत्र हैं अथवा कि उद्योग के पास जमा माल के बारे में सरकार से किया गया कोई प्रतिनिधान है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लाइसेंसिंग समिति ने डीज़ल आयल के बनाने के बारे में एक ही व्यवसाय से इस कारण प्रार्थना पत्र नहीं मंगाया कि उन्हें देश में काफ़ी निर्माण-समर्थता के विद्यमान होने का पता चल गया था । स्वाभावतः लाइसेंसिंग समिति के फैसले के सम्बन्ध में सरकारी स्वीकृति की अभी आवश्यकता है, परन्तु इस समिति के लाइसेंसिंग समिति के कार्य की छान बीन के निमित्त बनाए जाने के कारण, मैं ने इसके गुणावगुणों के परीक्षण के लिए योग्य निकाय समझते हुए इस मामले को उन्हें सौंपा था । उद्योग मंत्रणा परिषद् के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए औद्योगिक मंत्रणा परिषद् ने कहा कि प्रार्थना पत्र अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिये तथा और बातों के साथ इस छानबीन का सुझाव रखा जिसका वर्णन कि माननीय सदस्य ने अभी किया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या आवश्यकताओं के निश्चित करने तथा अनुसूचित उद्योगों के सामर्थ्य की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, हम निश्चय ही ऐसा समझते हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था विद्यमान है । परन्तु मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह व्यवस्था सारी अनुसूचित उद्योगों के बारे में काफ़ी है या नहीं । जिस कार्य का सुझाव उद्योग मंत्रणा परिषद् ने सरकार को दिया है, उसे विद्यमान सरकारी व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है ।

केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के कार्य-भारित कर्मचारी

*६७५. **श्री नम्बियार : निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सेवा-निवृत्ति वेतन के नए नियमों को लोक-कार्य विभाग के स्थायी कार्य-भारित कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है तथा कि अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में उन्हें नुक्सान रहता है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या कारण है कि स्थायी इमारितों के बनाए रखने के लिए अपेक्षित स्थायी कर्मचारियों की सूची को पिछले छः वर्षों में तैय्यार नहीं किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सेवा-निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नए नियमों को स्थायी कार्य-भारित कर्मचारियों पर भी लागू करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। जब तक उन्हें लागू न किया जायगा, स्थायी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति वेतन के पुराने नियमों के अन्तर्गत लाभ मिलेगा तथा ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को जिन्हों ने तीन वर्ष सेवा कर ली है, अंश-दान भविष्य निधि का लाभ उठाने का अधिकार होगा। यह कहना कुछ कठिन है कि किस श्रेणी को अधिक लाभ रहता है।

(ख) कस्तूरभाई लालभाई समिति की सिफारिशों के अन्तर्गत आवश्यकताओं को पुनः निर्धारित किया जा रहा है।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्थायी कर्मचारियों को भी अंश-दान भविष्य निधि का लाभ मिलेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान्।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जब यह सुविधा अस्थायी कर्मचारियों को दी गई है तो उन्हें क्यों नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ऐसा स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारीवर्ग में स्पष्ट अन्तर के कारण है।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अस्थायी कर्मचारियों को .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क में जा रहे हैं। उन्हें सूचना के प्राप्त करने का तो अधिकार है। यदि स्थायी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति वेतन दिया जाता है तो अस्थायी कर्मचारियों को कोई और लाभ दिया जाता है। स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों में कुछ अन्तर है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या २० वर्ष से कम सेवा-काल वाले स्थायी कर्मचारियों को कोई सेवा-निवृत्ति वेतन या बख्शीश मिलेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नियमों में परिवर्तन किए बिना ऐसा होना तो सम्भव नहीं है मैं पहिले कह चुका हूं कि सेवा-निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नए नियमों को कार्य-भारित कर्मचारियों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। मुझे खेद है कि अस्थायी कर्मचारियों को किसी प्रकार के सेवा-निवृत्ति वेतन का अधिकार नहीं होगा।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या २० वर्ष से कम सेवा-काल वाले कर्मचारियों को किसी सेवा-निवृत्ति वेतन या बख्शीश का अधिकार होगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों में से किसी एक का।

सरदार स्वर्ण सिंह : स्पष्ट है कि उसे तब तक सेवा-निवृत्ति वेतन का अधिकार नहीं हो सकता जब तक कि उसने इसके लिए अपेक्षित न्यूनतम काल तक सेवा न कर ली हो।

श्री नम्बियार : बख्शीश के बारे में स्थिति क्या है।

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि उसने पुनर्वात्तित सेवा-निवृत्ति वेतन के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित वर्षों तक सेवा की हो तो उसे बख्शीश मिल सकेगी ।

श्री नम्बियार : एक और प्रश्न ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नों के घंटे को पूर्णतः छोटी छोटी बातों पर ही ले लेने की अनुमति नहीं दे सकता

श्री नम्बियार : मैं किसी दूसरे भाग के सम्बन्ध में अनुपूरक पूछना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों भागों के सम्बन्ध में अब काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की जाने वाली है या इससे पहले ही की जा चुकी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, इस बात का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । छंटनी का विषय एक बिल्कुल पृथक विषय है ।

श्री रघवय्या : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि किसी सरकारी कर्मचारी के लिये सेवा-निवृत्ति या बख्शीश के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक सेवा करना आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें छपे हुए नियमों में मौजूद हैं जिसकी प्रति सदन के पुस्तकालय में मिल सकती है ।

महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कार्य-भारित कर्मचारियों को दिया गया वेतन

*६७६. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वतन्त्रता दिवस तथा गण-राज्य दिवस की भान्ति छुट्टी दी जाती है ;

(ख) क्या बाग़बानी विभाग के कर्मचारियों को २ अक्तूबर, १९५२ के दिन का इसलिये वेतन नहीं दिया गया था कि वे महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर काम पर हाज़िर नहीं थे; तथा

(ग) क्या यह भी ठीक है कि कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री से उपरोक्त दिन के लिए वेतन दिए जाने की मांग लेकर मिला था तथा, यदि ऐसा है तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) केवल उन्हीं व्यक्तियों को उस दिन का वेतन नहीं दिया गया जो बिना अनुमति के अनुपस्थित हो गये थे तथा जिन्हों ने इस दिन को उन आठ दिनों में से काटने की अनुमति नहीं ली थी जिनकी छुट्टी नियमों के अनुसार उन्हें मिल सकती है ।

(ग) हां श्रीमान, इस मामले की छान बीन की गई थी परन्तु इस सार्वजनिक छुट्टी का उन्हें अधिकार न होने के कारण तथा इसे आठ दिनों में से काट लेने की अनुमति न लेने के कारण उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कारखाने के दरवाज़े पर एक सूचनापत्र चिपकाया गया था जिसमें लिखा था कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर छुट्टी रहेगी तथा कि उस सूचनापत्र के अनुसार कर्मचारी लोग काम पर नहीं आए थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान, माननीय सदस्य की इस बारे में सूचना ठीक नहीं है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या कर्मचारी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर माननीय मंत्री से मिले थे तथा कि उन्होंने मामले पर उनके पक्ष में विचार करने का वचन दिया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कुछ कर्मचारी मुझ से अवश्य मिले थे, परन्तु कुछ न कुछ विरोध प्रगट करने की भावना से तथा मैं ने केवल इतना कहा था कि मैं मामले की जांच पड़ताल करूंगा । मैं ने इस मामले की जांच पड़ताल कर ली है तथा अब जबकि मेरे माननीय मित्र पूछने पर ही तुले हुए हैं तो मैं ने उत्तर दे दिया है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि-मंडल को विषय पर उनके पक्ष में विचार किए जाने का कोई वचन दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां श्रीमान, वचन दिया गया था कि मामले पर विचार किया जायगा । मामले की जांच पड़ताल की जा चुकी है तथा मेरे द्वारा पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या ठेके पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी स्वतंत्रता दिवस तथा गणराज्य दिवस की छुट्टियां मिला करेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक कार्यवाही के लिए सुझाव मात्र ही है ।

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते यह हैं कि सरकार कार्यवाही करे ।

भवन जिसमें नेता जी का जन्म हुआ था

*६७९. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक (उड़ीसा) में जिस भवन में नेताजी का जन्म हुआ था, उसे भारत सरकार को उपहारस्वरूप में देने की कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो क्या इस प्रस्थापना को स्वीकार किया गया है; तथा

(ग) क्या प्रस्थापना को स्वीकार करने से पहले उड़ीसा सरकार से परामर्श किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) प्रस्थापना पर अभी विचार हो रहा है ।

(ग) उड़ीसा सरकार से प्रत्येक क्रम पर परामर्श हो रहा है ।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या इमारित का अधिकार उड़ीसा सरकार को प्राप्त है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस मामले में मतभेद हो सकता है । वास्तव में मैं इस प्रश्न के महत्व को नहीं समझ सका हूं

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि यह प्रस्थापना कितने समय से सरकार के विचाराधीन है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कोई बहुत पुराना मामला नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं एक निश्चित उत्तर चाहता हूं क्योंकि मामला बहुत महत्व-पूर्ण है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : इस समय तो मेरे पास इसका ब्यौरा मौजूद नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे सामने रखा गवा था । मैं ने और विशे बातों को जानने के लिये लिखा तथा उड़ीसा सरकार और वहां के मुख्य मंत्री से स्वयं उस स्थान को देखने के लिये कहा । उन्होंने ऐसा करने के बाद मुझे एक रिपोर्ट भेजी, परन्तु मैं इस प्रश्न के सुलझाने की रीति को नहीं समझ सका हूं । इसलिये मैंने श्री बोस स्वयं कटक में जाकर वहां के मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल से बातचीत करने के बारे में लिखा । श्री बोस का उत्तर अभी तक नहीं मिला है ।

लुछाई पहाड़ियों से प्रव्रजन

*६८१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्व है कि हाल के महीनों में लुशाई पहाड़ियों के ज़िले से भारटीय नागरिकों का बहुत बड़ी संख्या मै प्रव्रजन होता है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी संख्या कितनी है तथा हम प्रव्रजन के कारण क्या है ?

(ग) क्या बर्मा सरकार ने भारत सरकार तक इस बारे में कोई प्रतिनिधान किया है ?

(घ) भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) अगस्त से दिसम्बर, १९५२ तक २४ लुशाइयों के बर्मा चले जाने की सूचना मिली है । उनके प्रव्रजन का कारण बर्मा के चिन्ह लोगों के साथ जाति तथा भाषा के निकट के सम्बन्ध तथा बर्मी सेना में नौकरी मिलने की आशा जान पड़ती है ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) उपयुक्त लुशाई युवकों को आसाम राइफ़ल तथा रक्षा सेवाओं में यथासम्भव भर्ती करने के प्रयत्न किये गये हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य नहीं है कि कई हज़ार लुशाई बर्मा की सीमा के लीमायो के निकट जा कर बस गए है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे यह सूचना प्राप्त नहीं है । मैं नहीं जानता, परन्तु जहां तक मेरी सूचना है, प्रस्थान बड़ी संख्या में नहीं हुआ है । कुछ लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं तथा वापस आ जाते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार को विश्वास है कि अब अधिक लुशाई बर्मा को नहीं जा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : विश्वास का कोई सवाल नहीं है । यदि लोग जाना चाहें तो बड़ी खुशी से जा सकते हैं । यह खुली सीमा है । मैं नहीं समझ सकता कि इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है । कुछ ही दिनों में मैं स्वयं उस सीमा के पार जाने वाला हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : प्रश्न के इस उत्तर से उत्पन्न होते हुए कि २४ लुशाई नौकरी आदि की खोज में अपने स्थानों को छोड़ गये हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या लुशाई लोगों को बेकारी से बचाने के लिए कोई सरकारी प्रबन्ध किए गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह समस्या सारे भारत की है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने उचित रूप से पूछताछ की है कि इस समय लुशाई लोग भारत से बर्मा को प्रव्रजन कर रहे हैं या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने कह दिया है कि मुझे इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है । इसके विरुद्ध मेरी सूचना के अनुसार

कुछ लोग तो गए हैं, परन्तु बहुत अधिक संख्या में नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ऐसी सूचना दे रहे हैं जिसे सरकार स्वीकार नहीं करती है । सरकार की तो यह सूचना है कि प्रव्रजन बड़ी संख्या में नहीं हो रहा है ।

खालें तथा चमड़ा

*६८२. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खालों तथा उस प्रकार के चमड़े के तैय्यार करने के कोई प्रयत्न किए गए हैं जिन का भारत पाकिस्तान से आयात करता रहा है; तथा

(ख) क्या भारत ने खालों तथा चमड़े का पाकिस्तान से आयात करना बन्द कर दिया है या पाकिस्तान ने उनका भारत को निर्यात करने से इन्कार कर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) खालों तथा चमड़े का निर्माण नहीं किया जाता है, अपितु मृत पशुओं से या मांस के लिए वध किए गए पशुओं से एकत्र किया जाता है । जिन खालों तथा चमड़े की पाकिस्तान से निर्यात करने की आवश्यकता होती है, उसका निर्यात किया जाता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि हमें पाकिस्तान से किस किस प्रकार की खालों तथा चमड़े का अयात करना ही पड़ता है ? क्या वे दक्षिण भारत में उपलब्ध नहीं हो सकता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्पष्टतः नहीं, श्रीमान् ।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि जिन खालों तथा चमड़े का हमें पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है, वे कच्ची होती ह या कमाई हुई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, कच्ची ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या खालों तथा चमड़े के उद्योग पर इस समय कोई संकट है अर्थात् क्या दक्षिण में चमड़ा कमाने के उद्योग पर ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्; सम्भवतः मेरी सूचना कोई दो महीने पुरानी है । १५ जनवरी को मुझे मद्रास में चमड़े की एक अनुसंधान संस्था खोलने के लिए जाना पड़ा था तथा उस समय सभी संबंधित व्यक्तियों ने मुझे बतलाया था कि उद्योग समृद्धिशाली हो रहा है ?

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या डिंडीगु, त्रिचनापली, कोयमबटोर आदि कस्बों में बहुत बेकारी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी संकट के विद्यमान होने को स्वीकार नहीं किया गया है । दूसरे माननीय सदस्य भी हाल में वहीं थे इसे बड़ी धूम धाम से मनाया गया ।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता था....

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में किसी संकट को उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं ने यह जानना चाहा था कि क्या चमड़ा उद्योग में किसी संकट के विद्यमान होने की सूचना मिली है तथा यदि ऐसा है तो मैं जान सकता हूं कि इन कस्बों में जिसका मैंने वर्णन किया है, बहुत बेकारी है तथा क्या उनका ध्यान इस ओर गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न चमड़े के कारखानों के सम्बन्ध में नहीं है । इसका निर्देश कच्ची खालों तथा चमड़े से है । यदि इस

उद्योग को तरक्क़ी करना है तो हमें इस देश में अधिक गाय तथा बैलों का वध करना पड़ेगा ।

चल चित्रों तथा चित्रों का सामान (उत्पादन)

*६८३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक सरकार द्वारा या किसी दूसरे तरीके से चल-चित्रों तथा चित्रों में स्वावलम्बता को प्राप्त करने के विचार से क्या पग उठाए गए हैं ?

(ख) इस प्रयोजन से कितने कारखानों या दूसरी संस्थाओं की पहले से स्थापना की जा चुकी है या की जाने वाली है ?

(ग) प्रत्येक विषय में उनकी किस स्थान पर स्थापना की गई है या की जाने वाली है । हर विषय में व्यय, उत्पादन-समर्थता तथा उत्पादन की शाखाओं का वर्णन किया जाय ?

(घ) क्या सरकारी स्तर पर मैसूर के निकट किसी कारखाने की स्थापना की जा रही है ?

(ङ) यदि ऐसा है तो सरकार इसमें किस आधार पर भाग ले रही है ?

(च) कुल व्यय कितना होगा तथा कोई विदेशी सार्थ या व्यक्ति उसके अंशधारी बनने वाले हैं अथवा क्या वे विशेषज्ञों के रूप में काम करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (च) तक । अभी तक ऐसा कोई कारखाना नहीं बनाया गया है ।

सरकार ने फ़र्वरी, १९५० में २ करोड़ रु० के खर्च से चलने वाली एक योजना स्वीकार की थी, परन्तु रुपये के अभाव से यह सफ़ल नहीं हो सकी है ।

मैसूर सरकार ने हाल में एक योजना प्रस्तुत की है जिसकी छान बीन की जा रही है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या कैमरे के कारबन का उत्पादन करने के लिए विचार हो रहा है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बेकार अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध

श्री दामोदर मेनन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटे फ़टे बेकार अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रस्थापना इस समय भी सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को इस अभिप्राय का कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है कि इस प्रस्थापना से कटे फ़टे बेकार अभ्रक के छोटे उत्पादकों को हानि पहुंचेगी ; तथा

(ग) इस प्रतिनिधान पर सरकार ने क्या फ़ैसला किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । जी हां ।

(ग) छान बीन के पूर्ण होने तक सरकार किसी कार्यवाही के करने का विचार नहीं करती है ।

श्री रघवय्या : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार अखिल भारतीय अभ्रक मंत्रणा पर्षद् की सिफ़ारिशों से सहमत है । क्या इसका अर्थ यह है कि कटे फ़टे बेकार अभ्रक के निर्यात को बन्द कर दिया जायगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं श्रीमान । अभी तो नहीं

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रीलंका के भारतीयों का नागरिकता अधिकार

*६५६. **श्री गिडवानी** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को वहां के भारतीय उद्भव के नागरिकों के श्रीलंका के नागरिकता अधिकार के दावे के सम्बन्ध में एक और पत्र भेजा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या श्रीलंका सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

(ग) उत्तर का सार क्या है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) तक । श्रीलंका में भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों के श्रीलंका के नागरिकता अधिकार के दावे के प्रश्न के दोनों सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है । हमारे सब से अन्तिम पत्र का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

कीमती पत्थरों के लिए खुला सामान्य लाइसेंस

*६७४. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जयपुर व्यापारमंडल ने सरकार से प्राकृतिक अनकटे कीमती तथा नकली पत्थरों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल करने के लिये लिखा है जिससे कि जड़ाऊ काम करने वालों को अपने काम के लिये काफी सामान मिल सके ?

(ख) सरकार ने उनके प्रतिनिधान पर क्या विचार किया है ?

(ग) यदि ऐसा है तो फ़ैसला क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) . इन वस्तुओं के आयात की उदारता से अनुमति दी जाती है । इस बारे में दिनांक २२ जनवरी, १९५३ के सार्वजनिक सूचनापत्र की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ९**]

कपास नियन्त्रण सम्बन्धी प्रश्नावली

*६७७. **श्री के० जी० देशमख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास नियंत्रण जांच समिति ने एक प्रश्नावली प्रकाशित की है जिसमें देश के वर्तमान कपास नियंत्रण के बारे में विचारों को जानने की चेष्टा की है ;

(ख) क्या प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तरों की प्राप्ति की तिथि बीत चुकी है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा भाग (ख) का उत्तर हां में हो तो प्राप्त हुए उत्तरों को सामने रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) स्पष्टत: माननीय सदस्य का निर्देश वस्त्र जांच समिति से है । यदि ऐसा है तो उत्तर हां में है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होते हैं ।

गरु हर राय का जन्म दिवस

*६७८. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनवरी, १९५३ में अखिल भारतीय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने पाकिस्तान सरकार से सप्तम गुरू हर राय के जन्म दिवस को मनाने की अनुमति मांगी थी तथा कि पाकिस्तान सरकार ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त समिति ने इस बारे में भारत सरकार की सहायता की याचना की थी; तथा

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर हां में है तो क्या सरकार इस इन्कार के कारणों सम्बन्धी एक वक्तव्य जारी करेगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । परस्पर तय पाई प्रक्रिया के अनुसार यात्रा की प्रार्थनाओं को दोनों सरकारें एक दूसरे के पास भेज देती हैं ।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने केवल "यात्रा संबंधी आवश्यक प्रबंधों के करने में अपनी असमर्थता" ही प्रकट की है । उन्होंने कोई कारण नहीं बतलाये हैं ।

भाकड़ा नंगल परियोजना

*६८०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाकड़ा की परियोजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या काम प्रारंभिक प्राक्कलनों तथा गणना के अनुसार चल रहा है या कि वर्ष १९५२ में यह प्रगति कार्यक्रम से पीछे है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ कामों के पूरा करने में देर हो जाने से वित्तीय आंकड़ों में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में कुछेक कार्य जिन पर बहुत व्यय हो चुका था, प्राक्कलनों की स्वीकृति लिए बिना पूरे कर दिए गए थे तथा कि लेखा-परीक्षकों ने उस पर घोर आपत्तियां की थीं; तथा

(ङ) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५१ तथा १९५२ में भी कार्य को उसी प्रकार से चलने दिया था तथा यदि ऐसा है तो क्यों ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) से (ङ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

उद्योगों की इंधन समस्या

*६८५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री एस० सी० सामन्त :

(क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला आयुक्त की संस्था से संलग्न मुख्य दहन इंजीनियर महोदय ने भारत में उद्योगों की ईंधन समस्या के बारे में छान बीन की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी खोज के परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या कोयला आयुक्त विभिन्न प्रकार के कोयले के योजनाबद्ध प्रयोग को संगठित करने में सफल हो गए हैं ?

(घ) यदि ऐसा है तो इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। मुख्य दहन इंजीनियर महोदय मुख्यतः कुछ विशेष उद्योगों के बारे में अपेक्षित कोयले की आवश्यकताओं, इस की किस्म तथा परिमाण आदि की छान बीन करते हैं तथा ऐसा करने में उन उद्योगों की इंधन जलाने वाली मशीनों आदि को विचार में रखते हैं तथा उनकी सिफारिशों को सामान्य रूप से संबंधित उद्योगों तक पहुंचाया जाता है । उनकी सिफारिशें सामान्य प्रकार की नहीं होती हैं, बल्कि प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में वे विभिन्न प्रकार की होती हैं । वे उद्योगों को निश्चित प्रकार की ईंधन समस्याओं पर जिनका उन्हें निर्देश किया जाता है उनकी मशीनों के अनुसार परामर्श भी देते हैं ।

(ग) तथा (घ) : जी हां । यथासम्भव । कोयले पर मात्रा सम्बन्धी नियंत्रण करने का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कोयले के प्रयोग

को योजनाबद्ध करना है जो बात विभिन्न उद्योगों की कोयले सम्बन्धी आवश्यकताओं के विचार से की जाती है।

एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोयले की विभिन्न उद्योगों सम्बन्धी बांट को दिखाया गया है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०] श्रेणी-अनुसार बांट में मुख्यदहन इंजीनियर महोदय की छान बीन के परिणामों को विचाराधीन रखा गया है।

दक्षिण अफ्रीका में गैर यूरोपियनों से व्यवहार

*६८६. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका में गैर-यूरोपियनों के प्रति विभेदपूर्ण व्यवहार के बारे में क्या कार्यवाही की है; तथा

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा किसी अग्रेतर कार्यवाही का विचार किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ५ दिसम्बर, १९५२ को एक आयोग की स्थापना का फैसला किया था जिसमें तीन सदस्य लिये जाने हैं तथा जो दक्षिण अफ्रीका की जातीय परिस्थिति का अध्ययन कर के महासभा के अगले अधिवेशन में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। इसने २१ दिसम्बर, १९५२ को यह भी फैसला किया है कि इस आयोग में डा० राल्फ़ बंच श्री हर्नन सान्ता क्रूज़ तथा डा० जैमी टोरेस बोडेर लिए जायं। दुर्भाग्यवश डा० बोडेर इस आयोग में काम करने के लिये तैय्यार नहीं। ऐसा पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अब उनके स्थान पर काम करने वाले तीसरे सदस्य की खोज में हैं।

विदेशों में दिखाए गये भारतीय चल-चित्र

*६८७. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन भारतीय राजदूतों ने विदेशों में दिखाये गये चल-चित्रों के बारे में पत्र भेजे हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि राजदूतों के अनुसार इन चल-चित्रों का प्रभाव अनुकूल नहीं रहा ; तथा

(ग) चल-चित्रों को बढ़िया प्रकार के बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : विदेशों में हमारे सारे दूतावास वहां पर दिखाए जा रहे प्रमोदात्मक तथा प्रलेखीय चल-चित्रों के बारे में रिपोर्टें भेजते हैं।

(ख) कुछेक प्रमोदात्मक चल-चित्रों के बारे में रिपोर्टें अनुकूल नहीं हैं।

(ग) चल-चित्र जांच समिति की चित्रों को बढ़िया बनाने से सम्बन्धित सिपारिशें विचाराधीन हैं।

असरकारी क्षेत्र में औद्योगिक धंधे

*६८८. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असरकारी क्षेत्र में कार्य-प्रबन्ध के लिए आवश्यक कर्मचारीवर्ग के प्राप्त करने में योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(ख) यदि ये सुझाव पहले से सरकार के विचाराधीन हैं तो उन्हें फैसला करने में कितना समय लग जायेगा।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : योजना आयोग के सुझावों के अनुसार विभिन्न असैनिक औद्योगिक व्यवसायों की, चि की

वित्तीय व्यवस्था तथा कार्य-प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के ज़िम्मे है, प्रशासी, प्रबन्धात्मक तथा वित्तीय आसामियों की पदाली तैय्यार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, इस समिति ने तब से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । योजना आयोग ने भी यह सुझाव रखा है कि समूचे असरकारी क्षेत्र में सामान्य महत्व की बातों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये । औद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी सेवा को केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना के बाद बनाया जायगा । एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना का सवाल इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सरकार फैसले को शीघ्र करना चाहती है ।

निर्माताओं द्वारा रबड़ की खरीद

*६८९. **श्री सी० आर० इय्यूनी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फायरस्टोन तथा डन्लप कम्पनियों ने भारत सरकार द्वारा हाल में निश्चित की गई रबड़ की अधिकतम कीमतों पर भारत से रबड़ को किसी मात्रा में खरीद किया है ?

(ख) रु० १२८।।) की क़ीमत के निश्चित किए जाने से पहले के तीन वर्षों में उन्होंने रबड़ की कितनी मात्रा की खरीद की है ?

(ग) क्या सरकार ने कुछ महीने पहले दामों के निश्चित किए जाने के बाद उन्हें विदेशों से रबड़ को विदेशों से आयात करने का वचन दिया था ?

(घ) उन्होंने विदेशों से रबड़ की कितनी मात्रा का आयात किया है ?

(ङ) क्या रबड़ उत्पादकों से ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं यह कम्पनियां भारत में रबड़ की खरीद को इस लिए स्थगित रख रही हैं कि बाद में रबड़ को कम क़ीमतों पर खरीद सकें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कम्पनियों द्वारा खरीदी गई रबड़ की मात्रा इस प्रकार से है :

	डन्लप	फायरस्टोन
नवम्बर १९५२	९६१ टन	४६३ टन
दिसम्बर १९५२	४०३ ,,	४७९ ,,
जनवरी १९५३	८६६ ,,	८३५ ,,

सरकार को उनके द्वारा दी गई क़ीमतों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) स्पष्टतः माननीय सदस्य २८ अक्टूबर १९५२ से लागू होने वाली १३८ रू० प्रति १०० पौण्ड की कीमत का निर्देश कर रहे हैं। इस कीमत के निश्चित होने से पहिले इन दो कम्पनियों द्वारा पृथक् पृथक् रूप से खरीद की गई रबड़ की मात्रा के बारे म सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) । नहीं श्रीमान् तथा इसलिए (घ) उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) कुछ शिकायतें अवश्य मिली हैं। परन्तु सरकार ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं देखती कि निर्माता रबड़ सम्बन्धी अपनी सामान्य 'कोटे' की मात्रा को नहीं खरीद रहे हैं ।

कृष्णा नदी घाटी परियोजना

*६९०. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सत्र में संसद् की पंच-वर्षीय योजना सम्बन्धी चर्चा के बाद कृष्णा नदी घाटी विकास योजना के लिए कोई आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो कितनी राशि का आवण्टन किया गया है ;

(ग) क्या खोसला समिति की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय और मद्रास तथा हैदराबाद राज्य सरकारों के अस्थायी टेक्नीकल निष्कर्षों

के सम्बन्ध में प्रस्तावित सरकारी जांच पड़ताल आरम्भ हो चुकी है; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो क्या प्रबन्ध किए गए हैं तथा उनमें क्या प्रगति की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) अभी तक नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) तथा (घ) योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित जांच पड़ताल करने के कार्य में की गई प्रगति के सम्बन्ध में हैदराबाद तथा मद्रास सरकार को पूछताछ के पत्र लिखे गए हैं।

नागा क्षेत्र में निर्जन भूमि

*६९१. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कोई नागा क्षेत्र है जिसे अभी तक निर्जन भूमि समझा जाता है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) **का उत्तर** हां में है तो इस क्षेत्र का विस्तार तथा जन-संख्या कितनी है ?

(ग) ऐसे क्षेत्र का भारत तथा बर्मा सरकारों द्वारा कब सीमांकन किया जायगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नहीं, श्रीमान्, आचार व्यवहार से दोनों सरकारें नागा क्षेत्र के अ-सीमांकित क्षेत्र में अपने अपने भाग को जानती हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) मामले पर विचार हो रहा है।

भारतीय नागा ग्राम पर हमला

*६९२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नीरवो ग्राम के, जिस पर बर्मा के नागा लोगों ने हमला किया था तथा जिन्होंने ९३ व्यक्तियों को मार डाला था तथा जिनके सिर वे लेकर चम्पत हो गए थे, पीड़ित परिवारों को कुछ क्षतिपूर्ति धन दिया है।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : अभी तक कोई क्षतिपूर्ति धन नहीं दिया गया है, परन्तु बर्मा सरकार ने सिद्धान्त रूप से ऐसी पूर्ति का देना स्वीकार कर लिया है तथा इसके ब्यौरों को तय किया जा रहा है।

फिर भी जून १९५१ में ५०० मन चावल तथा ५० बोरी नमक को पीड़ित क्षेत्र में विमानों द्वारा गिराया गया था।

सिंगारिनी कोयला खानों के लिये वंटित रेलें

*६९३. **श्री विट्ठल राव** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५२ के दिन पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६४ के उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद राज्य की सिंगारिनी कोयला-खानों के लिए वंटित ६०० टन पुरानी रेलों को तब से भेज दिया गया है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इन कोयला-खानों में प्रदाय की कमी से उत्पादन में बहुत रुकावट पड़ रही है ?

(ग) क्या निकट भविष्य में लोहे तथा रेलों की मांग के पूर्णतः पूरा किए जाने की कोई सम्भावना है तथा यदि ऐसा है तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सिंगारिनी कोयला-खानों के लिए वंटित ६०० टन रेलों में से १९१ टन रेलें पहले ही दी जा चुकी हैं तथा शेष के शीघ्र भेजे जाने की आशा की जाती है।

(ख) जी हां। फिर भी हैदराबाद सरकार ने सूचना दी है कि तात्कालिक मांगों को पूरा कर दिया गया है तथा स्थिति कुछ न कुछ सुधर गई है।

(ग) इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस्पात उत्पादन सम्बन्धी प्रयत्नों को सरकार द्वारा तीव्र करने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस्पात उत्पादन को अधिक करने के प्रयत्नों के सफल होने के बाद कोयला-

खानों की मांगों को अधिक संतोषजनक आधार पर पूरा करना सम्भव हो सकेगा ।

कोयला उद्योग मंत्रणा समिति की सिफारिशें

*६९४. **श्री विट्टल राव** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५२ को कोयला-उद्योग मंत्रणा समिति की सिफारिशों के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न १२६७ के उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा यह बतलायेंगे कि क्या उसमें निर्दिष्ट विवरण को तैय्यार कर लिया गया है ?

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है ?

(ग) किन किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हा ।

(ख) स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वित करने की कार्यवाही का उल्लेख्य प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में किया गया है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११**]

बिजली के बल्बों का कारखाना

*६९५. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन फैक्टरियों के नाम क्या क्या हैं जहां विजली के बल्बों को बनाया जाता है; तथा

(ख) बाज़ार में इन कारखानों के बल्बों को किन किन व्यापारिक नामों से बेचा जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखियें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२**]

जूते व चमड़े के उद्योग

*६९७. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को विदित है कि मशीनों के बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाने की प्रतियोगिता के कारण देश के जूतों तथा चमड़े के उद्योग की बहुत बुरी हालत है जिस कारण इन कुटीर उद्योगों में लगे हुए बहुत से लोगों को आर्थिक हानि पहुंची है ?

(ख) क्या सरकार ने उद्योग योजना या कुटीर उद्योग योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के विकास के लिये किसी बोर्ड की स्थापना की है तथा यदि नहीं तो क्या वे इन उद्योगों के पुनर्संस्थापन के लिए किसी बोर्ड की स्थापना करने का विचार कर रहे हैं?

(ग) यदि किसी बोर्ड को पहले ही स्थापित किया जा चुका है तो वह क्या क्या कार्य कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जूतों तथा चमड़े के कुटीर तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की कठिनाइयों का कारण मशीनों के अधिक मात्रा में बनाए जाने की प्रतियोगिता नहीं है । ८५० लाख जोड़ा जूतों के अनुमित वार्षिक उत्पादन में से बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा केवल ५० लाख से लेकर ५५ लाख जोड़ों का उत्पादन किया जाता है तथा २०० लाख खालों आदि की वार्षिक तैय्यारी में से बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा केवल १५ लाख खालें ही तैय्यार की जाती हैं ।

(ख) सरकार ने एक अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की है । चमड़े का उद्योग भी इस बोर्ड के कामों में शामिल है ।

(ग) बोर्ड की स्थापना हाल में ही की गई है तथा इस समय वे अपनी योजनाओं को बना रहा है ।

आवश्यक तेल

*६९८. **श्री दामोदर मेनन :**
श्री केलप्पन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में किन किन आवश्यक तेलों को बनाया जाता है ?

(ख) इस समय किन किन आवश्यक तेलों का आयात किया जाता है तथा उनकी कुल कीमत क्या है ?

(ग) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस उद्योग के विकास की क्या सम्भावनाएं हैं ?

(घ) क्या इस उद्योग ने संरक्षण के लिए कोई प्रार्थनापत्र भेजा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता हैं । **[दखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) इस समय हम सामान्यतया उन्हीं आवश्यक तेलों का आयात कर रहे हैं जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता है । अग्रेतर विकास इस प्रयोजन से अपेक्षित पौदों की वैज्ञानिक दृष्टि के विस्तार पर निर्भर करता है ।

(घ) हाल के वर्षों में नहीं ।

'काफ़ी' की फसल सम्बन्धी आंकड़े

*६९९. **श्री एन० सोमना :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५२-५३ के सम्बन्ध में काफ़ी की फसल सम्बन्धी कोई आंकड़े तैय्यार किए गए हैं तथा यदि ऐसा है तो कुल कितने उत्पादन (टनों में) का अनमान किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार इस उत्पादन में से किसी भाग का विदेशों में निर्यात करना चाहती है तथा यदि ऐसा है तो कितनी मात्रा का; तथा

(ग) क्या देश में उत्पादित काफ़ी देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वर्ष १९५२-५३ के सम्बन्ध में फसल का अनुमान २१,००० टन है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जहां तक इस समय का अनुमान है, उत्तर हां में है ।

लकड़ी का गुद्दा

*७००. **कुमारी एनी मस्करीन :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में किन किन स्थानों पर लकड़ी का गुद्दा तैय्यार किया जाता है ;

(ख) लकड़ी के गुद्दे के तैय्यार करने की लागत क्या है ?

(ग) क्या लकड़ी के गुद्दे का आयात भी किया जाता है, तथा यदि ऐसा है तो कहां से तथा किस लागत पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लकड़ी के गुद्दे की केवल कुछ ही मात्रा को मशीनों द्वारा दालमियानगर (बिहार) में तैय्यार किया जाता है ।

(ख) सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ग) लकड़ी के गुद्दे का मुख्यतः सकन्डे-नेवियन देशों से आयात किया जाता है । लगभग लागत १५०० रु० प्रति टन है ।

चन्दर नगर पर भारत संघ के श्रम कानूनों का लागू करना

*७०१. **श्री तषार चटर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-संघ के श्रम कानूनों को चन्द्रनगर पर लागू किया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो उन्हें कब तक लागू किया जाने वाला है; तथा

(ग) क्या भारत संघ के श्रम सम्बन्धी कानूनों के वहां पर लागू न करने की अवस्था में फ्रैन्च श्रम संहिता को प्रयोग में लाया जाता है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) भारत संघ के श्रम कानूनों को चन्द्रनगर में शीघ्र ही लागू किया जायगा ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

भाकड़ा नंगल पर नियुक्त किए गए विदेशी विशेषज्ञ

४८६. **श्री दाभी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाकड़ा नंगल परियोजना में नियुक्त किए गए विदेशी विशेषज्ञों की संख्या कितनी है;

(ख) इन विशेषज्ञों की योग्यताएं तथा अनुभव क्या हैं ;

(ग) उनकी सेवा की अवधि तथा शर्तें क्या हैं; तथा

(घ) उन के वेतन तथा भत्ते किस स्रोत से दिए जाते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ४१ ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४ ।]

(घ) पंजाब सरकार का राजस्व ।

आसाम राइफल्स

४८७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राइफल्स की जन संख्या कितनी है;

(ख) क्या आसाम राइफल्स भारतीय सेना का एक भाग है,

(ग) क्या आसाम राइफल्स को आसाम राज्य से बाहर प्रयोग में लाने पर कोई प्रतिबन्ध लगे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) आसाम राइफल्स की ठीक ठीक जन-संख्या का बतलाना लोक हित में नहीं है ।

(ख) जी नहीं, यह एक केन्द्रीय असैनिक बल है जिसे सैनिक आधार पर संगठित किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

शस्त्र तथा गोला बारूद (निर्यात)

४८९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत शस्त्रों तथा गोला बारूद का किसी मात्रा में निर्यात करता है;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है तो १५ अगस्त, १९४७ से लेकर किस प्रकार के शस्त्रों तथा गोला बारूद का; किन देशों को तथा किन राशियों में इसका निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). व्यापार के रूप में शस्त्रों तथा गोले बारूद का निर्यात मना है तथा भारत

सामान्यतः इनका निर्यात नहीं करता है । बहुत कम अवसरों पर पड़ोस के मित्र देशों की प्रार्थना पर कुछ छोटे शस्त्रों तथा गोले बारूद का निर्यात किया गया है । इस निर्यात के प्रकार तथा देशों के नामों का बतलाना लोक-हित में नहीं है ।

केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के कर्मचारियों का सिक्कम में स्थानान्तरण

४९०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के कर्मचारियों का सिक्कम में स्थानान्तरण भारत सरकार के वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियमावली के नियम ४५ के अनुसार किया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग के कर्मचारियों का सिक्कम (गंगतोक) में अपनी डिवीज़न में स्थानान्तरण कोई 'वैदेशिक सेवा' नहीं है; अतएव नियमों के लागू करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत इराकी संधि

४९१. **श्री गणपति राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेम्बर्स आफ़ डेपुटीज़ की वैदेशिक-कार्य समिति द्वारा कुछ दिन पहले भारत-ईराक़ी सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो सन्धि की शर्तें क्या हैं ; तथा

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) भारत तथा ईराक़ में एक मैत्री सन्धि पर १० नवम्बर, १९५२ को बग्दाद में हस्ताक्षर किए गए थे । हस्ताक्षर कर्ता ईराक़ स्थित भारतीय मंत्री तथा ईराक़ी वैदेशिक-कार्य मंत्री थे । ईराकी चेम्बर आफ़ डेपुटीज़ द्वारा अनुसमर्थन २३ फर्वरी, १९५३ को किया गया था तथा अब ईराकी सेनेट के अनुसमर्थन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) सन्धि की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस–१२५३]**

(ग) सन्धि का अनुसमर्थन भारत सरकार द्वारा १० फर्वरी, १९५३ को किया गया था ।

महाराजा किशनगढ़ मिल्ज में हड़ताल

४९२. **श्री रघवय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की महाराजा किशनगढ़ मिल्ज़ की हड़ताल के फलस्वरूप कपड़े तथा धागे के उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मिल के बन्द हो जाने से उत्पादन में मासिक हानि ६४१,००० गज़ कपड़ा है ।

वस्तुओं की अन्तः राज्यिक गति पर प्रतिबन्ध

४९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन की गति पर अन्तःराज्यिक प्रतिबन्ध लागू होते हैं ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबन्ध-रहित वस्तुओं पर भी प्रतिबन्ध लगाने के लिए सहमत हो गई है ;

(ग) यदि ऐसा है तो ये वस्तुएं क्या क्या ; तथा

(घ) उन्हें किन किन राज्यों में लगाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) खाद्यान ।

चना तथा इसकी खाने योग्य वस्तुएं;
कच्चा कसावा;
केला;
दूध तथा दूध की बनी वस्तुएं;
महुवा;
वनस्पति ;
गन्ना ;
ढोर का चारा ;
बनोले;
लकड़ी का कोयला तथा लकड़ी ;
स्फेद तेल ; तकले का तेल, तथा खनिज तेल ;
ढोर ;
कोयला ;
नमक ;
टेबर्ट ऊन ;
चमड़ा उद्योग में काम आने वाली ऊन;
औषधि तथा श्रंगार आदि की वस्तुएं जिसमें अफीम भी शामिल है ;
तम्बाकू ;

(ख) जी हां ।

(ग) ढोरों का चारा;
बनौले;
केला; तथा
कसावा ।

(घ) बम्बई, पंजाब तथा त्रावणकोर-कोचीन ।

ग्राम्य-क्षेत्रों के लिये बिजली

४९४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बिजली को ग्राम्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जा रहा है ;

(ख) ग्राम्य क्षेत्रों में वे बड़ी या छोटी औद्योगिक परियोजनाएं कौनसी हैं जिन्हें अगले पांच वर्षों में बिजली द्वारा चलाया जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बिजली को बड़े पैमाने पर मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन तथा उत्तर प्रदेश में प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(ख) सामान्य रूप से विशेष प्रकार के ग्राम्य क्षेत्र या कृषि प्रधान क्षेत्र ही तेल निकालने की मशीनें, चावल का छिलका उतारने की मशीनें, आटे की मिलों, कपास से बनोले अलग करने की मशीनें, मोंगफ़ली छीलने की मशीनें, आरे चलाने की मशीनें आदि छोटे उद्योगों की स्थापना के उपयुक्त होते हैं । ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली की सहायता से इंजीनियरी के छोटे छोटे कारखाने भी स्थापित किए जा सकते हैं ।

बर्लप का निर्यात

४९५. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वर्ष में भारत से 'बर्लप' (टाट) का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है ?

(ख) वर्ष १९५२-५३ में अब तक के समय में कुल कितना निर्यात हुआ है ?

(ग) हमारे 'बर्लप' निर्यात का कितना प्रतिशत भाग अमरीका को गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक. अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

आस्ट्रिया से व्यापार

४९६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२ में आस्ट्रिया से भारत में आयात का तथा भारत से आस्ट्रिया को निर्यात का कुल कितना मूल्य था ;

(ख) क्या जुलाई १९५२ में भारत-आस्ट्रिया व्यापार समझौते के नवीकरण से व्यापार की स्थिति में कोई अन्तर आया है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो किस प्रकार से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक . अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी दो विवरण् सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

औषध तथा औषधियों के आयात लाइसेंस

४९७. **कर्नल जैदी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि औषध तथा औषधियों के लिए जो भारत में भी बनती हैं, आयात लाइसेंस बड़ी उदारता से दिए जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : नहीं, श्रीमान् ।

उत्तर प्रदेश के लिये सीमेन्ट

४९८. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को कुल कितना सीमेंट दिया गया है ; तथा

(ख) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सीमेंट इतनी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है कि किसानों को सिंचाई के कुओं की मरम्मत आदि के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सीमेंट नहीं मिल रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

१९५०	४१३,०६० टन
१९५१	४१०,८८० टन
१९५२	३६९,८०० टन

(ख) भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

कोयले का निर्यात

४९९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ तथा वर्ष १९५३ में इस देश से किन किन विदेशों को सीमेंट का निर्यात किया गया था ;

(ख) प्रत्येक देश को कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था; तथा

(ग) क्या वर्ष १९५२ तथा वर्ष १९५३ में किसी बाहर के देश द्वारा या उसकी ओर से कोयले की खरीद के लिए की गई प्रस्थापना को रद्द किया गया है, तथा यदि ऐसा है तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है जिसमें यह सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) वर्ष १९५३ में अभी तक कोई प्रस्थापना रद्द नहीं की गई है । वर्ष १९५२ में कुछ देशों की मांग को समूचे रूप से पूरा नहीं किया गया तथा अन्य देशों से कभी कभार की गई पूछ ताछ या प्रस्थापनाओं को इन कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सका :—

(१) कलकत्ता बन्दरगाह में एक मास में केवल ३ लाख टन माल को ही लादा जा सकता है । इसमें तटीय नौपरिवहन तथा निर्यात दोनों ही शामिल हैं ।

(२) आन्तरिक यातायात स्थिति के कारण कभी कभी निर्यात की प्रस्थापनाओं का रद्द करना आवश्यक हो जाता है ।

(३) इस वर्ष लगभग ३ महीने तक कलकत्ता की बन्दरगाह में जहाज़ों का बहुत तान्ता लगा रहा है ।

(४) निर्यात कार्यक्रम में, जिसे निश्चित काल के बाद तैय्यार किया जाता है, कुछ सामियक प्रस्थापनाओं को ठीक प्रकार से शामिल नहीं किया जा सका ।

पंच-वर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट

५००. श्री माधव रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंच-वर्षीय योजना की प्रगति सम्बन्धी छःमासिक या वार्षिक रिपोर्टों के प्रकाशित करने की कोई प्रस्तावना सरकार के सामने है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां । एक प्रगति रिपोर्ट संसद् के सामने अप्रैल, १९५३ के अन्त में प्रस्तुत की जायगी ।

सूती कपड़ों के टुकड़ों पर निर्यात शुल्क

५०१. श्री माधव रेड्डी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सूती कपड़ो के टुकड़ों के निर्यात कर्ता के रूप में भारत की बिगड़ती हुई दशा को विचार में रखते हुए क्या सूती कपड़ों के टुकड़ों पर जिन के बारे में अधिक दामों के होने से प्रतियोगिता नहीं हो सकती निर्यात-शुल्क दर को कम करने की कोई प्रस्तावना की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मोटे तथा बढ़िया कपड़े पर निर्यात शुल्क को मूल्य के अनुपात के १० प्रतिशत भाग तक पहले ही कम कर दिया गया है । बढ़िया तथा बहुत बढ़िया कपड़े पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लिया जाता ।

मोटरकारें, व्यापारिक गाड़ियां तथा ट्रैक्टर (आयात)

५०२. श्री एल० जे० सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१, वर्ष १९५१-५२ तथा वर्ष १९५२-५३ में कितनी मोटर कारों, व्यापारिक गाड़ियों तथा कृषि सम्बन्धी ट्रैक्टरों का आयात किया गया था तथा आयात का कुल मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

बर्मा सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय नागरिक

५०३. श्री रिशांग किशिंग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा क्षेत्र में अवैध गिरफ्तार किये गए भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या कुछ भारतीय नागरिकों को आप्रवास अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों से पृथक अपराधों के लिए भी गिरफ्तार किया गया है ; तथा

(ग) क्या मनीपुर के किसी भारतीय नागरिक को भी तमु में किसी विधिक अधिकारी के सामने प्रस्तुत किये बिना निरूद्ध किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) . सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रखी जायगी ।

(ग) १७ जनवरी, १९५३ को मनीपुर की पांच महिलाओं को चोरी छिपे चावल लाने के लिये बर्मा के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा तमु थाने के अधिकारियों को सौंप दिया गया था । सम्भवतः बर्मा सरकार उन पर अपने

आयात तथा निर्यात नियमों के उल्लंघन करने के अपराध के लिये मुकदमा चलायेगी ।

हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उन्हें किसी वधिक अधिकारी के सामने पेश किया गया था ।

प्रेस सम्मेलनों में मान्यता का देना

५०४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने प्रेस संवाददाताओं को मान्यता प्राप्त है तथा उनमें से कितने साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि देशीय भाषाओं के प्रतिनिधियों को वही सुविधायें नहीं दी जाती हैं जो कि अंग्रेजी पत्रों के प्रतिनिधियों को दी जाती हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि विदेशी पत्रों के प्रतिनिधियों को देशीय पत्रों के प्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक सुविधायें दी जाती हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) क्रमशः ११५ तथा १४ । उत्तरोक्त में चार दैनिक पत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं ।

(ख) तथा (ग) । नहीं, श्रीमान, सभी प्रेस संवाददाताओं को वही सुविधाएं दी जाती हैं

रंगून में भारतीय शिक्षा समाज

५०५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रंगून में भारतीय शिक्षा समाज नाम की एक संस्था रंगून के भारतीयों के बच्चों के लिए एक हाई स्कूल चला रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या उक्त समाज को सरकार से या वहां के भारतीय दूतावास से कोई अनुदान मिलता है या क्या यह स्वयं भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई सरकारी संस्था ही है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, जो वहां पर प्रव्रजन कर जाने वाले आन्ध्रवासी मज़दूरों की सन्तान हैं, तीलोगो भाषा के बोलने वाले हैं ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस समाज द्वारा चलाए गए स्कूल में तीलोगो पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का इस संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा न ही भारत सरकार द्वारा इस संस्था को कोई सहायता धन दिया जाता है ।

(ग) ४४८ कुल संख्या में से मज़दूरों के बच्चों की संख्या ३२ है । उनमें से केवल २२ बच्चे तीलोगो भाषी हैं ।

(घ) जी हां ।

खादी हाथकरघे तथा मिल का कपड़ा

५०६. **श्री दामोदर मेनन** :
श्री केलप्पन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ के प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार ने अपने प्रयोग के लिये खादी, हथकरघे तथा मिल के कपड़े की क्रमशः कितनी कितनी मात्रा की खरीद की थी ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कपड़े की खरीद सम्बन्धी आंकड़ों को सरकार द्वारा वित्तीय वर्षों के अनुसार रखा जाता है । सूचना नीचे दी जा रही है :

	वर्ष	गज़-संख्या	मूल्य
(१)	खादी कपड़ा १९५०-५१	९०,०००	९६,०००
	१९५१-५२	४०,०००	६७,०००
	१९५२-५३	८,०००	२७,०००*
(२)	हथ करघे का कपड़ा		
	१९५०-५१	१,३५७,०००	६,८३,०००
	१९५१-५२	३,५२५,०००	१२,९५,०००
	१९५२-५३	१,२८६,०००	४,७६,०००*
(६)	मिल का बना कपड़ा		
	१९५०-५१	२६,५४५,०००	३०४,१०,०००
	१९५१-५२	२९,९९२,०००	३,८६,६०,०००
	१९५२-५३	२५,३२२,०००	३,५२,२८,०००*

*आंकड़े केवल ३१ जनवरी १९५३ तक ही हैं।

चमड़े के कारखाने

५०७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में चमड़े के कितने कारखाने हैं तथा कहां कहां हैं ; तथा

(ख) वर्ष १९५१ तथा वर्ष १९५२ में पश्चिमी तथा भारतीय क़िस्मों के जूतों का उत्पादन पृथक् पृथक् रूप से कितना रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]

तामलनाद में दियासलाई के कारखाने

५०८. **श्री वीरस्वामी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलनाद में दियासलाई बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है ?

(ख) इन कारखानों में वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में दियासलाई कितनी मात्रा में बनाई गई है ; तथा

(ग) उपरोक्त वर्षों में तामलनाद दियासलाई बनाने वाले कारखानों द्वारा कुल कितना उत्पादन शुल्क दिया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ८०।

(ख)

वर्ष	उत्पादन (गुरुसों के बक्सों में)
१९५०-५१	१२,५९३,०००
१९५१-५२	१३,३६७,०००
१९५२-५३ (अप्रैल ५२ से जनवरी ५३ तक)	१२,५४८,०००

(ग)

	उत्पादन शुल्क रु०
१९५०-५१	३,०७,८८,०००
१९५१-५२	३,०४,३०,०००
१९५२-५३ (अप्रैल '५२ से जनवरी '५३ तक)	२,०८,४७,०००

विज्ञापन

५०९. **श्री यू० एस० दुबे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ तथा वर्ष १९५२-५३ में भारत सरकार ने हिन्दी तथा अंग्रेजी के समाचारपत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशित कराने के लिये अलग अलग रूप से कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : वर्ष १९५१-५२ में भारत सरकार ने हिन्दी तथा अंग्रेजी पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में जो धन-राशि दी है, वह इस प्रकार से है :

	रु०
हिन्दी	७३,७८३
अंग्रेजी	३,८०,५४५

वर्ष १९५२-५३ के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथा उचित समय पर सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
११ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit 18.3.12 Fumigated ... Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, ११ मार्च १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

श्री के० टी० शाह की मृत्यु

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को प्रो० के० टी० शाह, जो कि अन्तरिम संसद् के एक सदस्य थे, की शोकपूर्ण मृत्यु का समाचार देना है। मैं सदन की ओर से प्रो० शाह के देहावसान पर शोक प्रकट करना चाहता हूं । सदन कृपया शोक प्रकट करने के लिए खड़ा हो जाये तथा मौन धारण करे ।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सूचना देनी है कि राज्य परिषद् को निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिपारिश नहीं करनी है :—

(१) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक, १९५३ ।

(२) भारतीय तटकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ ।

श्री वी० जी० देशपांडे द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री के कल के वक्तव्य के सिलसिले में श्री देशपांडे वैयक्तिक स्पष्टीकरण के रूप में कुछ कहना चाहते थे । मैं ने इस पर विचार किया तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी माननीय सदस्य को, जिसके बारे में सदन के अन्दर अथवा बाहर कुछ कहा गया हो, अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्राप्त होना चाहिये । इसलिए मैं श्री देशपांडे को वैयक्तिक स्पष्टीकरण के रूप में एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का अवसर देता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : ८ मार्च १९५३ की दिल्ली घटना के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री ने कल जो वक्तव्य दिया, उस में मुझ पर कई गम्भीर आरोप लगाए गए । श्रीमान्, मुझे प्रसन्नता है कि आप ने मुझे उन आरोपों के खंडन का अवसर दिया है । बात इस तरह है कि ८ मार्च को सायं के साढ़े पांच बजे मैं ने बारा टूटी में एक सभा में भाषण दिया । भाषण के समय कोई ऐसी वैसी घटना नहीं हुई, केवल सात बजे के लगभग पुलिस की एक पार्टी ने शान्तिप्रिय नागरिकों पर लाठी प्रहार करना आरम्भ किया। मंच पर बैठे कुछ व्यक्तियों को भी कुछ दंडे पड़े। इतने में मजिस्ट्रेट श्री जे० डी० शर्मा भी वहां आ पहुंचे । मैं ने उन से पूछा

[श्री वी० जी० देशपांडे]

कि क्या जलसे जलूसों पर कोई पाबन्दी है । उन्होंने बताया कि ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है और हम सभा को जारी रख सकते हैं। लोग फिर इकट्ठे होने शुरू हुए । इतने में कुछ व्यक्तियों ने सभा में गड़बड़ फैलाने के लिए हेमचन्द्र जैन अस्पताल बिल्डिंग से पत्थर बरसाने शुरू किये, श्री शर्मा ने मुझे बताया कि चूंकि पथराव शुरू हुआ है इसलिए सभा को विसर्जित करना अच्छा होगा । मैं ने मेजिस्ट्रेट साहब की यह सलाह मान ली तथा इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा कि कार्यक्रम के अनुसार हमारा इसी स्थान से एक जलूस भी निकलेगा तथा प्रो० रामसिंह इसका नेतृत्व करेंगे । हम ने उन से फिर पूछा कि आया जलूसों पर कोई पाबन्दी तो नहीं । उन्होंने उत्तर में कहा कि ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है । मैं नई दिल्ली वापस आ ही रहा था कि पुलिस ने आंसू रुलाने वाली गैस प्रयोग में लाई । एक ज़िम्मेदार संसद् सदस्य की हैसियत से मैं वहां ठहरा तथा मैं ने पुलिस से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है । उनके पास कोई उत्तर नहीं था । लोग फिर इकट्ठे हो रहे थे । जब वह पहाड़गंज के नज़दीक आ गए तो पुलिस पुनः दंडा प्रहार करने की तैयारी करने लगी । मैं ने श्री शर्मा तथा सदरबाज़ार के डी० एस० पी० से यह जानने की कोशिश की कि उनके इरादे क्या थे । श्री शर्मा ने मुझ से तथा प्रो० राम सिंह से पूछा कि क्या यह जलूस संसद् भवन की तरफ जायगा । हम ने उसे बताया कि हो सकता है कि यह वहां भी जाये । उन्होंने डी० एस० पी० से कुछेक मिनट मश्वरा कर के जलूस को अवैध घोषित किया । मैं ने जलूस को विसर्जित करने में पुलिस की सक्रिय रूप से सहायता की । वहां प्रो० रामसिंह के समेत केवल वही लोग रहे जो कि सत्याग्रह करना चाहते थे । उन्हें गिरफ्तार किया गया । लोग विसर्जित हुए तथा मेजिस्ट्रेट श्री शर्मा ने मुझे पुलिस की सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया । माननीय गृह मंत्री न मुझ पर जो निराधार आरोप लगाए हैं, मैं उनका पूर्णतया खंडन करता हूं । * * *

प्रधान मंत्री तथा वैदेशक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य का वक्तव्य पूरा जाना चाहिये तथा इस में से कुछ अपमार्जित नहीं होना चाहिये । इस का किसी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । जहां तक माननीय सदस्य के इस कथन का सम्बन्ध है कि उन पर लगाए गये आरोप निराधार हैं वहां तक यह सब कुछ ठीक है । परन्तु अन्त में उन्हों ने जो शब्द कहे हैं वह उचित तथा शिष्ट नहीं हैं । इसलिए यह शब्द रिकार्ड में नहीं रहेंगे । जो भी शब्द अपमार्जित किये जाते हैं वह कहीं भी समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे और न ही प्रसारित होंगे ।

संसद् अधिकारियों क वतनों तथा भत्तों से सम्बन्धित विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं संसद् अधिकारियों के वेतनों तथा भत्तों से सम्बन्धित विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया

श्री बिस्वास : मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

---

*सभापति के आदेशानुसार अपमार्जित

सामान्य आयव्ययक—साधारण चर्चा—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब सामान्य बजट पर अग्रेतर चर्चा करेगा ।

मेरा विचार है कि मैं माननीय मंत्री को ६-३० म० प० उत्तर देने के लिए कहूंगा। अन्य सदस्यों को इसलिये साढ़े छे बजे से पहले ही बोलना पड़ेगा ।

श्री मुनिस्वामी अपने कल वाले भाषण को जारी रखेंगे ।

श्री मुनिस्वामी (टिंडिवनम्) : कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि वर्तमान बजट पंचवर्षीय योजना पर आधारित है । माननीय वित्त मंत्री कई बार कह चुके हैं कि इस योजना को कार्य रूप देने के लिए उन्हें जनता का सहयोग चाहिये । इस उद्देश्य के लिए योजना के अनुसार दो संस्थाएं अर्थात् भारत सेवक समाज तथा राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित की गई हैं । किन्तु इन संस्थाओं में केवल एक ही राजनीतिक दल के अनुयायी हैं । अन्य दलों की उपेक्षा की गई है ।

योजना में परिवार आयोजन अर्थात् सन्तान-निरोध के लिए ६५ लाख रुपये का उपबन्ध रखा गया है । यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि यह कैसे खर्च किया जायगा ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, छात्र वृत्तियों के लिए बजट में ४० लाख रुपये रखे गये हैं । इस बारे में हाल ही में जो सूची प्रकाशित हुई है, उसमें तामिलनाद की पिछड़ी हुई जातियों से एक भी उम्मीदवार नहीं । धोबी सम्प्रदाय तथा नाई सम्प्रदाय जिन्हें कि बम्बई तथा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया गया है, मद्रास में पिछड़ी हुई जातियों में रखे गए हैं । मैं चाहता हूं कि इन्हें मद्रास में भी शीघ्र ही अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाय ।

पुरातत्व विभाग पर जो धन व्यय किया गया है वह बेकार गया है । नागार्जुन-कोंडा में पर्यालोकन कार्य पर जो हज़ारों रुपये व्यय किया गया है, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है । बताया जाता है कि नन्दीकोंडा परियोजना के क्रियान्वित होने से सम्पूर्ण नागार्जुन कोंडा जलमग्न हो जायगा । जहां तक मुझे मालूम है, सरकार ने नागार्जुन कोंडा में पाये गए अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है । पुरातत्व विभाग के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह विभाग अपने धन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में व्यय करता है । दक्षिण भारत की उपेक्षा की जा रही है, विशेष कर कावेरीपुम्पट्टिनम, कोरकई तथा मदुरा जैसे ऐतिहासिक स्थानों की जहां कि चेरा, चोला तथा पांडया राज किया करते थे ।

जहां तक अनुसन्धान केन्द्रों का सम्बन्ध है, यह देश की प्रगति के लिए आवश्यक हैं । किन्तु इस के साथ ही हम कुछ ऐसी अनुसन्धान संस्थाएं भी देखते हैं जहां पांच पांच छे छे वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई विशेष काम नहीं हुआ है । बर्रकपुर, मंडपम तथा बम्बई के मीन-क्षेत्रों को ही लीजिये, वहां रुपया बेकार जा रहा है । सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये । यदि यही धन अकालग्रस्त क्षेत्रों, तंजोर, तथा त्रिचनापली के ज़िलों पर खर्च किया जाता तो अधिक अच्छा होता ।

हम चाहते हैं कि डाक खर्चा कम किया जाये । इसका मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था । परन्तु इसके उलट हम देखते हैं कि यह अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दिया गया है । इस तरह से लोगों को चिट्ठी भेजना भी कठिन होगा । जहां तक ग्राम डाकखानों का सम्बन्ध है, यह फायदेमन्द नहीं । इन में जो कर्मचारी लगे हैं वह अंश-कालिक हैं । जब तक कि इन्हें अभिज्ञात न किया जाये

[श्री मुनिस्वामी]

तथा इनका मासिक वेतन निश्चित न किया जाये, इनका होना न होना एक ही बात है ।

घाटे के बजट के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । हम में से कुछ सदस्यों ने कहा कि घाटे का बजट रखना एक खतरनाक तथा जोखिमपूर्ण बात है । माननीय वित्त मंत्री स्वयं इसके दुष्परिणामों से सुपरिचित हैं । हो सकता है कि इस से हमें कुछ लाभ हो, परन्तु इस से पहले हम में आत्म-संयम की भावना उत्पन्न होनी चाहिये ।

तामिलनाद के दो ज़िलों कोयम्बटोर तथा मदुरा में सामुदायिक परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं । श्रीमान्, इन्हीं दो ज़िलों में कांग्रेस का ज़ोर माना जाता है । इसके विरुद्ध दक्षिणी अरकाट में, जो कि एक पिछड़ा हुआ है, कोई सामुदायिक परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई, यद्यपि पहले ऐसा विचार था । आखिर, इसकी उपेक्षा क्यों की गई ? उनका दोष क्या था ? उनका दोष केवल यह था कि उन्हों ने कांग्रेस को वहां हरा दिया ।

सामुदायिक परियोजनाओं पर जो ५०० करोड़ रुपये खर्च किया गया है उस में से ४५० करोड़ अथवा ९० प्रतिशत भाग उत्तर भारत में खर्च किया गया है । सीधी सी बात है कि दक्षिण की उपेक्षा की गई है । मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि और अधिक सामुदायिक परियोजनाएं शुरू की जायें, नहीं तो उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा ।

श्रीमती मणिबैन पटेल (कैरा—दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बहस में शरीक होने का मेरा कोई ख्याल नहीं था । परन्तु कल और परसों कुछ बातें मैं ने सुनीं, उन से मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए। आपने ठीक कहा कि प्राहिबीशन सैंट्रल सबजेक्ट नहीं है, परन्तु इधर कई सदस्य ऐसे हैं जिन को बम्बई की प्राहिबीशन पालिसी पैसे के लिये बाधा डालती है ऐसा लगता है, वह लोग कहां घूमते फिरते हैं, मुझे पता नहीं । आप देहात में जाइये और देखिये तब पता लगेगा कि इस पालिसी से ग़रीब लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है । कल बिलासपुर के एक सदस्य ने बात की कि हमारे विधान में बहुत सोच समझ कर आप ने पार्ट सी स्टेट्स को रखा और सरदार साहब ने काफ़ी सोच कर इसका इन्तज़ाम किया था । अगर आप यह कहते हों तो जिस तरह से पार्ट सी स्टेट्स का उस दफ़ा ख्याल किया गया था, उस तरीक़े से रखो तो ठीक बात है आप ने कहा कि मणिपुर है, कच्छ है, यह हमारे स्ट्रेटजिक प्वाइंट हैं, इसलिये इन को पार्ट सी स्टेट्स रखा गया । यह बात सही है । परन्तु जिस प्रकार का आज इनका नक़शा बन रहा है उस में वह बात तो बैठती नहीं । अगर वे इतने स्ट्रैटजिक प्वाइंट थे तो उनका शासन सैंटर के पास ही रहना चाहिये । मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती है कि हमारे अर्थ मंत्री और उनकी मिनिस्ट्री जो छोटी सी बात में अगर थोड़े से पैसे देने को होते हैं तब तो अड़ बैठते हैं, कभी मंज़ूरी नहीं देते और पार्ट सी स्टेट्स का आज जिस प्रकार का नक़शा बन रहा है और जो मिनिस्ट्रीयां बनाई हैं, उन में आज कितना खर्चा हो रहा है इस को नहीं देखते । आप लोग कम्युनिटी प्राजैक्ट के लिये पैसा चाहते हैं । मैं तो यह कहती हूं कि यह पार्ट सी स्टेट्स वाले यह कहें कि इस तरह से इस प्रकार के सैटअप में पैसा न खर्चते हुए यही पैसा हमारे यहां कम्युनिटी प्राजैक्ट में खर्चिये, तो उस से ज्यादा लाभ होगा । परन्तु मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग इस प्रकार 'ऑन पार' रहना चाहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स से, तों वह लोग अपने

लिए सोचते हैं या अपने लोगों के लिए उन्होंने यह भी बात कही कि पार्ट सी स्टेट्स के ऐडमिनिस्ट्रेटर बदले नहीं जाते । यह कहा कि एक जगह रहने से 'सेस पूल' के ऐडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं । बहुत साल तक एक जगह पर रहने से उनके काफी स्ट्रांग लाइक्स डिसलाइक्स और प्रिज्यूडिसेज हो जाते हैं । तो मेरा कहना यह है कि आप यह 'सेस पूल' के ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं चाहते तो आप क्यों 'सेस पूल' में रहते हो, बगल के स्टेट्स के साथ मर्ज हो जायें, बड़े समुद्र या नदी में बहने लगिये । बड़े बड़े बगल के स्टेट्स में मर्ज हो जाइए और आप में इतनी क़ाबलियत है और लोगों में आप के लिए इतनी मुहब्बत पैदा कर सको तो बड़े स्टेट में भी आप को मौक़ा मिल जायगा । परन्तु सही बात क्या है ? आप दिल से सोचिये कि आप अपने लिये यह बात करते हैं या लोगों के लिये करते हैं । मुझे तो समझ में नहीं आता और मैं कई बार सोचती हूं कि हमारे अर्थ मंत्री इस को कैसे मान गये, क्योंकि जब कंट्रोल की बात आती है तो उस में ऐसे अड़ जाते हैं जिस में लोगों को काफ़ी परेशानी है, तकलीफ़ है, उस की बात नहीं सोचते हैं तब तो कहते हैं कि हमारा सब प्लान हमारा सब नक़शा बिगड़ जायगा अगर कंट्रोल ढीला करें । मैं आप को एक ही बात का उदाहरण देना चाहती हूं आप को यहां दिल्ली में बैठे बैठे लोक सभा के सदस्यों को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती । आते ही यहां तुरन्त आप को राशन कार्ड मिल जाते हैं । तुरन्त राशन मिल जाता है । आप और जगह जाइये और देखिये कि क्या होता है । हफ्ते हफ्ते तक अगर कोई मेहमान आता है तो राशन कार्ड नहीं मिलता है । मैं खुद जब दिल्ली से अहमदाबाद गयी तो २० दिन बाद मुझे राशन कार्ड मिला दो महीने से अहमदाबाद में जो गेहूं दिया जा रहा है वह इतना सड़ा हुआ है । एक दिन मेरा कलैक्टर के साथ अकस्मात कहीं मिलना हुआ । मैं ने कहा कि ऐसा गेहूं क्यों देते हो, उन्होंने जवाब दिया कि वहां से आता है वही देते हैं । दुकानदार से पूछा कि ऐसा सड़ा गेहूं क्यों देते हो, तो उस ने कहा कि सरकार सड़ जाता है तभी गेहूं निकालती है लोग तकलीफ़ पाते हैं और सरकार बदनाम होती है । आप को दिल्ली में बैठे बैठे पता नहीं है । तो मेहरबानी कर के आप सोचिये, इस में आप को कुछ करना है । अब इतने पैसे आप परदेश से अनाज लाने में खर्चते हैं और वह महंगा भी मिलता है । मैं कहती हूं कि इस में से चौथाई हिस्सा भी किसानों को दें, उन को प्रोत्साहन दें, बीज खाद दें, तो आप का मामला जल्द सुधर जाय । परन्तु इस तरफ़ न देखते हुए अगर लोगों की तकलीफ़ का ख्याल नहीं करेंगे तो आप असन्तोष नहीं निकाल सकेंगे ।

आप कम्युनिटी प्राजैक्ट और फोर्ड फाउंडेशन प्राजक्ट में चाहते हैं कि लोग उत्साह से भाग लें । यह बड़ी अच्छी बात है । लोग उत्साह से भाग लेना चाहते हैं । उस से देश का भला होगा, यह भी मैं मानती हूं । फोर्ड फाउंडेशन और कम्युनिटी प्राजैक्ट के साथ मेरा कुछ सम्बन्ध है, इसलिये मैं कहती हूं कि जिस तरह से काम हो रहा है, शासन चल रहा है, उस में काफ़ी मुसीबतें हैं और लोगों को उत्साह नहीं रहता क्योंकि आप उस को मंजूर करते हो तो उस के बाद कई महीने तक स्टाफ़ का सैंक्शन नहीं होता । स्टाफ़ सैंक्शन होने के बाद कई महीनों तक उन को तनख्वाह नहीं मिलती । अगर छोटे छोटे आदमी छोटी तनख्वाह वाले कर्मचारी वहां रखे जाते हैं और उन को दो दो तीन तीन और चार चार महीने तक तनख्वाह नहीं मिले तो बेचारे किस तरह काम करें । उन को उत्साह किस तरह से हो ? उन को कई

[श्रीमती मणिबैन पटेल]

मील तक देखने को रहता है। उन के ऊपर जो आफ़ीशियल और नान आफ़ीशियल कर्मचारी रखे जाते हैं, उन को हर गांव में जा कर देखना होता है। वह किस तरह से ठीक तरह से देखभाल करें, जब उन के लिये इस काम के लिये कोई वाहन का और प्रवासखर्चे का इन्तज़ाम न हो। तो मैं अपने प्लानिंग कमीशन के मैम्बरों से और अर्थ-मंत्री से एक विनती करती हूं कि इस तरफ़ आप देखिये और इस को जल्दी हल कीजिये।

आप उस पंचवर्षीय योजना का देश भर में प्रचार करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमको प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखने को चाहिए, तो वह तो हमारे पास छपी हुई मौजूद नहीं है, हां, अलबत्ता एक छोटा सा पीपुल्स एडीशन आपने ज़रूर निकाला है, लेकिन उससे लोगों को पूर्ण सन्तोष नहीं होता, क्योंकि उसमें पूरी चीज़ नहीं छपी हुई हैं, लोग तो पूरी चीज़ देखना चाहते हैं तभी उनको संतोष हो सकता है। साधारण नागरिक यह देखना चाहता है कि उस योजना के अन्दर अपने प्रान्त के, जिले के बारे में क्या क्या योजनाएं हैं, लेकिन जब वह उस छोटी सी किताब में उन चीज़ों को नहीं पाता तो उसको बड़ी निराशा होती है। इसलिये मेरी विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह पंचवर्षीय योजना सफल हो और लोग उसको कामयाब बनाने में सहयोग करें और पूरे उत्साह से इसमें काम करें तब आपको इस योजना को जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह छपाने और पबलिक तक इसको पूर्ण शक्ल में पहुंचाने का इन्तज़ाम करना चाहिये।

आप देखिये कि पार्ट सी स्टेट्स की आज कल क्या हालत हो रही है दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए. दल्ली पार्ट सी स्टेट है, दिल्ली के शासन और केन्द्र के बीच में बात चलती है और रोज़ उनके बीच कशमकश चल रही है, दिल्ली राज्य वाले कहते हैं कि अगर हम को शासन का कार्य चलाने को दिया है, तो हम को यह सब चीज़ें दे दो, वह चाहते हैं कि हम पार्ट बी० स्टेट के समान अधिकार और स्टेट्स दे दो, फलस्वरूप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, शासन कार्य में अनुचित विलम्ब होता है और खर्च भी अधिक होता है और लोगों का इससे कोई भला भी नहीं होता। तो मैं तो यह कहती हूं कि सचमुच अगर आपको इकोनामी करनी हो, खर्चा कम करना हो तो आप एक टार्गेट फ़िक्स करिए कि इतने सालों में यह सब पार्ट सी० स्टेट्स को मर्ज कर दिया जायगा और उनमें से जो स्ट्रटजिक प्वाइंट पर हों उनका शासन केन्द्र के अधीन रहेगा। आज इन पार्ट सी० स्टेट्स पर काफ़ी खर्चा भी आ रहा है और उनको शासन-कार्य चलाने के लिए अच्छे और योग्य आदमी भी नहीं मिलते हैं। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

कुछ व्यक्तियों ने कर्मचारियों की तनख्वाह घटाने का सुझाव दिया है, मैं उनकी तनख्वाह घटाने के लिए तो नहीं कहती, परन्तु उन की संख्या अवश्य घटाइए, आधी कर दीजिये। तनख्वाह पूरी दीजिए और काम उनसे पूरा लीजिए और यह देखिये कि वह अपनी ड्यूटी ठीक तरह से देते हैं। देश में जब स्वराज्य आया तो लोग आशा रखते थे कि अब हम को सरकार के वहां से जल्दी हमारी बातों का ठीक तरह जवाब मिलेगा और हमारा क़ाम जल्दी होगा, लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी हालत नहीं सुधरी है, वही ढीली रफतार जारी है और कभी कभी

तो महीने और साल भर तक अपने पत्रों का जवाब नहीं मिलता है और निस्सन्देह आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हर एक चिट्ठी के लिए कोई सदस्य मंत्री के नोटिस में लावे और तब जा कर उस पत्र का जवाब मिले, मैं चाहती हूं कि सरकार इस तरफ़ ध्यान दे और शीघ्र सुधार करे ।

प्रति वर्ष आप हमको हर एक मिनिस्ट्री के बारे में एक रिपोर्ट देते हैं और कई कई रिपोर्ट में चार्ट होता है जिसमें सबसे ऊपर मंत्री, फिर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी वगैरह दिये होते हैं, देखने में तो वह चार्ट बहुत अच्छा लगता है, परन्तु उसका परिणाम वास्तव में क्या है, जितने अधिक कर्मचारी बनाते हैं, उतनी ही काम में ढील होती है क्योंकि एक को दूसरे और दूसरे को तीसरे और इसी प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी काम को डिस्पोज़ करना होता है और इस में काफ़ी वक्त और देर लगती है और इन्क्वायरी करने और एक दूसरे को पूछने में, होता यह है कि कागज़ भी खो जाते हैं । पोस्टल सर्विस की स्थिति यह है कि चिट्ठियां ठीक तरह से पहुंचती नहीं, दफ़्तरों से चिट्ठी भेजते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता, रजिस्टर्ड कर के भेजते हैं, तो भी उसका कोई जवाब नहीं मिलता, अब भला बतलाइये कि उसके लिये दोषी कौन है, अगर मिनिस्ट्री नहीं तो पोस्टल विभाग हो सकता है, मैं जानती हूं कि वहां भी काफ़ी त्रुटियां हैं और यह बात सम्बन्धित मंत्री भी कबूल करते हैं कि हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है और मैं चाहती हूं कि उसकी तरफ़ सरकार को ध्यान करना चाहिए और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए । यह बड़े दुःख और अफ़सोस का विषय है कि सर्विसेज़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमको बदनाम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हटाने के लिये अगर आपको विधान में तबदीली भी करनी पड़े तो आप करने से न हिचकिचायें । शासन में सुधार लाने के लिये अगर विधान में कुछ बदलाव जरूरी हो तो वह भी हमें करना चाहिए ताकि जनता को पूर्ण राहत और संतोष मिले, इस तरह से हमको काम करना चाहिए । हिन्दी में काम शुरू करने का विचार है, हमारा पन्द्रह साल के भीतर सब जगह, लेकिन अगर हम इसके लिए अभी से प्रयत्नशील नहीं होते तो यह तो हो नहीं सकता कि पन्द्रह साल खत्म होने के दूसरे दिन से ही सारा काम हिन्दी में होने लगेगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को हिन्दी को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिएं, कुछ पार्ट बी स्टेट्स हैं जहां अब तक हिन्दी में काम होता था लेकिन वहां आज क्या चल रहा है, वहां हिन्दी के बजाय अंग्रेज़ी में काम चलता है और यह चीज़ उनको खटकती है । इसलिए मेरा कहना है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और इस बारे में कुछ न कुछ इन्तज़ाम जल्दी होना चाहिए । इसलिए मेरा अन्त में आप से केवल यही कहना है कि अगर यह काम ठीक तरह से करवाना चाहते हैं तो फ़ौरन कोई रास्ता निकालिये जिससे हमारे लोगों को न्याय उचित व जल्दी मिले, लोग तो उम्मीद करते थे कि अब जब कि हमारा राज्य हो गया है तो हमको न्याय मिलने में जो देरी होती है, तक़लीफ़ होती है, खर्चा होता है, उसमें कमी होगी लेकिन आज हमारी आशा के विपरीत हो रहा है आज वकील यहां है, क़ानून का एक अर्थ करता है और यहां से बगल में जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो दूसरा ही, अर्थ लगता है । हमें न्याय को जल्दी सुलभ करने के लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना चाहिए ताकि लोगों को अपने देहातों में ही न्याय मिले और जल्दी मिले और आसानी से मिले और कम खर्च से मिले इसका कुछ

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

इन्तजाम सरकार द्वारा अवश्य किया जाय। बस मेरी सरकार से यही विनती है।

श्री सी० आर० मुदलियार (कुम्बकोणम्): श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये वित्त मंत्री जी ने घाटे का बजट प्रस्तुत करने का जो साहस किया है, उस की हम सराहना किये बिना नहीं रह सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने उनके इस प्रस्ताव की आलोचना की। किन्तु उस से केवल यही एक बात प्रकट होती है कि वह देश की करभार उठाने की शक्ति से अनभिज्ञ हैं। मैं मंत्री जी के उस निश्चय का भी स्वागत करता हूं जिसके द्वारा उन्होंने कर-मुक्ति की सीमा बढ़ा दी है। इससे जहां सरकार की बहुत ही कम हानि होगी वहां ७०,००० मध्यवर्गीय परिवारों को सुभीता मिलेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री के इस कथन से पूर्णतयः सहमत हूं कि विलास सामग्री के आयात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। बल्कि मैं यहां तक चाहता हूं कि विलास सामग्री के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिये। मोटर कारों के आयात पर स्थायी रूप से तथा पूर्णतयः पाबन्दी लगनी चाहिये।

जहां मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि विलास सामग्री पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है वहां मैं यह समझने नहीं पाया हूं कि सुपारी पर क्यों आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। सुपारी कोई विलास की वस्तु नहीं, यह गरीबों के मनोरंजन की चीज़ है। यदि इस पर शुल्क बढ़ा दिया गया तो इसका बुरा प्रभाव गरीबों पर ही पड़ेगा। इसके अलावा सुपारी स्वास्थ्य के लिये भी ठीक है, इसका हमारी सभ्यता से घनिष्ट सम्बन्ध है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं सदन से तथा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस वस्तु पर आयात शुल्क न बढ़ाया जाय।

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कुटीर उद्योगों विशेषकर खादी में जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में हथकर्घा उद्योग पर लगभग एक करोड़ लोग निर्वाह कर रहे हैं। केवल मद्रास राज्य में ५ लाख परिवार इस उद्योग पर गुज़ारा कर रहे हैं। इन लोगों की आज बड़ी दुर्दशा है। बाज़ार में मन्दी आ गई है। इनके पास काफ़ी माल इकट्ठा हुआ है जिस के लिए कि कोई खरीदार नहीं। हज़ारों परिवार बेकार हुए हैं तथा वह काम की तलाश में तथा रोटी की तलाश में दर दर भटकते फिर रहे हैं, रोटियों को तरस रहे हैं तथा भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है, इसे न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से हल करना होगा अपितु मानवता की दृष्टि से भी इसे हल करना आवश्यक होगा। खड्डी के कपड़े के लिए देश के अन्दर तथा बाहर खपत बढ़ाई जानी चाहिये। उचित दामों पर धागे की नियमित प्रदाय की गारंटी दी जानी चाहिये। विकास निधि का एक भाग धागे की कीमत कम रखने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के भंडार विभागों को आदेश दिया जाना चाहिये कि वह खड्डी का बना हुआ माल खरीदें।

मद्रास में अनाज की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। दक्षिण मद्रास दुर्भिक्ष के चंगुल में फंसा है। लोगों की क्रय-शक्ति भी बहुत गिर गई है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां अनाज की स्थिति सुधारने के लिए कार्यवाही की जाये।

सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्राम्य चिकित्सा सहायता के सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 'लाइसेनशट कोर्स इन मेडिसन' को पुनः पुरःस्थापित किया जाना चाहिये। इस तरह से ऐसे डाक्टरों की संख्या बढ़

सकती है जो गांव में बस कर जनता का इलाज कर सकते हैं ।

श्री ई० इय्यानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके इस नये बजट पर बधाई देता हूं । इस से गरीबों को तथा मध्यवर्गीय जनता को सहायता मिलती है । देश के कुछ भागों में अनाज अब कम दामों पर मिलता है । कच्चे माल की कीमतों में भी २५ प्रतिशत की कमी हुई है । हथकर्घा उद्योग से जिसे कि अर्थ सहायता दी जा रही है, बेकारी कुछ कम होगी । नये बजट में आयकर सीमा बढ़ा दी गई है । पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिए एक करोड़ रुपया आवंटित किया गया । अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की छात्रवृत्तियों के लिए धनराशि १७$\frac{1}{2}$ लाख रुपये से बढ़ा कर ४० लाख रुपये कर दी गई है । यह सारी अच्छी बातें हैं ।

मैं मालाबार ज़िले की खाद्य स्थिति की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यहां की आबादी बड़ी गुंजान है तथा स्थानीय पैदावार वर्ष भर में केवल ढाई से ले कर तीन महीने तक काफी होती है । बाकी सारे का सारा अनाज आयात किया जाता है । गत वर्ष खरीफ की फसल खराब होने के कारण कीमतें बहुत बढ़ गईं । राशन दुकानों पर भी कीमतें बढ़ गई हैं । हम ने खाद्य उपमंत्री का ध्यान भी इस ओर दिलाया है । यदि राशन की मात्रा सात औंस से बढ़ा कर १२ औंस कर दी जाती तो इस से बाज़ार की कीमतें भी अवश्य ही गिर जातीं ।

इसका और भी एक प्रतिकार है कि मालमपुज्हा परियोजना के अलावा और अन्य छोटी छोटी परियोजनाओं को भी हाथ में लिया जाये । ज़िला खाद्य उत्पादन समिति ने ६२ ऐसी परियोजनाओं की सिपारिश की है । इनमें से ४३ तो मंजूर हुई हैं, किन्तु शेष धनाभाव के कारण रह गई हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनके लिए भी धन उपलब्ध किया जाय ।

जहां तक मालाबार के हरिजनों का सम्बन्ध है वह आर्थिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़े हुए हैं । उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षा के लिए और अधिक धन का उपबन्ध रखा जाना चाहिये । अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कमिश्नर ने १९५१ की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मालाबार में ६०,००० हरिजन कृषि संबंधी श्रम के रूप में दासता का जीवन बिता रहे हैं तथा इन्हें निवास करने के लिए अपना कोई स्थान नहीं । मुझे प्रसन्नता है कि मद्रास सरकार ने इन्हें घर बनाने के लिए जगह देने की एक स्कीम मंजर की है ।

श्री गोपालन ने चुनावों की बात की है । यद्यपि यह ठीक है कि कम्युनिस्ट साधारण निर्वाचन में कुछेक निर्वाचन-क्षेत्रों में जीत गए हैं; किन्तु हाल ही में जो नगर समितियों तथा पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उन में जनता ने फिर कांग्रेस का साथ दिया है ।

मैं श्री मुनिस्वामी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि मालाबार की धोबी तथा नाई जातियों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाये, तथ्य तो यह है कि वहां के धोबी अभी भी हरिजनों के कपड़े नहीं धोते हैं, ऐसी दशा में वह कैसे हरिजन माने जा सकते हैं ।

श्री रामानन्द दास (बरकपुर) : इस बजट का पंचवर्षीय योजना से न सम्बन्ध है । यदि पंचवर्षीय योजना को पूर्णतयः क्रियान्वित किया जायगा तो हम अपनी अधिकांश समस्याओं को हल कर सकेंगे । किन्तु अधिकारियों में फैले हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए मुझे इस की सफलत

[श्री रामानन्द दास]

में सन्देह है । ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है । पुलिस में यह विशेषकर है । केन्द्रीय सरकार में गोलमाल की इतनी घटनाएं दृष्टि में आई हैं लेकिन इस के बावजूद अपराधियों को कोई दंड न दिया गया । ज्यादा से ज्यादा इसका गरीब क्लर्कों पर नज़ला गिरता है । सरकार को रिश्वत तथा भ्रष्टाचार का उन्मलन करने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ।

दुर्भाग्यवश, पंचवर्षीय योजना में हम ने किसानों को ज़मीने दिलाने का कोई ज़िक्र नहीं किया है । यह एक भारी समस्या है । आप तब तक अनाज में आत्म भरित नहीं हो सकते हैं जब तक आप किसानों को ज़मीनों का मालिक न बना दें । शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर में बिना किसी विलम्ब के तथा बिना कोई प्रतिकर दिए जमींदारियां समाप्त की । इस के मुकाबिले में हमारे जमींदारी उन्मलन कानून ने उलटे जमींदारों को ही फायद पहुंचाया । हमें जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण को समाप्त करना होगा । तभी तो उनकी स्थिति सुधर सकती है । अन्यथा क्रान्ति से सारे देश की शान्ति तथा व्यवस्था भंग होने की आशंका है ।

उत्पादन बढ़ जाने के कारण आज पटसन, चाय, इस्पात तथा लोहा और वस्त्र उद्योगों में कमकरों की छटनी की जा रही है । गत दो तीन महीनों में पश्चिमी बंगाल में पटसन उद्योग में ३ लाख कमकरों में से १०,००० निकाल दिए गए हैं । सरकार ने पटसन के माल पर निर्यात शुल्क १५० रुपये से घटा कर ८० रुपये प्रति टन कर दिया है । किन्तु इस सुभीते के बावजूद कमकरों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह छटनी को रोक ले; और यदि छटनी करनी ही होगी तो श्रम संस्थाओं के मश्वरे से की जाये तथा निकाले गये कमकरों को प्रतिकर दिया जाय ।

बेकारी का यह हाल है कि सेवा योजनालयों के आंकड़ों के अनसार देश में इस समय बेकारी की संख्या १० लाख है । औद्योगिक गतिविधि को बढ़ा कर ही आप इस समस्या को हल कर सकते हैं । पूंजीपति इस में बिल्कुल कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को १०० करोड़ रुपये की पूंजी इकट्ठी करनी चाहिये, जिस में ५० करोड़ रुपये उसका अपना अंश हो तथा ५० करोड़ रुपये उधार पर लिया हो । इस से हम २०० उद्योग खोल सकते हैं जिन में यह दस लाख लोग काम कर सकते हैं ।

सरकार की अनिश्चित आयात नीति के कारण देश की मोटर निर्माण संस्थाओं को धक्का लगा है । इनकी संख्या पहले ही बहुत कम है । हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है, को पिछले दो वर्षों में हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण दो तीन संकटों का सामना करना पड़ा । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मोटरों की आयात बन्द की जाये तथा इस उद्योग को यहां अर्थ सहायता दे कर प्रोतसाहित किया जाये । नहीं तो हज़ारों व्यक्ति बेकार होंगे और उद्योग को भी धक्का लगेगा ।

वेतनों में अभी भी भारी असमानता है । जब कि एक क्लर्क सौ से डेढ़ सौ रुपये तक वेतन लेता है, तो उसी कार्यालय में सचिव ३००० रुपये से ले कर ५००० रुपये तक प्रति मास वेतन पाता है । इंगलैंड में वेतनों का अन्तर सात गुना से अधिक नहीं, जापान में यह छे गुना से अधिक नहीं, किन्तु यहां यह ७० से ले कर १०० गुना तक है । मैं निवेदन करता हूं कि अधिकारियों का अधिकतम वेतन १००० रुपये से अधिक न होना चाहिये तथा किसी व्यक्ति का निम्नतम वेतन १०० रुपये से कम न होना चाहिय

कुछ भी हो किसी सरकारी अधिकारी का वेतन मंत्री से अधिक न होना चाहिये ।

जहां तक मद्यनिषेध का सम्बन्ध है, मैं मद्रास तथा बम्बई सरकारों को इसे प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं । अन्य राज्य आय में कमी होने के डर से इसे लागू नहीं करते हैं । जब तक सारे देश में यह पूर्ण रूप से लागू न हो तब तक गरीबों की दशा वैसी ही रहेगी जैसी कि उनकी है । सारे देश में इसे सफल बनाने के लिए प्रचार का काम किया जाना चाहिये ।

जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है गंगा पर फाडका बांध बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसे उद्योग तथा व्यापार के हित में पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया जाये ।

देश में हरिजनों की संख्या छे करोड़ से अधिक है । इनकी दशा गुलामों की जैसी है । विधान मंडलों के सम्बन्ध में इन्हें दस वर्ष के लिए तो संरक्षण दिया गया है, परन्तु सरकार इनकी आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी स्थिति पर चुप है । मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इनके उद्धार के लिए कोई सक्रिय तथा रचनात्मक कार्यवाही करे तथा प्रशासकीय सेवाओं में उन के भाग को सुनिश्चित रखे ।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री बीरबल सिंह (जिला जौनपुर—पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सन् १९५३-५४ का जो आयव्ययक माननीय वित्त मंत्री ने उपस्थित किया है उस का म स्वागत करता हूं । स्वागत इसलिये करता हूं कि पहले तो जो कि देश की आर्थिक स्थिति का चित्रण वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक में किया है वह सन्तोष जनक है । जिस समय एक साल पहले हम लोग चुनाव में भाग ले रहे थे उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी । कांग्रेस के ऊपर तरह तरह की बौछार डाली जा रही थी । दूसरी पार्टियां जो चुनाव में भाग ले रही थीं, उनका यह नारा था कि "रोटी दो और धोती दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो" इस तरह की स्थिति उस समय थी । लेकिन इस समय उस स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । जहां तक कि उत्पादन का सम्बन्ध है बहुत कुछ इसमें वृद्धि हुई है । यद्यपि उतनी संतोष-जनक नहीं है, परन्तु फिर भी पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है । जहां तक भोजन की समस्या का प्रश्न है, यद्यपि अन्न का उत्पादन उतना अधिक नहीं बढ़ा है, फिर भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और बहुत कुछ नियंत्रण में ढिलाई हुई है । नियंत्रण की वजह से एक तो लोगों को काफ़ी परेशानी थी और दूसरे इस की वजह से काफ़ी भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था । इस में बहुत कुछ ढिलाई हुई है जिस से लोगों को कुछ राहत मिली है । और भी बहुत सी चीज़ों में उत्पादन बढ़ा है, जिस की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एक तो मैं इस लिये इस का स्वागत करता हूं ।

दूसरे मैं इस बजट का इसलिए स्वागत करता हूं कि इस में कर के सम्बन्ध में कम से कम मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिली है । आमदनी के ऊपर जो टैक्स है उस में ३,६०० की आमदनी पर जो टैक्स लगा था उस को बढ़ा कर के जो ४,२०० किया है और कुटुम्ब के ऊपर जो ७,२०० से ८,४०० किया है, इस से मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत कुछ राहत मिली है और इस से गवर्न-मेंट को कुछ बहुत ज्यादा आमदनी भी नहीं होती थी । दूसरे जो और टैक्स बढ़ाए गये हैं वह इस तरह की चीज़ों पर बढ़ाए गये हैं जो कि विलास की सामग्री है, जो

[श्री बीरबल सिंह]

कि ज़्यादातर धनी लोगों पर पड़ता है और जिन चीज़ों का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिये होता है उनके टैक्स में कमी की गयी है । इस तरह से टक्स जो बढ़ा है वह भी ग़रीबों की दृष्टि में अच्छा ही हुआ है ।

तीसरी चीज़ जिस के लिये मैं इस बजट का स्वागत करता हूं वह यह है कि यह बजट पंच वर्षीय योजना की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है । पंचवर्षीय योजना हमारे लिये बड़े महत्व की चीज़ है । देश में स्वराज्य हुआ है, हम स्वतन्त्र हुए हैं परन्तु वास्तव में जब तक कि हम को आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिलती जब तक कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जब तक कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता, तब तक स्वतंत्रत का ग़रीबों के लिये कोई मूल्य नहीं है । यह पंच वर्षीय योजना जो बनी है इसका उद्देश्य हमारा जीवन स्तर ऊंचा करना है । इस दृष्टि से जो पंच वर्षीय योजना है उस का बहुत ही महत्व है, यद्यपि इस की सफलता के सम्बन्ध में यह सन्देह हो सकता है कि देश में इस के लिऐ लोगों में काफ़ी उत्साह न हो । इस बात की इसलिये बहुत आवश्यकता है कि जनता में पंच वर्षीय योजना के लिऐ उत्साह पैदा किया जाय ।

जो पंच वर्षीय योजना बनाई गयी है उसमें जितने पैसे की आवश्यकता है, जैसा कि अनुमान के अनुसार उस के ऊपर २०६९ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जो कुछ हमारा अनुमान है, जो लक्ष्य हमारे सामने है उसको पूरा किया जा सके । यद्यपि जो पहिली पंच वर्षीय योजना है केवल उस से ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि इस तरह की कई योजनाएं, कई पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करनी होंगी और उन को पूरा करना होगा तब कहीं जा कर हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो सकेगा और देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकेगी । पंच वर्षीय योजना में कहा गया है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की जो आमदनी है, उस को दुगुना करने में भी कम से कम तीस वर्ष का समय लगेगा । अतः जिस तरह की पंच वर्षीय योजना बनाई गयी है, उस तरह की कई पंच वर्षीय योजनाएं बनाई जावेंगी और पूरी होंगी तब कहीं देश का पूरी तरह से उद्धार होगा ।

जहां तक पैसे का सम्बन्ध है, जो २०६९ करोड़ रुपया की योजना बनाई गयी है, ऐसा अनुमान है कि उस में कुछ तो जो हमारी बचत होगी, रैवैन्यू का सरप्लस होगा उस से पूरा किया जायगा । इस को देखने से यह पता चलता है कि ५ वर्ष के अन्दर क़रीब १६० करोड़ तो केन्द्रीय सरकार की रैवैन्यू की जो बचत होगी उस से पूरा होगा । १७० करोड़ के क़रीब रेलवे से और ४०८ करोड़ के क़रीब प्रान्तों की बचत से मिलेंगे । इस तरह से क़रीब ७३८ करोड़ यह होते हैं । ५२० करोड़ के लगभग क़र्ज़ों से या स्माल सेविंग से प्राप्त किया जायगा । इस तरह १२५८ करोड़ रुपये योजना पर व्यय करने के लिये इस प्रकार से एकत्र किये जायेंगे । लेकिन इस समय जो स्थिति है, उस को देखने से पता लगता है और सन्देह होता है कि इतना रुपया मिल सकेगा या नहीं ।

सन् ५० और ५१ का जो प्रान्तों और केन्द्रीय गवर्नमेंटों का बजट था, उसमें काफ़ी बचत हुई थी, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि धीरे २ उसमें डेफ़ीसिट होती जा रही है और घाटे का बजट होता जा रहा है और यह सन्देह सहज ही उत्पन्न होता है कि इतनी बड़ी रक़म कहां से आयेगी । तखमीना लगाने पर मालूम हुआ है कि क़रीब १५६ करोड़ की रक़म तो बाहर से मिली है और २९० करोड के क़रीब डेफ़ीसिट फाइनेंसिंग से हमारे

वित्त मंत्री महोदय लगाने वाले हैं तिस पर भी क़रीब ३६५ करोड़ का घाटा रह जाता है । अनुमान किया जाता है कि इस कमी को या तो वह नये टैक्स लगा कर पूरी करेंगे या बाहर से कुछ सहायता लेकर या फिर देश में लोगों से कर्ज़ लेकर इस कमी को पूरा किया जायगा । इस तरह से हम देखते हैं कि सब मिला कर ६५५ करोड़ की कमी रहती है । जहां तक डैफ़ीसिट फाइनेंसिंग का संबंध है, मैं कोई विशषज्ञ तो हूं नहीं लेकिन एक साधारण गृहस्थ के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हमने देखा कि युद्ध के समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी तरह से रुपया नहीं मिला तो उसने क़रीब ११ अरब रुपये के नोट छापकर अपना काम चलाया उसका नतीजा यह हुआ कि देश में मुद्रा स्फीति हुई और चीज़ों के दाम बेतरह बढ़ गये और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । अभी तो हमारे वित्त मंत्री समझते हैं कि उनको २९० करोड़ रुपया डेफ़ीसिट फ़ाइनेंसिंग से पूरा करना पड़ेगा लेकिन मालूम ऐसा होता है कि उससे कहीं अधिक पैसे की कमी पूरी करनी होगी । अब जो यह पंचवर्षीय योजना है, उसके लिए काफ़ी प्रयत्न हो रहा है और उसमें बहुत से इस तरह के काम किये जा रहे हैं जैसे दामोदर वैली प्राजेक्ट और अन्य प्राजेक्ट्स हैं उनके ज़रिये से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत कुछ काम होगा । एक बात और मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता था । हमारे पूर्वी ज़िलों में रिहैन्ड डाम बनने वाला था, लेकिन वह इधर तीन वर्षों में नहीं रक्खा गया है, चौथे और पांचवें वर्ष में रक्खा गया है, उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों की हालत बहुत ही खराब है और यह बहुत ज़रूरी है कि इस डाम पर काम शुरू होना चाहिए एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षि करना चाहता हूं । हमारे विधान में दिया हुआ है कि पन्द्रह वर्ष के भीतर हमारा सब काम हिन्दी में होना चाहिये, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । यह खेद की बात है कि आजकल उस दिशा में अधिक काम नहीं हो रहा है, उस सम्बन्ध में भी तेज़ी के साथ काम होना चाहिए ।

प्रो० राम शरण (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो आज समय देने की कृपा की उसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । बजट जो इस समय हमारे सामने है यह पंचवर्षीय योजना की पृष्ठ भूमि में बनाया गया है ऐसी पृष्ठ भूमि में बनाया जाकर भी इसमें कोई नया कर या कोई बढ़ा कर नहीं लगाया गया इसके लिए वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं । असल में बात यह मालूम होती है कि प्राइवेट सेक्टर के कारण कोई नये कर की योजना इसमें नहीं रक्खी गयी और उसका हम असर भी देखते हैं कि हाल ही में जो फेडरेशन आफ़ इंडियन चेम्बर आफ़ कामर्स की मीटिंग हुई थी, वहां भी इसका स्वागत किया गया और व्यापारियों ने उस कान्फ्रेंस में पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया जो इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया लेकिन कुछ करों में हेरफेर की गई है । इस हेरफेर के कारण बहुत सारे यहां के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को कुछ लाभ भी हुआ । मैं सिर्फ़ एक कर के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह पोस्टल रेट्स के बारे में है । पोस्टल रेट्स के बढ़ाने के विपक्ष में यह कहा जा सकता है कि यह टैक्स ज्ञान के प्रसार में बाधा डालेगा । अगर हम ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि यह कर ज्ञान पर एक कर है क्योंकि अगर हम कोई चीज़ मसलन एक छोटी सी किताब जिसका वज़न पांच तोले है वी० पी० से मंगाते हैं तो उसमें दो आने अब अधिक चार्ज देना पड़ेगा यदि

[प्रो० राम शरण]

हम कोई बड़ी पुस्तक वी० पी० से मंगायें जिसका वज़न तीन सौ तोले के करीब हो तो जो नया पोस्टल कर बढ़ाया गया है उसके मुताबिक हमें वी० पी० और रजिस्ट्रेशन आदि में १ रुपये, १५ आने अधिक देना पड़ेगा, यानी अगर उस पुस्तक की कीमत

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

२५ रुपया हो तो पुस्तक मंगाने वाले को बजाय २५ के २७ रुपया देने पड़गे, वित्त मंत्री, आशा है, इस तरफ ध्यान देंगे ।

बजट के देखने से यह भी पता चलता है कि व्यय और आय का जिस तरह संतुलन किया गया है, उससे व्यय हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है, दोनों प्रकार का फौजी तथा सिविल जितना हमारा व्यय बढ़ रहा है, आय उतनी नहीं बढ़ रही है । देखने से पता चलता है कि प्लानिंग कमीशन ने इस बात का विचार किया था कि इस वर्ष हम को २६ करोड़ की बचत हो लेकिन अगर यह करों में हेरफेर न होता तो हमें एक करोड़ से भी अधिक की कमी पड़ती, करों में हेरफेर करके भी हम यह देखते हैं कि सिर्फ ४५ लाख रुपये की बचत होती है, बचत होनी चाहिए थी २६ करोड़ की, लेकिन वह केवल ४५ लाख की होती है, उसमें भी जब हम यह देखते हैं कि हमको १८ करोड़ रुपया पाकिस्तान से आय के रूप में मिलना चाहिये और यदि वह नहीं मिला तो फिर आय बहुत ही कम हो जाती है और बजाय बचत के हमको बहुत ज़्यादा डेफ़िसिट का सामना करना पड़गा । अगर हम कर न लगायें तो हमारी आय कम होती चली जाती है, ऐसी सूरत में हमको क़र्ज़ की शरण लेनी पड़ती है । इस वर्ष १०० करोड़ रुपया लेकर हम पूंजी के व्यय की पूर्त्ति करेंगे, इस वर्ष के चालू बजट में हमने २५ करोड़ रुपये के कर्ज़ का प्रबंध किया था लेकिन किसी ख़्याल से उसको नहीं लिया, कहा तो यह गया है कि स्टेट्स के लाभ को दृष्टि में रख कर उनके लिये क्षेत्र छोड़ कर भारत सरकार ने यह पच्चीस करोड़ रुपये का कर्ज़ नहीं लिया, जब इस वर्ष २५ करोड़ का कर्ज़ केन्द्रीय सरकार को लेने में कठिनाई हुई तो यह आशा करना कि अगले वर्ष उसको ४०० करोड़ ऋण मिल जायगा, ज़रा कठिन मालूम होता है । इसलिये जब हमको ऋण मिलने में कठिनाई हो तो हमारे सामने दो ही मार्ग रह जाते हैं या तो हमें बाहर के देशों से सहायता मिले या मिलने की आशा हो या डेफ़ीसिट फ़ाइनेंसिंग के ज़रिए ऋण मिले जिस से हमारी पंचवर्षीय योजना का कार्य चल सके । इस वास्ते हमको डेफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग ही करना होगा और जैसा कि यहां बताया गया है कि पिछली लड़ाई के ज़माने में गवर्नमेंट ने करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये के नोट निकाले, तो इस वर्ष जब कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें १४० करोड़ रुपये की सब मिला कर कमी है, रेवेन्यू और पूंजी दोनों का विचार करके १४० करोड़ रुपये की कमी रहती है, इसमें से ३० करोड़ इस वर्ष के क्लोज़िंग बेलेन्स से और ११० करोड़ रुपये की ट्रेज़री बिल्स के द्वारा वसूल करने का प्रबन्ध दिखलाया गया है । लड़ाई के ज़माने में हमने अरबों के नोट छाप छाप कर काम चलाया, लेकिन इस समय हमको डेवलपमेंट के कामों के लिए इस बजट में सिर्फ ११० करोड़ और आगे चलकर कुल २९० करोड़ की ज़रूरत होगी अगर हम उस पर कड़ी निगाह रक्खें और कीमतों के बढ़ने पर रोकथाम रक्खें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने कार्य को ठीक प्रकार से क्यों न कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें । अब मैं दो तीन सुझावों की तरफ माननीय वित्त मंत्री का ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो यह कि अगर हम कर नहीं लगाते हैं और आप को वसूल करने में दिक्कत होती है तो हमें खर्च पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए । जहां तक पब्लिक ऐकाउंट्स कमेटी का सम्बन्ध है, चाहे वह रेलवे की चाहे वह जनरल फ़ाइनेंस की हो, उस ने कई बातों के सम्बन्ध में कड़ी आलोचना की है । उन सब में इस समय जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि चाहे वह पोस्टल डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हों, उन पर जो खर्चा होता है उस के ऊपर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है अगर हम खर्च पर नियंत्रण रक्खेंग तो चाहे आय कम भी रही हो, उस के द्वारा भी हम बजट को संतुलित कर सकेंगे ।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इस साल आयात कर कुछ चीज़ों पर घटाये गये हैं और कुछ चीज़ों पर बढ़ाये गये हैं । जिन चीज़ों पर बढ़ाये गये हैं वह लगज़री गुड्स हैं । लेकिन बजट पेश होने के तीन ही चार दिन बाद कामर्स डिपार्टमेंट से इम्पोर्ट्स् के सम्बन्ध में एक सूचना निकली, उस से यह मालूम हुआ कि बहुत सारे सामान जो अब तक हिन्दुस्तान में नहीं आते थे जैसे कि काटन एंड सिल्कपीस गुड्स साक्स, स्टार्किंग्स, बूट्स, शूज़, अम्ब्रेलाज़, बटन्स, इत्यादि, उन में से कुछ चीज़ों को तो दस पर सेंट तक का कोटा मिल गया है । कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो थोड़ी मात्रा में आती थीं; उन का कोटा डबल कर दिया गया है और कुछ चीज़ों के कोटे को और भी बढ़ा दिया गया है इसका एक तरफ तो फ़ारेन एक्सचेंज पर असर पड़ेगा दूसरी ओर बड़ा असर हमारे उद्योग धंधों पर पड़ेगा, उन चीज़ों पर जो चीज़ें हमारे देश में बनती हैं । यदि विदेशों से कपड़ा और दूसरी चीज़ें आने लगेंगी तो उन चीज़ों पर जो यहां बनती हैं और जो बाहर भी जाती हैं, बहुत बुरा असर पड़ेगा ।

एक खास बात जिस की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे देश की सब से बड़ी समस्या बेकारी की है । जो बराबर बढ़ती जा रही है । बेकारी के जो आंकड़े हम को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से मिलते हैं उन से यह मालूम होता है कि जितने आदमी नाम लिखाते हैं उन में से कुल तीस फ़ी सदी लोगों को ही काम मिल पाता है, और उन नाम लिखाने वालों में ऐसे भी लोग हैं जो टेकनीशिअन्स हैं, उन को भी पूरी तरह से काम नहीं मिल पाता । तो अगर हमें अपने देश का निर्माण करना बजट तो एक साधन है दूसरे कामों के लिये मीन्स टु एन एन्ड है । और एन्ड हर एक स्टेट का, खास कर जो अपने को वेलफ़ेयर स्टेट कहती हैं, यह है कि हर एक मनुष्य को जो देश में रहता है, उसकी शक्ति और योग्यता के अनुसार काम मिल जाय । इस प्रश्न को हमें हल करना है ।

अपनी शिक्षा की प्रणाली में हमको आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इस प्रकार की उसे बनाना है कि लाखों की तादाद में हर साल बेकार पैदा न हों । शिक्षा प्रणाली में ऐसा परिवर्तन करें कि बेकारों को उत्पादक कामों में लगा सकें । उन को रोज़गार दिलाने का काम, लोगों की राय है, देश को इंडस्ट्रियलाइज़ करने से हो सकेगा किन्तु यह खाली उद्योगीकरण से ही नहीं हो सकेगा । विदेशों की मिसाल हमारे सामने है । जिन देशों में बहुत ज़्यादा उद्योगीकरण हुआ है वहां पर भी बेकारी है । इस प्रकार के लोग भी हैं जो समझते हैं कि बड़े उद्योगों के बढ़ाने से देश की बेकारी दूर न हो सकेगी । जब तक वैज्ञानिक तरीकों की खोज कर के हम अपने देश के छोटे छोटे उद्योगों का देहात

[प्रो० राम शरण]

के उद्योगों का पुनरुद्धार नहीं करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर नहीं लगायेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकेगा। यह हर्ष की बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में काटेज और विलेज इन्डस्ट्रीज़ बोर्ड बनाया है। प्रधान मंत्री ने उसके उद्घाटन के समय कहा था कि क्या अच्छा होता कि यह चार साल पहले बन गया होता। मगर जो अच्छा काम है वह देर से भी हो तो भी उस का स्वागत करना चाहिए। तमाम बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि इस बोर्ड की जो सिफ़ारिशें हैं उन के ऊपर ध्यान दिया जाय। साथ ही यह भी हर्ष की बात है कि इस बोर्ड में देश के ऐसे मसलों के जानकार तथा अनुभवी लोग रखे गये हैं। आशा है कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उन की सिफारिशें होंगी। और यदि गवर्नमेंट ने उन सिफारिशों पर काम किया तो देश के अन्दर जो बेकारी फैली हुई है उस को हम बहुत हद तक दूर कर देंगे।

श्री बालकृष्णन (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : बजट में हरिजन उद्धार के लिए जो राशि रखी गई है उसे देख कर मुझे कुछ निराशा हुई। यह ठीक है कि गत वर्ष की अपेक्षा यह राशि कुछ अधिक है किन्तु फिर भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह सिन्धु में बिन्दु के समान है। भारत सरकार यह कह कर अपने सिर से बला नहीं टाल सकती है कि हरिजन उद्धार राज्य सरकारों का काम है। उन्हें भी पिछड़ी हुई जातियों को आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिये।

संविधान में पिछड़ी हुई जातियों के लिए प्रतिष्ठा की समानता का आश्वासन दिया गया है। किन्तु यह आश्वासन केवल कागज़ी है। छूतछात अभी भी मौजूद है। हरिजनों पर अब भी सवर्ण जातियों द्वारा अत्याचार ढाए जा रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह छूतछात निवारक अधिनयम को प्रवर्तित करने के लिए विशेष पुलिस नियुक्त करे जैसे कि उस ने मद्यनिषेध आज्ञा का पालन करवाने के लिए तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की है।

अब मैं तामिलनाद की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। गत पांच वर्षों से वहां वर्षा कम हुई है। इस वर्ष बिल्कुल ही नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप खुश्क फसलें भी नष्ट हुईं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तामिलनाद के रैयतों को शीघ्र सहायता दे। उन्हें बीज तथा खाद मुफ्त अथवा उधार के रूप में प्रदाय किया जाये। उन्हें तक़ावी क़र्ज़ों तथा कुएं खोदने के लिये अर्थ-सहायता दी जानी चाहिये। इस वर्ष मेरे ज़िले में लोगों को चारे के लिए एक एक सौ रुपया प्रति रैयत कर्ज़ा दिया गया। परन्तु इस में से २५ रुपये इसे प्राप्त करने में खर्च हुए। इसके अलावा मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह फसलों का बीमा कराने की प्रणाली अपनाएं जिस से कि उन हानियों का निवारण हो सके जो प्राकृतिक विपदाओं के कारण होती हैं।

जहां मैं पंचवर्षीय योजना का स्वागत करता हूं वहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तामिलनाद में दुर्भिक्ष का उन्मूलन करने के लिए वाईगैर तथा पालर-पचैयर परियोजनाओं को अविलम्ब क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रही थी, किन्तु इस में कोई भी ऐसी बात मुझे नहीं मिली जिस से कि राष्ट्र को

प्रेरणा मिले। इस में देश की आर्थिक स्थिति में हेरफेर करने का कोई विचार प्रकट नहीं किया गया है। यह अधिकांश रूप से एक पूंजीवादी बजट है। प्राइवेट पूंजी को समाश्वस्त किया गया है, इसे कुछ रियायतें भी दी गई हैं। यह बजट पुरानी ही लाइनों पर बना हुआ है। सैनिक व्यय का अनुपात लगभग पुराना ही है। प्रशासन यथापूर्व ऊपर-भारी है। माननीय वित्त मंत्री ने गत वर्ष हमें एक मितव्ययता समिति नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। अब उन्होंने कहा है कि सैनिक व्यय को कम नहीं किया जा सकता है। यही हाल नागरिक प्रशासन का भी समझ लीजिये।

प्राइवेट क्षेत्र और शेयर बाज़ार वर्तमान बजट पर बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूंजी पर कोई नये कर नहीं लगाए गए हैं। प्रधान मंत्री का लहजा भी इनके प्रति बदल गया है। पूंजीपतियों ने भी पंचवर्षीय योजना में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। हम अब देखते हैं कि वह कहां तक अपना सहयोग देते हैं।

बजट में ऐसी कोई बात नहीं जोकि पूंजी को कुछेक व्यक्तियों के हाथ इकट्ठी होने से रोक सकती है।

पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत होने के बाद यह देश का पहला बजट है। मुझे आशा थी कि इस में योजना के सिद्धान्त निहित होंगे। योजना का उद्देश्य एक सामाजिक किन्तु अहिंसात्मक क्रांति लाना है। तथा इस उद्देश्य पूर्ति के लिए वह प्रत्यक्ष करारोपण द्वारा आयों की असमानता समाप्त करना चाहते हैं। पंचवर्षीय योजना में इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य दिए गये हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ?

निम्न आय वाले वर्गों को केवल यह सुभीता दिया गया है कि आय-कर की सीमा बढ़ा दी गई है। इस से मध्यवर्गीय लोगों का भार कुछ कम होगा, हम इसका स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री ने आय-कर जांच आयोग स्थापित करने की जो घोषणा की है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। हमें मालूम है कि पूंजीपतियों के प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो कर सरकार किस तरह से प्रत्यक्ष करारोपण के स्थान पर अप्रत्यक्ष करारोपण का आसरा ले रही है। इसका दुष्प्रभाव तो गरीबों पर ही पड़ता है। आय-कर जांच समिति हमें बता सकती है कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा हमें कैसे धनोपार्जन करना चाहिये।

बजट में विलास सामग्री पर जो आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। देसी सुपारी उत्पादकों को जो संरक्षण दिया गया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि ग्राम-उद्योगों तथा शिक्षा आदि के लिए अर्थ-सहायता का उपबन्ध रखा गया है। मैं यहां ग्राम उद्योगों का विशेष कर खादी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगी। आज तक इन उद्योगों के प्रति सरकार का रवैया उदासीनता का रहा है। इन उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया यद्यपि वह ज़बानी बहुत कुछ कहा करते थे। पंचवर्षीय योजना में सरकार ने स्वयं यह बात मान ली है कि ग्राम-उद्योग ग्राम विकास कार्यक्रम का केन्द्रबिन्दु होना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि ग्राम-उद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का हृदय होना चाहिये। यह एक अत्यन्त ही सुन्दर बात है; परन्तु क्या हम इस बजट में इस प्रकार की क्रांति का प्रादुर्भाव देखते हैं ? खादी उद्योग को कुछ अर्थ सहायता दी गई है, परन्तु इस से भी ज्यादा हम यह

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

चाहते हैं कि इसके लिए मार्केट सुरक्षित हो; तथा एक सीमा निश्चित की जाये कि मिलें क्या क्या कपड़ा तैयार करेंगी तथा खादी उद्योग किस प्रकार का कपड़ा तैयार करेगा। फिर ऐसे क्षेत्रों में जहां कुटीर उद्योगों का माल तैयार होता है, मिलों में बने माल पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये, तथा प्रतियोगिता समाप्त की जानी चाहिये। इस बात की आवश्यकता है कि उत्पादन का विकेन्द्रीयकरण किया जाये। देश के लाखों लोगों को काम दिलाने के लिये अर्थ-सहायता देना ही काफ़ी नहीं। हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों का तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का एकीकरण करना होगा। जब तक वह उपरि समन्वय न होगा तब तक हमारे आर्थिक रोगों का इलाज नहीं हो सकेगा।

जहां तक बजट तथा पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, हमें देखना है कि यह योजना के उद्देश्यों तथा कार्यक्रम को कहां तक पूरा करता है। हमें जो बजट पत्र प्रदाय किये गए हैं उन में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है कि योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल कितना व्यय किया गया है तथा तीसरे वर्ष में कितना व्यय करने की प्रस्थापना है। यह सूचना न पहले दी गई और न अब ही दी जा रही है।

बजट में विदेशी सार्थों को, जो कि भारत में काम कर रहे हैं, कुछ रियायतें दी गई हैं। जहां तक इस सीमित प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती हूं। मैं केवल विदेश व्यापार के सम्बन्ध में कुछ कहूंगी। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि हमारे व्यापार में विदेशियों के रहने की क्या आवश्यकता है। व्यापार में किसी अधिक पूंजी अथवा किसी विशेष टैक्नीकल योग्यता की आवश्यकता नहीं। फिर क्या कारण है कि हम व्यापार क्षेत्र में विदेशियों के घुस आने की बात को प्रोत्साहन दे देते हैं। विदेशी सार्थ यहां अब अपनी संगठित संस्थाएं बनाने लगे हैं। वह उत्पादक भी हैं तथा विक्रेता भी हैं। एक समय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने स्वयं इस प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी।

कुछ समय पहले सरकार ने हमें इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया के राष्ट्रीयकरण का वचन दिया था। किन्तु इस समय तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। इस बैंक के पास २५० करोड़ रुपये हैं, तथा सरकार इस भारी धन राशि को विकास कार्यों में लगा सकती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि जनता के सहयोग के बिना पंच वर्षीय योजना सफल नहीं हो सकती है। परन्तु क्या कारण है कि जनता अपना सहयोग नहीं देती है? क्या वह अपने देश का विकास नहीं चाहती। जनता यह सब कुछ चाहती है, वह सहयोग देने के लिये तैयार है, केवल नौकरशाही इसमें बाधक है। जनता के प्रति उसका रवैया घृणापूर्ण, सन्देहपूर्ण तथा अमित्रतापूर्ण है। यदि आप सहयोग चाहते हैं तो नौकरशाही का रवैया बदलना चाहिये। आप लाठियों तथा गोलियों से इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने के सम्बन्ध में थोड़ी सी चहक उठ गयी। मुझे वह अच्छी लगी, इसलिये कि एक अवसर मुझे मिला कि मैं आप का और इस भवन का ध्यान एक कार्यक्रम के संबंध में यानी पार्लियामेंटरी प्रोसीड्योर के सम्बन्ध में दिला दूं। साधारण रीति से कुल जगह विधान सभाओं और संसदों का यह नियम है कि कोई आदमी जब

तक वह खड़ा नहीं होता बुलाया नहीं जाता । मैंने बाहर जाकर आपके पास स्लिप भेजी, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई आदमी मिले जिसके जरिए वह स्लिप भेजूं। जब मैंने व्हिप महोदय को ढूंढ निकाला तो उनके हाथ में मैंने वह पर्चा आपकी सेवा में उपस्थित करने के लिए दे दिया। उसी समय एक सज्जन मुझ से खड़े खड़े बातें करने लगे, व्हिप महोदय ने कहा कि आप तुरन्त अन्दर जायें। मैं तुरन्त अन्दर आया, तो मालूम हुआ कि मेरा नाम पुकार लिया गया। आज मुझे इस बात के कहने का अवसर मिला कि यहां जो यह पर्ची देने का क्रम चल रहा है, वह ठीक नहीं है। अगर यह बात न उठी होती, तो शायद मैं इस तरफ़ आपका ध्यान न खींचता। मैं बजट पर बोलना चाहता था, लेकिन इस समय उचित है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ जरूर कह दूं। मुझ को इन सभाओं का काम कैसे होना चाहिए इसका कुछ अनुभव है और अपने उस अनुभव के भरोसे पर मेरा निवेदन है और बहुत नम्र निवेदन है कि यहां जो क्रम है कि लोग बैठे हुए हैं खड़े भी नहीं होते और स्लिप मात्र दे कर बैठे रहते हैं, उनका नाम बुलाया जाता है, यह तरीका संसद् के उपयुक्त नहीं है।

उचित रास्ता यह है कि जिस को बोलना हो वह खड़ा हो, पर्चे या सूची का असर केवल यह होना चाहिये कि आप समझ लें कि अमुक दल के लोग अमुक को बुलवाना चाहते हैं। परन्तु जो खड़ा होता है उसका फिर से नाम पुकारा जाता है, यह साधारण विधान सभाओं का और ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्स का, जिससे कि हमने बहुत शिक्षा पाई है, तरीका है। बस, मैं इस विषय में और अधिक नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह आपके हाथ में नहीं है मगर मैं आप के द्वारा इस भवन के जो मुख्य स्पीकर हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आज के क्रम को मैं बिल्कुल गलत समझता हूं यह उस प्रकार का है जैसे किसी स्कल के दर्जे में लड़के बुलाये जायें और कहा जाय कि अब वह बोले और अब अमुक बोले। यह क्या है। यह उचित नहीं है। उचित तो यह है कि दोनों पक्ष के लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हों और जिस को आप के जी में आये उसको बोलने के लिए कहें। यह साधारण क्रम है और इसी क्रम के अनुसार यहां पर काम होना चाहिये। अब मैं इस पर और अधिक न कह कर बजट पर आना चाहता हूं।

यह जो अनुमानपत्र बजट आपने उपस्थित किया है, उस पर मुझे कुछ थोड़े से अपने विचार प्रकट करने हैं। जैसा कि स्वयं फ़ाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) ने स्वीकार किया है यह अनुमानपत्र पंचवर्षीय योजना की छाया में बनाया गया है। इस बजट पर उस योजना का पूरा प्रभाव हो यह स्वाभाविक है, ऋण लेने की बात इसमें आई है और बड़ी बल-पूर्वक आयी है। हमारा देश अपनी योजना की पूर्ति के लिये कर्ज़ा लेगा और जो कुछ कर्जे लिये गये हैं वे भी सामने रक्खे गये हैं। मुझे उस विषय पर अधिक दूर तक जाना नहीं है, मगर ऐसा मुझ को लगा कि बाहर से कर्ज़ा लेने में ब्याज बहुत बढ़ा दिया गया है, आप ने चार रुपये चौदह आने तक की दरें खोली हैं इस ब्याज की दर पर बाहर से आपको रुपया आया है, मुझे वह बहुत ज्यादा लगता है। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी सरकारी लोन (ऋण) जो इस समय देश में प्रचलित है, इस दर पर नहीं हैं। पुरानी समय की बात मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत पहले हमने इतना ब्याज दिया है, परन्तु इस समय जहां तक मुझ को याद पड़ता है देश में प्रचलित सूद की जो दर है वह कम है और यह चार रुपया चौदह आने का ब्याज जो आज लोन लेने

[श्री टंडन]

के लिए दिया जा रहा है अब तक की ब्याज की दरों से बढ़ कर है। यह कहां तक उचित है कि बाहर से तो ऋण प्राप्त करने के लिये आप इतना ब्याज देने को राजी हो जायें लेकिन यहां देने में इतनी सस्ती करें ? वित्त मंत्री स्वयं इस विषय में काफ़ी चतुर हैं इस बढ़ी हुई ब्याज की दर को मंजूर करने में कुछ कारण तो हैं ही। मैं भी अनुमान करता हूं कि इसके लिए कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वह ऐसा समझते हों कि हमें रुपया बाहर से लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां से रुपया घसीट लेंगे तो दूसरे व्यापारियों को कठिनता होगी, या वह समझते हों कि अगर यहां साढ़े चार या पौने पांच देंगे तो सिक्यूरिटीज़ के भाव गिर जायेंगे वह तो गिर ही जायेंगे परन्तु गिराव चढ़ाव तो लगा ही रहता है। जब हम ब्याज नये ऋण पर कम देंगे तो पुराने ऋणों का भाव चढ़ जायेगा और जब कुछ ज्यादा भाव पर नया लोन निकालेंगे तो पुरानों का भाव गिर जायगा, यह बराबर चला आया है। लेकिन इस समय हम बाहर तो बहुत ब्याज दें और अपने यहां सस्ती करें, इस का एक परिणाम यह हुआ कि जो जो आप ने लोन निकाले उन में कुछ बहुत सफलता नहीं मिली। मेरा अपना अनुभव है कि हम कुछ ब्याज बढ़ा देते तो बहुत अधिक रुपया आ सकता था। पर अनुमान पत्र में जो ब्याज की बात आई है पौने पांच रुपये और चार रुपये चौदह आने की, उस में कुल साढ़े पच्चीस करोड़ रुपये आप को बाहर से मिले हैं। करीब ५१ लाख डालर। मेरा तो अनुमान है कि यदि यहां के ब्याज की दर बढ़ा दी जाती तो यहां भी इतना रुपया आ जाता। लेकिन मुझे इस ब्याज के प्रश्न पर बहुत अधिक नहीं कहना है। मेरा विशेष निवेदन दो तीन और विषयों में है।

पंच वर्षीय योजना पर वित्त मंत्री जी ने ठीक ही बल दिया। उन का कहना है—

> "आयोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम की पूर्ति न केवल नीति-निर्धारण तथा धनोपलब्धि पर निर्भर है अपितु कुशल प्रशासन तथा जन सहयोग पर भी है।"

यह दो शब्द "पब्लिक कोआपरेशन" और "एफिशेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन" ही कुंजी है इस योजना की सफलता की। पब्लिक कोआपरेशन अर्थात् सार्वजनिक सहयोग आप को तभी मिलेगा जब आप जैसा अभी कुछ भाइयों ने भी कहा, जनता से अधिक सम्पर्क फैलायें, जनता का स्नेह खींचें और जनता में भरोसा पैदा करें। एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन अर्थात् अच्छा प्रशासन उस विश्वास को आकर्षित करे। मेरे ऊपर असर यह है कि एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। जो बात कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में सब जगह चाहिये, मेरी बौछार किसी एक के ऊपर नहीं है, वह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्रीय विभागों में रुपया की बचत के लिये खर्च में जितनी रोक थाम चाहिए उस की भी कमी है। मैं ने उस दिन उदाहरण दिया था उस विभाग का जिस का काम है कि वह दूसरों की जांच करे, यानी जो आडिट ऐंड ऐकाउन्ट्स का विभाग है। उस ऐकाउन्टस विभाग में किस प्रकार से जाली चेक एक कार्यकर्त्ता ने बनायी और उस ने यह कहा कि चाहे जितने रुपये का चेक हम से लो, मैं दे दूंगा, हिन्दुस्तान के किसी भाग में इम्पीरियल बंक के ऊपर ? कैसे उस की हिम्मत पड़ी ? मुझ को तो आश्चर्य हुआ। त्यागी जी ने मुझे फाइल दिखलाई। मैं उन को धन्यबाद देता हूं। प्रधान मंत्री जी ने उस दिन एलान किया था कि वह फाइल दिखलायेंगे। मैं ने उसे देखा। फाइल देखने के बाद मुझे कुछ नयी बातें अवश्य

मालूम हो गई। लेकिन मेरे ऊपर यह असर नहीं पड़ा कि मुकदमा उठा लेने की जो आज्ञा दी गई थी वह सही थी। इतना मुझे पता लगा कि उस आज्ञा में वित्त मंत्री जी का हाथ नहीं था। त्यागी जी का हाथ नहीं था, सेन्ट्रल रेवेन्यू वालों ने उसे नहीं दिया था। परन्तु आज्ञा दी गई, और जैसा मैं ने उस दिन कहा कि यह बड़ी अजीब आज्ञा थी। ऐसे जाल साजी के मुकदमे में आज्ञा दी जाय कि मुकदमा उठा लो, बिना उस आदमी का बयान लिये हुए मुझे बड़ा अद्भुत लगा। उस आदमी का बयान होता तो बातें खुलतीं कि क्या हुआ कौन उस में शरीक है, और वह स्वयं कैसे उस में शामिल हुआ। कहा गया कि वह बेचारा बीमार पड़ा है, त्यागी जी ने बयान दिया था कि नहीं मालूम वह जिन्दा भी है या मर गया है। मैं त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि उस के घर से पुछवा लें कि उस के स्वास्थ्य का क्या हाल है। मैं ने सुना है कि वह बहुत तगड़ा है। यह जो उन्होंने समझा कि वह खाट पर पड़ा हुआ मरने वाला है, और हमारे गवर्नमेंट के विभाग को करुणा आ गई, वह ठीक नहीं था। वह करुणा शासन के योग्य नहीं थी। जब भीष्म पितामह शव शैया पर पड़े थे तब शासकों को एक सलाह उन्होंने दी थी, कहा था कि जो दुष्टों के ऊपर दया करता है और जो दीनों की रक्षा नहीं करता यह दोनों नर्क में जाते हैं। यह एक जीवित उदाहरण था जो मैं ने सरकार के सामने ला कर धरा था ऐसा तो हर एक को मौका भी नहीं मिल सकता। मैं आप से कहता हूं कि केन्द्रीय गवर्नमेंट की छाया में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। जो राज्यों की गवर्नमेंटें हैं वहां भी खूब फैला है, मगर केन्द्रीय शासन से जिन लोगों का संबंध है, उन में बहुत अधिक फैला है। चेतावनी की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री से और क्या कह सकता हूं। वह तो सब जगह पहुंच नहीं पाते। लेकिन कड़ाई की जरूरत है। सोचने की जरूरत है त्यागी जी ने बड़ी चतुरता से सोच कर रास्ता बनाया कि जो छिपे हुए इनकम टैक्स हैं उन को निकालें। मैं उन को बधाई देता हूं। वह यह सोचें कि यह भ्रष्टाचार जो लोगों के भीतर घुसा हुआ है उस से वह कैसे अपनी रक्षा करें।

जो बात इस योजना के सम्बन्ध में उस दिन ज़ैदी जी ने कही थी वह मुझ को अच्छी लगी थी, हमारा सम्पर्क जनता से इस प्रकार से होना चाहिये कि हम उनकी आवश्यकता को देख कर अपनी योजना बनावें बजाय इस के कि थोड़े से आदमियों ने यह तय किया कि हम ऊपर से कुछ योजनायें जनता पर लादें। उस से अच्छा यह होता कि हम जनता के सहयोग से योजना बनायें। मेरा खुद यह ध्यान रहा है कि हमारी योजना के मुख्य कामों में हमें गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं वह अन्त में आ कर शायद कुछ लाभ करेंगी परन्तु चाहिये यह था कि हम आरम्भ में ही जनता के उत्साह को बढ़ाते, गावों के अन्दर जा कर उन के लिये रास्ता निकालते। उन के लिये उद्योग सोचते। कितनी बेकारी चारों तरफ फैली है लोगों की यह बेकारी बढ़ती जा रही है लोग गांव को छोड़ छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं इस को रोकने की आवश्यकता है। पहली योजना यह होनी चाहिए थी। गांवों को ऐसा बना कर आप बड़ी बड़ी करोड़ों रुपये की स्कीमें बाद में सोचते। पहले गांवों में जा कर कुछ आदर्श गांव बसा देते। हर राज्य के अन्दर, और हो सके तो हर जिले के अन्दर दो-दो चार-चार ऐसे गांव बसा दें। सुन्दर गांव। आज के गांव गन्दे हैं। घर ऐसे हों कि उसके साथ बगीचा हो। मैंने एक विचार पहले दिया था, फिर उस को रखता हूं. हर घर

[श्री टंडन]

बाटिका-गृह हो, देखिये तो कि इस से कितनी सुन्दरता फैल सकती है । ऐसे घर न बनने देवें जिन में आधी एकड़ भूमि न हो । आधे एकड़ भूमि के साथ हर घर बनाइए, देखिये कितना सौन्दर्य फैलता है और देखिये कि किस तरह से लोग इस की तरफ़ खिंचते हैं । हमारे घर गन्दे हैं, गांवों में जा कर ठहरिये तो थोड़ी देर में भागने की आवश्यकता मालूम होती है । गांवों को सुन्दर बनाइए । स्वास्थ्य की समस्या को हल कीजिये । आज दवा लिये हुए लोग पुकारते फिरते हैं कि टीका लगवा लो । व्यर्थ की बात है । उन से कोई स्वास्थ्य सुधरने वाला है ? यह तो चौपट करने वाला है । यह रास्ता नहीं है । गांवों को स्वच्छ बनाइए, यही स्वास्थ्य रक्षा का मार्ग है ।

अब मैं थोड़े से शब्द उस विषय पर कहना चाहता हूं जो हमारे भाई डा० महमूद ने छेड़ा था । बड़ा अजीब विषय उन्होंने छेड़ा । जब विभाजन हो रहा था, हमारे भाइयों को मालूम है कि, मेरी कठोर ध्वनि उस के विरुद्ध उठी थी । मैं ने विभाजन का घोर विरोध किया था । मैं जानता था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस के पक्ष में राय दी थी गांधी जी से मेरी बातें हुईं । गांधी जी ने मुझ से कहा कि वे इस को ठीक नहीं समझते वह इस के विरुद्ध हैं । मैं ने निवेदन किया कि बापू जी मैं आप के साथ हूं उन्होंने तय किया कि वह उसका विरोध करेंगे । परन्तु मैं तो दिल्ली से चला गया था । फिर जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उस में वह प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं मैं नई वर्किंग कमेटी कहां से लाऊं । यह कह कर उन्होंने इस को छोड़ दिया । परन्तु उस विषय को मुझे यहां नहीं लेना है । पाकिस्तान बन गया । मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत बड़ी भूल हुई, कांग्रेस की, जिसमें मैं भी शामिल था, यद्यपि मैं ने कठोर विरोध किया था और मैं ने कहा था कि गांधी जी भूल कर रहे हैं और मेरा हृदय आज भी कह रहा है कि गांधी जी ने भूल की, कुल वर्किंग कमेटी ने भूल की । परन्तु अब वह हो गया । आज उसको छेड़ना व्यर्थ है । डाक्टर महमूद ने उस विषय को छेड़ा और कहा कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान कुछ विषयों में मिल जायें । मैं उसका स्वागत करूंगा, इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं । उन्होंने यह विषय छेड़ दिया तो मैं यह कहता हूं कि मुसलमानों को इस विभाजन से बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ अगर वह साथ रहते तो अच्छा था । लेकिन मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं । मैं इस का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इसका स्वागत करेगी कि अगर सम्भव हो सके तो डिफेंस के मामले में और कुछ और मामलो में हम मिल कर काम करें ।

इसके अतिरिक्त मुझे कुछ शिक्षा के विषय में भी कहना है । आज की शिक्षा के विषय में कई बार डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यह मत प्रकट कर चुके हैं कि इसे बदलना चाहिए । कई मंत्रियों ने भी यह विचार प्रकट किया है कि यह शिक्षा उचित नहीं है इसे बदलना चाहिये । मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है । आवश्यकता यह है कि जो लड़के हजारों की तादाद में हर साल निकलते हैं वह इस लायक बनाये जायें कि वह अपनी जीविका प्राप्त कर सकें । ऐसा न हो कि वह गांव छोड़ कर शहरों में आने का प्रयत्न करें । इस विषय में मुझे केवल इतना ही कहना है ।

एक विषय और है वह है हिन्दी का विषय जो मुझे प्रिय है । मैं जानता हूं कि

कुछ मिनिस्टरों का उस तरफ ध्यान है। मेरा एक सुझाव है। शिक्षा विभाग ने एक हिन्दी समिति बनायी है। मेरा सुझाव है कि एक ऐसी योजना बना दीजिये त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय, कि वह समिति हर साल इतने ग्रन्थ निकाला करेगी। मैं चाहता हूं कि यह समिति कम से कम पचास ग्रन्थ हर साल छापे।

श्री त्यागी : किस सिलसिले के ग्रन्थ ?

श्री टंडन : उन विषयों के जिनकी आवश्यकता आज हमारे देश में है। यह ग्रन्थ भिन्न भिन्न विषयों पर होने चाहिएं, जैसे अर्थ शास्त्र पर, राजनीति पर, वैज्ञानिक विषयों पर, रसायन शास्त्र पर, और रसायन शास्त्र के भिन्न भिन्न अंगों पर, पदार्थ विज्ञान के भिन्न भिन्न अंगों पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, साउण्ड पर लाइट पर। इन विषयों पर ऊंचे ऊंचे ग्रन्थ होने चाहिएं। अगर आज आप इलेक्ट्रिसिटी पर कोई ऊंचा ग्रन्थ निकालें तो उसकी बहुत आवश्यकता है। ऐस्ट्रानामी पर, गणित पर, गणित के एक एक विभाग पर ग्रन्थ निकालिये। इन विषयों पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के परिश्रम से कुछ ग्रन्थ निकले हैं। लेकिन किसी भी संस्था के पास अधिक रुपया नहीं है उसके पास रुपये की कमी है। आपके पास रुपये की कमी नहीं है। आप एक करोड़ रुपया ग्रन्थ छापने के लिये अलग रख दीजिये यह कोई बड़ी रकम नहीं है। यहां तो अरबों का खेल है। पैनी वाइज और पाउंड फ़ुलिश न बनिये। यह आपको बहुत बड़ा ब्याज देगा। आप यह काम उस समिति के सुपुर्द कीजिये और उस समिति में पार्लियामेंट के सदस्यों को रखिये केवल सरकारी नौकरों को नहीं। कुछ ऐसे लोगों को रखिये जो जाने हुए विद्वान् हैं जिनमें यह ज्ञान है कि किन किन विषयों पर ग्रन्थों की आवश्यकता है। और इन ग्रन्थों को तेजी से लिखाइये। जिस अच्छे लेखक का पता चले उसको रखिये। मैं ने सुना है कि आपके यहां एक डिक्शनरी बनायी गयी है। मैं ने सुना है कि यह एक छोटा सा कोष है और उस पर हज़ारों रुपया खर्च हो गया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी बहुत से कोष बनाये हैं पर हमारा इतना रुपया खर्च नहीं हुआ। हमारे भी लगभग ३० हज़ार रुपये खर्च हुए मगर गवर्नमेंट का सा खर्च नहीं हुआ। हमने कोई १४ या १५ कोष छपवाये हैं। मगर आपका इसमें खर्च बहुत हुआ है, पूरी देखभाल नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस ओर अधिक ध्यान दें।

दूसरे मेरा उन मंत्रियों से जो यहां बैठे हुए हैं यह निवेदन है कि वह हिन्दी को अपने विभागों में चलाने का यत्न करें। मैं यह नहीं कहता कि संविधान के विरुद्ध ऐसा किया जाय। मैं वैधानिक हूं। मैं संविधान के विरुद्ध आप से कुछ नहीं कहूंगा। मेरा कथन है कि वित्त मंत्री जी का भाषण हमारे सामने है। क्या यह भाषण हिन्दी में भी नहीं छप सकता था। माननीय लाल बहादुर जी ने अपना भाषण हिन्दी में भी छपवा दिया था। मेरा निवेदन है कि आप अंग्रेज़ी में रखिये किन्तु जो आप का सरकारी साहित्य निकले वह अगर हिन्दी में भी आवे तो इसमें भी हिन्दी बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ ज्यादा रुपया खर्च होगा। मेरा तात्पर्य इन थोड़े से पन्नों से ही नहीं है, यह जो आप बड़े बड़े पोथे छपवाते हैं, यह जो चारवाल्यूम में आप ने बजट डिमांड छपवाये हैं, इनको अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी भी छपवा सकते थे।

श्री त्यागी : बहुत देर लगती।

श्री टंडन : यह ठीक है। लेकिन क्या आप को मालूम है कि हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कई वर्षों से यह कर के दिखा

[श्री टंडन]

दिया है । दस वर्षों अंग्रेज़ी में और हिन्दी में भी बजट छपा है, और मेरा अनुमान है कि आज भी हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में वहां बजट छपता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : विधान के अनुसार तो वह रोमन में होना चाहिए ।

श्री टंडन : जी नहीं आप थोड़ी देर के लिये भूल गये । आप को याद नहीं है । विधान नहीं संविधान के अनुसार वह नागरी में छपेगा । नागरी अक्षरों में परन्तु आप विलायती अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें यह है कि नागरी अक्षर होंगे, हिन्दी भाषा होगी, परन्तु आप अंग्रेज़ी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं । इसके लिए भी संविधान में यह शर्त है कि आप राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर जिसके अर्थ आप खुद हैं, अर्थात् गवर्नमेंट से आज्ञा लेकर नागरी अंकों का भी प्रयोग कर सकते हैं । मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप इसको हिन्दी भाषा, नागरी अक्षरों और नागरी अंकों में छापें । नागरी में अंग्रेज़ी अंकों की कोई जरूरत नहीं है । क्योंकि जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनके लिए तो आप अंग्रेज़ी में छापते ही हैं । आप उस समय संविधान सभा में नहीं थे । शायद इसलिये आपको यह याद नहीं है ।

श्री त्यागी : मैं तो आपके साथ ही लड़ा हूं ।

श्री टंडन : यह जो अंकों का मामला है यह तो ऐकाउन्टेट जनरल के आफ़िस की वजह से उठा था । उस समय यह ख्याल था कि अगर नागरी अंक आ गये तो उनके दफ़्तर में मुश्किल पड़ेगी । लेकिन जो चीज़ अंग्रेजी में छपती है अगर उसको हिन्दी में भी छापा जाय तो इस तरह का झगड़ा नहीं पड़ सकता । यह थोड़े से खर्च की बात है । उस दिन मैं ने रेलवे विभाग को इस विषय में सुझाव दिया था । आज मैं और सारे विभागों को यह सुझाव देना चाहता हूं । मैं बराबर देखता हूं कि हर विभाग का जो भी साहित्य हमारे पढ़ने के लिये छपता है वह अंग्रेज़ी में छपता है । इसको आप १५ वर्ष तक अंग्रेज़ी में छापें लेकिन कृपया हिन्दी में भी छापें । आप देखेंगे कि इससे हिन्दी का प्रचार बढ़ेगा । यह मेरा आपको सुझाव है । इस तरह आप अपनी ओर से हिन्दी को चलाने में सहायक होंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पराजय तथा विपत्ति का बजट है । सरकार ने १९४८ से ही उद्योगपतियों को खुश करने की नीति अपनाई है, उन्हें कई रियायतें दी गईं तथा अब भी दी जा रही हैं । एक तरह से सरकार ने उनके सामने हथियार डाल दिए हैं । दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा कर जन साधारण की मुसीबत बढ़ाई जा रही है ।

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जनसाधारण के जीवन को खुशहाल बनाना बताया गया है । लेकिन लक्षण तो उलटे हैं । श्री गाडगिल ने कल अपने भाषण में हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया । काश ! प्रधान मंत्री इसी तरह भूतपूर्व-मंत्रियों की संख्या बढ़ाते जाते

यह ठीक है कि आय-कर की सीमा बढ़ा कर मध्यवर्गीय लोगों को ८२ लाख रुपये की वितति तक की छट दी गई है । लेकिन इसके साथ ही आयात शुल्क तथा डाक खर्चे में वृद्धि की गई है । इस से सरकार को ५ करोड़ रुपये से अधिक आय होगी । आखिर, यह कहां से आयेगा ?

सौन्दर्य प्रसाधनों पर भी कर लगाया गया है, जिसे कि कम से कम महिला समाज कभी पसन्द न करेगा उनके लिये यह वस्तुएं आवश्यकता बन गई हैं । पुस्तकों पर भी

डाक ख़र्चा बढ़ा दिया गया है। इसका प्रभाव मध्यवर्गीय लोगों पर ही पड़ेगा।

घाटे का बजट रखा गया है। मेरा विश्वास है कि घाटे का बजट अन्तिम हथियार है जिसे कि किसी सरकार को अपने साधन बढ़ाने के लिये अथवा अपनी परियोजनाओं के अर्थ संधारण के लिये प्रयोग में लाना चाहिये। इस से पहले मितव्ययता आंदोलन छेड़ा जाना चाहिये। गत वर्ष मंत्री जी ने इस संबंध में हमें आश्वासन दिया था। परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मितव्ययता के लिये कोई गुंजाइश नहीं? बड़े बड़े अधिकारियों के वेतनों के सम्बन्ध में सरकार का क्या ख़याल है? हम बहुत से विशेषज्ञों को बाहर से मंगा रहे हैं। हमें इन्हें कितना वेतन देना पड़ता है?

श्रीमन्, नदी घाटी परियोजनाओं के लिये ४१ विदेशी विशेषज्ञ आयात किये गये हैं। एक अधिकारी ५० हज़ार डालर प्रति वर्ष के वेतन पर लाया गया है। अधिकांश विशेषज्ञ नौ नौ तथा दस दस हज़ार डालर प्रति वर्ष के वेतन पर लाये गये हैं। इन बड़ी बड़ी तनख्वाहों के अलावा उन्हें नाना प्रकार के भत्ते भी दिये गये। इन विशेषज्ञों की अहर्ताएं क्या हैं? माननीय मंत्री ने दूसरे सदन में स्वयं एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि इन में आठ व्यक्तियों ने विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षा प्राप्त की है। शेष को व्यावहारिक जानकारी प्राप्त है जो कि उन्होंने कारखानों में काम करने से हासिल की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप के अपने देश में ऐसे लोग हैं जो बिना बड़ी बड़ी तनख्वाहें लिए ही जन साधारण का कल्याण करने के लिए उद्यत हैं। आप उन्हें अवसर दीजिये। निर्धन भारत बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने में असमर्थ है। गांधी जी ऐसा कहा करते थे तथा कांग्रेस ने भी अपने कराची वाले अधिवेशन में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।

माननीय मंत्री ने आय-कर जांच समिति की घोषणा की है। इसके अध्यक्ष डा० जान मथाई हैं जो कि एक पूंजीपति हैं तथा जो बम्बई प्लान के प्रस्तावकों में से एक हैं। इतना ही नहीं, इस समिति के साथ दो विदेशी विशेषज्ञ भी रखे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में विशेषज्ञ नहीं हैं? क्या माननीय मंत्री स्वयं विशेषज्ञ नहीं हैं?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तथा कथित विशेषज्ञों को हमारे जन साधारण के जीवन के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं। भारतीयों को काम करने का अवसर दे कर आप धन भी बचा सकेंगे। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने कि देश तथा राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग दिया है। हम ने ताजमहल जैसी इमारतें खड़ी की हैं। कई सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। इन सब के लिये हमने कभी भी अमरीका से विशेषज्ञ आयात नहीं किये।

मैं सरकार से विशेष कर वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे भारतीयों को अपना कार्य कौशल दिखाने का अवसर दें। हो सकता है कि शुरू शुरू में हम ग़लतियां करें; किन्तु, जैसा कि सरदार पटेल ने एक समय कहा है, हमें गलतियां करने की आज़ादी होनी चाहिये। इसी से हम अनुशासन, समृद्धि तथा शान्ति को प्राप्त कर सकते हैं।

पंडित फोतेदार (जम्मू तथा काश्मीर): श्रीमन्, इस समय जब कि हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं, विश्व में कई गम्भीर तथा महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। सारा विश्व दो गुटों में बट गया है तथा युद्ध की तैयारियों में संलग्न है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि चारों तरफ़ से भय, असुरक्षा तथा चिन्ता

[पंडित फोतेदार]

की भावना फैली हुई है। इधर हालत यह है कि सम्प्रदायवाद फिर से सिर उठा रहा है तथा सारे देश में शान्ति तथा व्यवस्था भंग करने पर तुला हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या हम इस स्थिति में पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ चुका है जबकि देश भक्तों को इस पर ध्यान देना चाहिये। यदि हम निरपेक्ष भाव से इन सरगर्मियों को देखते रहें तो मेरे विचार में इसके परिणाम खतरनाक होंगे। हमें इस बात पर सोचना होगा कि क्या हम १९४७ की घटनाओं के पुनरावर्तन को सहने के लिए तथा देश के अंगभंग के लिए तैयार हैं। इन गतिविधियों का केन्द्र इस समय जम्मू बना हुआ है। कौन जानता है कि इस षड्यन्त्र की पृष्ठ में किस का हाथ है? बजट में कुछ भी त्रुटियां हों, परन्तु जब देश में शान्ति ही न हो तथा फूट की भावना हो में तो आर्थिक पुनरुद्धार आदि बातें कैसे हो सकती हैं?

जम्मू के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। वहां जो घटनाएं हो रही हैं उनके कारण जानना कठिन नहीं है। इस में सम्प्रदायवादी तथा प्रतिक्रियावादी नेताओं का हाथ है जो देश के हित की चिन्ता किये बिना स्वार्थ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निर्वाचन में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। संवैधानिक उपायों से वह हार गए। अब वह धर्म के नाम पर लोगों को उभार रहे हैं। इस षड्यन्त्र में बड़े गुटों का भी हाथ है। वह सारे राष्ट्र को अस्त-व्यस्त देखना चाहते हैं। मैं देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें साहस तथा बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, अन्यथा हमें बाद में पछताना पड़ेगा।

श्री जयपाल सिंह : मुझे सरकार से एक गम्भीर शिकायत है कि जब कभी सामान्य बजट पर सदन में चर्चा होती है, तो वह तिरस्कार की भावना से इस सदन से व्यवहार करती है। इस समय यहां मंत्रिमंडल के केवल दो ही सदस्य उपस्थित हैं जो कि मेरे कथन को सिद्ध करते हैं।

ब्रिटिश शासन की यह नीति थी कि वह रक्षा के सम्बन्ध में सदन को कोई सूचना नहीं देता था, यद्यपि राष्ट्रवादी पक्ष उस समय इसके लिए ज़ोरदार मांग करता था। परन्तु खेद की बात है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी हमारी राष्ट्रीय सरकार उसी नीति को अपनाये हुए है। रक्षा के संबंध में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो न केवल टाल मटोल से काम लिया जाता है, अपितु गलत सूचना भी दी जाती है। हमारे सामने जो सुन्दर चित्र रक्खा जा रहा है, मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं। हमें सरकार से स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि कुछेक बातें गोपनीय हैं, किन्तु उन के बारे में भी सदन गुप्त रूप से अथवा समिति के रूप में चर्चा कर सकता है।

माननीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि निकट भविष्य में रक्षा सम्बन्धी व्यय में किसी विशेष कमी की आशा नहीं। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा खतरे में डालनी चाहिये, किन्तु मैं यह ज़रूर कहता हूं कि हमारी रक्षा व्यवस्था उतनी शानदार नहीं है जितनी कि हमें बताई जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं तथा यदि मंत्री जी चाहें तो वह इनका खंडन कर सकते हैं। अभी वायु-सेना को ही लीजिये। मंत्री जी के कथनानुसार नौ-बल तथा वायु-बल से संबंधित सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है किन्तु बजट में नौ-बल के लिए कुल धनराशि का केवल छः प्रतिशत भाग तथा वायु-बल के लिए कुल धन राशि का

केवल १४ प्रतिशत भाग आवंटित किया गया है । बजट से पता चलता है कि गत वर्ष ५·२२ करोड़ रुपये इस कारण से व्यय नहीं किए गये कि माल प्राप्त न हुआ । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह क्या माल था जो कि प्राप्त न हो सका । सदन को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का हक है । सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए विशेषकर जबकि हमारी दृष्टि में जीप सकैंडल तथा अन्य सकैंडल हैं । अभी हाल ही में एक व्यक्ति केपटिन रेनाल्ड जोकि हमारी सेवा में है किन्तु जो भारतीय प्रजाजन नहीं, ने रक्षा मंत्रालय के वित्त सलाहकार की अनुमति अथवा जानकारी के बिना ही दस ऐसे वायु-यानों के क्रय के सम्बन्ध में सौदा किया जोकि जल तथा थल दोनों से उड़ान कर सकते थे तथा उतर सकते थे । यह सौदा लगभग ५० लाख रुपया का हुआ । मैं ने इस संबंध में अपने तरुण रक्षा उपमंत्री से पूछा था कि क्या विश्व की किसी अन्य नौसेना ने भी इन्हें स्वीकार किया है । उन्हों ने यह सूचना देने में अपनी असमर्थता प्रकट की तथा कहा कि शायद किसी ने किया है । मेरा निवेदन यह है कि जब हम नक़द पैसा खर्चने जा रहे हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसी सामग्री खरीदें जोकि उपयोगी हो, तथा ऐसे हवाई जहाज़ नहीं जो कि विश्व की अन्य नौ-सेनाओं ने रद्द किये हों तथा जोकि हमारे काम के नहीं हो सकते हैं । मैं अपने मित्र माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि प्रतिरक्षा व्यय तथा रेलवे व्यय को एक स्तर पर रक्खा जाये; अर्थात् सरकार को पूर्व प्रणाली का परित्याग करके इस पर एक सर्वांगपूर्ण वादविवाद होने का मौका देना चाहिये, क्योंकि प्रतिरक्षा पर हमारे राजस्व का लगभग आधा भाग व्यय होता है। सरकार को अपना रवैया बदलना होगा तथा वह तिरस्कार की भावना छोड़नी होगी जोकि इसकी इस सदन के प्रति है ।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : श्रीमन्, बजट का अध्ययन करने से मैं इस धारणा पर पहुंचा हूं कि यह बजट अमीरों को सुभीते तथा गरीबों को गरीबी देता है । इसी सिद्धान्त पर यह प्रस्थापनाएं तैयार की गई हैं । बजट का ६० प्रतिशत भाग या तो प्रतिरक्षा पर या ऊपर भारी प्रशासन आदि पर व्यय होता है । पटसन के बोरों का निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस कमी से भारतीय जनता को कैसे फायदा पहुंचेगा । क्या भारतीय पटसन उत्पादकों को इस से फायदा पहुंचता है ? इस से यदि कुछ फायदा पहुंचेगा तो वह प्रमुख ब्रिटिश व्यवसायियों को ही पहुंचेगा । पटसन उद्योग ने गत दो दशाब्दियों में जो लाभ कमाया है क्या सरकार ने उसकी कोई जांच की है । आखिर, निर्यात शुल्क कम करने का औचित्य क्या है ? मुझे मालूम है कि पटसन व्यवसायियों को अपना माल बेचने में कोई हानि नहीं । वह केवल कम लाभ पर इसे बेचना नहीं चाहते हैं । इसी तरह से चीनी उद्योग को प्रतिकर देने के लिए बजट में कुछ धनराशि रखी गई है जबकि लाखों गन्ना उत्पादक विपत्ति में पड़े हुए हैं । मुझे एक फैक्टरी का ज्ञान है जिस ने कि गत छै अथवा सात वर्षों में ८० लाख पया मुनाफा कमाया है । राष्ट्रीय हित के नाम पर तथा उद्योगों को संरक्षण देने के नाम पर बड़े बड़े व्यवसायियों को तथा विदेशी पूंजी-पतियों को सुभीते दिये जा रहे हैं ।

लगभग प्रत्येक मंत्री ने यह नारा अपनाया है कि हर तरह से प्रगति हो रही है । वित्त मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा । मुझे मालूम नहीं कि इस तथा-कथित प्रगति का क्या अर्थ है । कृषि सम्बन्धी श्रम को ही लीजिये । यह हमारी जनसंख्या का २५

[श्री गोपाल राव]

प्रतिशत भाग है । यह लोग विपत्ति में हैं । इनके पास न काम है, न जमीनें हैं तथा न मकान ही हैं। बजट से इन्हें क्या फायदा पहुंचा है ? क्या इनकी स्थिति सुधर गई है ? हस्त-कर्घा उद्योग की भी यही हालत है । वह अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। उनके पास काफी स्टाक जमा हुआ है । वह बेकारी, भूख तथा विपत्ति का सामना कर रहे हैं ।

सरकार दावा कर रही है कि खाद्य स्थिति सुधर गई है जबकि दुर्भिक्ष एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक फैलता जा रहा है। मुझे रायलासीमा, कुड्डापाह तथा अनन्त-पुर के ज़िलों से समाचार मिले हैं कि वहां की जनता सहायता केन्द्र खोलने की मांग कर रही है । इस संकट का निवारण करने के लिए सरकार अपनी नीति नहीं बदल रही है । कहने को नियंत्रण है, परन्तु इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं । प्रधान मंत्री ने हाल ही में इसकी जो परिभाषा दी है वह पूंजीपतियों के लिए एक प्रकार की अमृतवर्षा थी ।

मैं यहां कृष्णा नदी बांध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह गत एक सौ वर्ष से १५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर रहा है । राज्य सरकार की लापरवाही से न मालूम यह किस दिन बिल्कुल बह जायगा । यदि केन्द्रीय सरकार केवल ढाई करोड़ रुपये खर्च करके एक 'सड़क विनियामक' (रोड रेगूलेटर) का निर्माण करती तो वहां खाद्य समस्या बहुत हद तक हल हो जाती।

नई परियोजनाओं के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं कि उन्हें कब क्रियान्वित किया जायगा । नन्दीकोंडा, सिद्धेश्वरम्, गंडीकोंडा परियोजना को पंचवर्षीय परियोजना में शामिल नहीं किया गया है । आन्ध्र में केवल एक ही रेडियो स्टेशन, विजयवाड़ा स्टेशन है । इसे उच्च-शक्ति का स्टेशन बनाया जाना चाहिये । आन्ध्र प्रान्त के निर्माण में जो विलम्ब हो रहा है, उस से जनता के मन में सन्देह उत्पन्न हो रहा है । हमें आशा है कि सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करेगी ।

आन्ध्र का पिछड़ा हुआ प्रदेश है । हाल ही में वहां एक विद्युत सम्बन्धी परियोजना पर काम बन्द किया गया है । इससे ढाई हज़ार व्यक्ति बेकार हुए हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस परियोजना पर काम पुनः चालू करेगी ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग): श्रीमन्, जहां बजट के इस पहलू पर सन्तोष प्रकट किया गया है कि आय-कर सीमा बढ़ा दी गई है वहां बहुत से लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह सीमा व्यक्तिगत मामलों में ५००० तथा संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में १०,००० रुपये निश्चित की जानी चाहिये थी । वह यह भी महसूस कर रहे हैं कि अधिक आय वर्गों पर करारोपण की दर बढ़ा दी जानी चाहिये । कुछ भी हो, हम यह मामला आय-कर जांच समिति पर, जिसकी कि माननीय मंत्री ने घोषणा की है, छोड़ते हैं ।

पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमें यह नहीं बताया गया है कि गत दो वर्षों में क्या कार्यप्रगति रही है । जब तक कि हमें यह मालूम न हो जाये कि वस्तुस्थिति क्या है तब तक हमारे लिए आगे के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कठिन होगा। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजना का सम्बन्ध है, योजना आयोग की राय है कि इन्हें भी राष्ट्रीय योजना का अंग माना जाये । ऐसी दशा में मैं महसूस करता हूं कि राज्य सरकारें केन्द्र की सहायता के बिना इन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकेंगी । मेरी राय में यह अत्यन्त

ही आवश्यक है कि समस्त स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाये तथा यह देखा जाये कि योजना का काम कैसे चल रहा है । हम माननीय वित्त मंत्री के कृतज्ञ होते यदि वह योजना की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में हमें छेमाही रिपोर्ट दे देते ताकि हम जान सकते कि हम योजना के उद्देश्यों को नियत समय में कैसे पूरा कर सकेंगे ।

हम अपने साधनों का लगभग ५० प्रतिशत भाग प्रतिरक्षा पर खर्च कर रहे हैं । यह आवश्यक है; किन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि हम अपने प्रतिरक्षी बल को किस हद तक राष्ट्र-निर्माण कार्यों में लगा सकते हैं । हमारे अल्प साधनों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा होना चाहिये ।

जहां तक भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सरकार को उन्हें अब स्वेच्छा से इस में ५० प्रतिशत कमी करने के लिए आग्रह करना चाहिये । माननीय मंत्रियों ने स्वयं अपने वेतनों में ऐसी कटौती स्वीकार की है । कोई कारण नहीं कि नरेशों को क्यों न यह कटौती स्वीकार करनी चाहिये ।

कृषि मंत्री जी ने हमें जो यह आश्वासन दिया है कि खट्टे-मीठे फल वाले पौधों की बीमारियों की जांच के लिए दक्षिण में एक संयंत्र स्थापित किया जायगा, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं । यह संयंत्र कृपया मेरे राज्य में स्थापित किया जाये क्योंकि यह दक्षिण में सब से बड़ा संगतरा उत्पादक राज्य है ।

सरदार लाल सिंह (फीरोजपुर-लुधियाना) : मैं आज तक सदैव ही कृषि पर बोलता रहा हूं, परन्तु आज मैं सरकार का ध्यान उस विध्वंसात्मक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि पंजाब तथा पेप्सू में उत्पन्न हो रही है । पंजाब सरकार ने सिखों के प्रति जो दमन की नीति अपनानी शुरू की है तथा जिस ढंग से पेप्सू में संविधान निलम्बित किया गया है, वह देश के भविष्य के लिए कुछ शुभ नहीं है ।

पंजाब में इस संघर्ष का तात्कालिक कारण धार्मिक सभाओं पर प्रतिबन्धन लगाना है । कोई भी उदार-चित्त व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि यह प्रतिबन्ध अनुचित था । वह लोग भी, जोकि मास्टर तारासिंह की विचारधारा से सहमत नहीं, इस बात को मानते हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपने इस उठाए गये पग को वापस ले ।

यद्यपि सिखों की जनसंख्या डेढ़ अथवा दो प्रतिशत से अधिक नहीं, फिर भी स्वतंत्रता संग्राम में इनका बलिदान महान रहा है । आज भी वह देश की खातिर अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं । विभाजन के परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत सिखों ने पीड़ा उठाई । इसलिए स्वभावतः उन्हें राष्ट्रीय सरकार से हमदर्दी की आशा थी । आज भी उनकी मांगें कुछ बड़ी नहीं । वह चाहते हैं कि हिन्दू तथा सिख हरिजनों के साथ समान व्यवहार हो । दूसरी उनकी मांग यह है कि सिखों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनकी जांच कराई जाये । हो सकता है कि उन की शिकायतें निराधार हों, परन्तु ऐसी जांच से स्वयं सरकार को ही लाभ पहुंच सकता है । तीसरी उनकी यह मांग है कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तरह पंजाबी भी राज्य भाषा मान ली जाये । स्पष्टतयः यह कोई अनुचित मांग नहीं है । वह चाहते हैं कि पेप्सू का अपना एक विश्वविद्यालय हो ।

विभाजन के बाद से पंजाब के मंत्रिमंडल में सिखों तथा हिन्दुओं की संख्या बराबर होती थी । अब यह बराबरी समाप्त की गई है । मुख्य मंत्री इस तरह से सम्प्रदायवाद को समाप्त करना चाहते थे । परन्तु उन्हों ने यह नहीं सोचा कि राज्य का राज्यपाल, मुख्य

[सरदार लाल सिंह]

मंत्री, लगभग सारे हाई कोर्ट जज तथा सभी वित्त-आयुक्त हिन्दू ही तो हैं ।

कोई भी उदार-चित्त व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि सिखों की मांगें अनुचित हैं। कठिनाई केवल यह है कि इस समस्या पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया है। मेरा विश्वास है कि जब तक हिन्दू तथा सिख सगे भाइयों की तरह न रहेंगे तथा एक संस्कृति, एक सभ्यता तथा एक परम्परा का आनन्द न लूटेंगे तब तक पंजाब रहने के योग्य नहीं होगा। दमन चक्र तथा प्रचार से काम नहीं चलेगा, न्याय, चित्त की उदारता तथा ईमानदारी ही पंजाब में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त कर सकती है ।

पंजाब तथा पेप्सू सीमावर्ती राज्य हैं । वहां की जनता बहादुर तथा शूरवीर है । आपको तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार करना होगा। वहां पूर्ण शान्ति तथा सद्भावना होनी चाहिये । कांग्रेस आज सिख सम्प्रदाय के विश्वास का पात्र नहीं। देशभक्तों को चाहिये कि वह इस असन्तोष का कारण ढूंढ निकालें तथा उसका निवारण करें । हम अपनी राष्ट्रीय सरकार से यही आशा करते हैं ।

श्री सी० डी० दशमुख : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुझाव दिया गया है कि कम से कम मेरा आधा वक्तव्य हिन्दी में दिया जाय । हिन्दी को प्रोत्साहन देना यह सब का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है, यह मैं मानता हूं। परन्तु मैं समझता हूं कि इस दिशा में कुछ मार्ग काटना सम्प्रति समुचित नहीं है। इसके कारण अभी मैं एक श्लोक कहने वाला हूं, उस में इस विषय को निर्दिष्ट किया गया है । वह श्लोक यह है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संस्कृत में या हिन्दी में ?

श्री सी० डी० देशमुख :

सभापते ! यद्यपि भारतीयाः ।
विदन्ति हिन्दीं सकला न सभ्याः ।।
तत्त्वानुबोधाय यदांग्लभाषी ।
वक्ष्यामि तत्वं शृणुयाः क्षमावान्।।

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दी में अनुवाद करना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : सभापते यद्यपि भारतीया, सब सदस्य भारतीय हैं, तथापि सकला सभ्याः हिन्दीं न विदन्ति। अगर अर्थ-संकल्प जो है उसका अनुबोध होना चाहिये तो आंग्ल भाषा का आश्रय ले कर तत्त्वानु-बोधाय यदांग्लभाषी। वक्ष्यामि तत्त्वः शृणुयाः क्षमावान् ।

यथापूर्व, वादविवाद का क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है, तथा कई दिलचस्प प्रश्न उठाए गए हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे कहना चाहिये कि विरोध तथा आलोचना की अपेक्षा प्रशंसा तथा सराहना ही अधिक रही है। मैं उन सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्हों ने कि बजट का समर्थन किया है तथा मैं उन लोगों की नर्मी की भी सराहना करता हूं जिन्हों ने कि बजट का विरोध अथवा आलोचना करना उचित समझा। कम्युनिस्ट पार्टी के उप-नेता ने अपने भाषण में जिस नर्मी से काम लिया है, उस से भी मैं चकित रह गया हूं ।

विरोधी दल के सभी सदस्यों से मेरा वाद-प्रतिवाद करना सम्भव नहीं । मुझे प्रसन्नता है कि उन्हें सांख्यकी के प्रारम्भिक अध्ययन में अब पहले से कुछ अधिक विश्वास है। परन्तु मुझे आशा है कि मैं उचित स्थान पर उन्हें यह दिखा सकूंगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाये हैं जिनका सम्बन्ध सिद्धान्तों के अलावा

सविस्तार विवरण से है। उदाहरण के रूप में प्रतिरक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ कहा गया। मैं इस समय इस पर तक वितर्क नहीं कर सकता हूं। इस विषय विशेष के लिए डेढ़ दिन आवंटित किया गया है तथा उस समय इस सम्बन्ध में मुझ से कोई योग्य व्यक्ति इसका निवारण करेगा। और भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, जिनके उत्तर देने का कार्य मैं अपने अन्य सहयोगियों पर छोड़ता हूं।

फिर, मुझे यह मालूम नहीं कि क्या लोक सभा अपने किसी सदस्य के विचारों को जो कि उस ने राज्य परिषद में कहे हों, न्यायिक दृष्टि से देखती है। मैं देखता हूं कि विभिन्न विचारों की, जो कि मैं वहां प्रकट करता हूं कभी कभी उपेक्षा की जाती है तथा वही आलोचना इस सदन में की जाती है जिसका कि मैं ने अपने विचार से उत्तर दिया हो। मेरा अपना विचार यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने राज्य परिषद् में किसी प्रश्न का सविस्तार उत्तर दिया हो तो यह लोकहित में नहीं है कि वित्त मंत्री उसी प्रश्न पर लोक सभा में भी सविस्तार रूप से प्रकाश डाले। मुझे किसी विशेष निर्णय की आवश्यकता नहीं परन्तु मुझे आशा है कि मुझे समय पर इस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रथा तो यह है कि सरकारी सदस्यों ने जो नीति सम्बन्धी वक्तव्य एक सदन में दिए हों, उनकी ओर दूसरे सदन में निर्देश किया जा सकता है किन्तु उन बातों की ओर नहीं जिन पर कि वाद विवाद हुआ हो अथवा जो विवादास्पद हों। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, सामान्यतया यह प्रथा नहीं है कि वहां किसी माननीय सदस्य द्वारा किये भाषण को यहां प्रयोग में लाया जाये अथवा उसका उद्धरण दिया जाये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह प्रश्न इसलिए उठाता हूं कि विरोधी पक्ष के एक भाषण में मेरे कुछ शब्दों की आलोचना की गई जोकि मैं ने राज्य परिषद् म कहे थे।

मेरे मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द ने शिकायत की है कि पूंजी बजट पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं। गत दो अथवा तीन वर्षों से हमारी यह कोशिश रही है कि बजट में सविस्तार सूचना दी जाये। यह अधिकांश रूप से एक निरन्तर आदेशिका है तथा मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं पूंजी बजट को अधिक स्पष्ट बनाने की समस्या की जांच कराऊंगा जिस से कि अगले वर्ष इस में वह परिवर्तन, जो आवश्यक हों, किये जा सकें।

एक से अधिक माननीय सदस्यों ने बजट में विकास व्यय के उपबन्ध पर ध्यान देने का प्रश्न उठाया। वतमान बजट में इस सम्बन्ध में कुछ अधिक करना सम्भव नहीं. क्योंकि हमें समुचित सूचना उपलब्ध नहीं है। यह ठीक है कि योजना का एक वर्ष बीत गया है तथा इसका वृत्तान्त प्राप्त होना चाहिये था। परन्तु योजना हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसलिए वास्तविक व्यय को योजना में दी गई धनराशि से सम्बद्ध करने का प्रश्न कुछ कठिनाई उत्पन्न करता है। यही कारण है कि हम योजना के प्रथम वर्ष का वृत्तान्त उस रूप में पेश नहीं कर सके हैं जिस रूप में माननीय सदस्य चाहते थे। कार्यप्रगति का ब्यौरा योजना आयोग तैयार कर रहा है। मेरा विचार है कि जनवरी के मध्य में राज्य सरकारों को सूचना भेजने के लिए लिखा गया है तथा मैं आशा करता हूं कि सत्रावसान से पूर्व सदन को इस संबंध में एक ब्यौरा पेश किया जायगा। आशा है कि यह ब्यौरा लगभग छे सप्ताह में तैयार होगा—अर्थात सत्रावसान से पूर्व। मैं इस बात

[श्री सी० डी० देशमुख]

पर भी विचार कर रहा हूं कि क्या भविष्य में बजट के साथ एक ऐसा विवरण परिचालित किया जा सकता है जिस में कि पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि दी गई हो। विकास व्यय के विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना सम्भवतः वांछनीय अथवा सम्भव न होगा कि इस समस्त व्यय को एक ही मांग के अन्तर्गत लाया जाये।

मेरे माननीय मित्र डा० कृष्णास्वामी ने बजट में दिए गए आंकड़ों के विस्तार के सम्बन्ध में कुछेक बातें कहीं। उन्होंने पूछा कि आय-कर के अन्तर्गत राजस्व आंक क्यों 'विशुद्ध' दिखाया गया है जबकि संघ उत्पादों के संबंध में यह 'कुल' दिखाया गया है। इस से केवल संवैधानिक स्थिति का पता चलता है। संविधान की धारा २७० के अन्तर्गत आय-कर भारत की संचित निधि का भाग नहीं है, तथा इस कारण से इसे इस में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके उलट संघ उत्पाद भारत की संचित निधि का हिस्सा हैं तथा संविधान के अनुच्छेद २७२ के अन्तर्गत राज्यों को इस में से कुछ देना है; जिस की कि व्यय में व्यवस्था रखी गई है। डा० कृष्णास्वामी ने यह भी पूछा है कि फुटकर व्यय के लिए जो ५३ करोड़ रुपये दिखाया गया है, उसका सविस्तार विवरण क्यों नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विवरण का यह भाग एक संक्षिप्त विवरण है। यह मदें विवरण के भाग ख में दी गई है। कुछेक मदों को विवरण में स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, परन्तु यह स्पष्टीकरण स्मृतिपत्र में दिया गया है। वहां अलग अलग मदों के लिए आंकड़े भी दिये गए है।

उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि व्यय-विवरण में निजी थैलियों के लिए ४·७० करोड़ दिखाया गया है जबकि अनुदानों की मांगों में यह ५·४९ करोड़ रुपये दिया गया है। वास्तव में इस में कोई अन्तर नहीं। यदि हम कुल व्यय में से वह धनराशि कम करें जोकि हमें भाग ख राज्यों से प्राप्त होगी तो मामला स्पष्ट हो जायगा। इस सम्बन्ध में वह स्पष्टीकरण-स्मृति पत्र के पृष्ठ १४८ को भी देख सकते हैं। मुझे माननीय सदस्यों के साथ हमदर्दी है कि उन्हें बजट पत्रों का अध्ययन करने में कठिनाई होती है। हम इसे ज्यादा से ज्यादा आसान रूप में पेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में हम माननीय सदस्यों के सुझावों का भी, यदि कोई हो, स्वागत करेंगे।

कुछ मित्रों ने मेरी इस कार्यवाही की आलोचना की है कि राजस्व बजट में आमदनी के पक्ष में वह १८ करोड़ रुपये दिखाए गए हैं, जो कि हमें पाकिस्तान से अगले वर्ष प्राप्त होने हैं। चूंकि अदायगी बराबर बराबर किस्तों में होगी, इसलिए शुरू शुरू में इसका अधिकांश भाग हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तथा हम इसे राजस्व में दिखा सकते हैं। क्या राजस्व का पूंजी भाग राजस्व बजट में लिया जाये तथा इसे ऋण चुकाने में उपयोग में लाया जाये अथवा क्या इसे पूंजी बजट में लिया जाये तथा इसे उधार में कमी के रूप में लिया जाये, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कि बाद के वर्षों में चर्चा होगी। परन्तु मेरा विचार है कि इस समय राजस्व तथा पूंजी के बीच जो वर्गीकरण हुआ है, वह किसी गम्भीर महत्व का नहीं है। इस ऋण की वसूली के सम्बन्ध में और भी एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे मालूम नहीं कि राज्य परिषद् में मैं ने जो कुछ कहा है क्या वह नीति सम्बन्धी वक्तव्य है, क्या वह विस्तार

की बातें हैं अथवा क्या वह एक विवादास्पद मामला है। मेरे विचार में इसे विवादास्पद मामला ही कहा जा सकता है। यह सम्भव है कि इस सीमित क्षेत्र के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ संतोषजनक समझौता हो जाये जिस से कि हम यह किस्तें वसूल कर सकें। मुझे माननीय सदस्यों को चेतावनी देनी है कि जहां तक नक़द भुगतानों का सम्बन्ध है, पाकिस्तान को रिज़र्व बैंक की आस्तियों में से कुछ भाग देना है। कुछ समय से यह एक विवादास्पद विषय रहा है, क्योंकि हम इस सम्बन्ध में सुनिश्चित नहीं थे कि जो भी नोट वापस किये गए हैं क्या वह सब के सब विभाजन के समय परिचलन में थे। क्या इन्हें रिज़र्व बक की आस्तियों के रूप में अदा किया जाये अथवा क्या इन्हें रिज़र्व बैंक के लेखे में स्टेट बैंक आफ़ पाकिस्तान को दिये गए कर्जे के रूप में दिखाया जाये, यह ऐसे मामले हैं जिन पर कि विचार करना होगा। और भी अन्य विवाद हैं जिन में इतनी बड़ी बड़ी धनराशियां तो ग्रस्त नहीं। इनके मुकाबले में हमें उस धनराशि को वसूल करना है जोकि पाकिस्तान से हमें देय है।

एक समय मैं ने विचार प्रकट किया था —तथा ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान सरकार ने भी इसे सिद्धान्ततः स्वीकार किया है—कि एक अस्थायी आंकड़े पर समझौता होना सम्भव हो सकता है जिस के आधार पर कि बराबर बराबर किस्तों की संगणना हो सकती है। उन्हों ने अपने बजट में पांच करोड़ रुपये शामिल करके अपनी राय प्रकट की है। यह राशि भारतीय मुद्रा में ७·४ करोड़ रुपये के बराबर है। हम ने ९ करोड़ दिखाया है। इस तरह से अन्तर कुछ ज्यादा नहीं। इस से कुछ धन बाकी बच जाता है जिसके सम्बन्ध में बाद में समन्वय करना पड़ेगा। बर्मा तथा भारत के बीच हिसाब चुकाने में तीन वर्ष लगे थे। परन्तु मेरे विचार में इस सम्बन्ध में हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

१९५१-५२ के राजस्व आधिक्य में जो ३६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, उस से माननीय सदस्यों को हैरानी हुई है। वास्तव में मुझे भी हर्षपूर्ण आश्चर्य हुआ। जिस समय मैं ने संशोधित आंक तैयार किया था उस समय हम ने उन तत्वों का पूर्वानुमान नहीं लगाया था जिनके कारण यह वृद्धि हुई है। वर्ष के आखिरी महीनों में आय-कर संग्रह अनुमानित धनराशि से १३ करोड़ रुपये अधिक था। इसके लिए मेरे विचार में वह १००० आय-कर अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्हों ने कि विभाग के लिए काम किया है। प्रतिरक्षा व्यय में १० करोड़ रुपये की कमी हुई है क्योंकि उनका माल समय पर नहीं पहुंचा।

श्री जयपाल सिंह : क्या माल ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने बताया है कि बजट के दौरान में एक सर्वांगपूर्ण विवरण दिया जायगा। परन्तु मैं यहां तर्कवितर्क नहीं कर सकता हूं। अलग अलग मदों के अन्तर्गत अन्य छोटे छोटे फेरबदल बाकी राशि के लिए ज़िम्मेदार हैं।

अब मैं नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर आता हूं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण के संबंध में मैं एक बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने बजट के आंकड़ों से, जिन में कि आय-कर की वह धनराशि शामिल नहीं है जोकि राज्यों को हस्तांतरित की गई है अपना कोई प्रतिशत निकाला, इस तरह से उन्होंने गलती की। माननीय सदस्य यह मान लेंगे कि गत दो तीन वर्षों में निर्यात शुल्क से जो भारी आमदनी हुई है, उस ने

[श्री सी० डी० देशमुख]

समस्त चित्र को बिगाड़ दिया है । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण का पारस्परिक अनुपात निकालते समय हमें याद रखना चाहिये कि विलास तथा विलास-तुल्य वस्तुओं पर जो निर्यात शुल्क अथवा उत्पाद-शुल्क लगता है, उसका गरीब लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

गत चार वर्षों में प्रत्यक्ष करारोपण में कमी करने की आलोचना की गई है । हमारा उद्देश्य करभार को एक ऐसे स्तर पर लाने का था जिस से कि उपक्रम की भावना नष्ट न होन पाती । ऐसा ख्याल किया जाता था कि १९४७-४८ के विवादग्रस्त बजट ने इस भावना को दबा दिया है । व्यवसाय लाभ कर तथा पूंजी लाभ कर इसलिए हटाये गये क्योंकि उन से सापेक्षतया बहुत कम लाभ होता था; इतना ही नहीं इनका विनियोजन तथा बचत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था । इस पर भी इस देश में प्रत्यक्ष करारोपण का स्तर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ कर संसार के अन्य देशों से ऊंचा है ।

प्रत्यक्ष करारोपण से प्राप्त आय पर विचार करते समय हम निम्नलिखित आंकड़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं । १९५१-५२ में कर निर्धारित व्यक्तियों की संख्या ६,३७,००० थी । आय-कर तथा अधिकर कुल मिला के १०४ करोड़ रुपये था । कर निर्धारित व्यक्तियों का ९५·२० प्रतिशत भाग प्रथम श्रेणी, अर्थात् २५,००० तक की श्रेणी में आ जाता है । दूसरा चार प्रतिशत है अर्थात् २५,००० से ७०,००० तक का जो वर्ग है । पहले वर्ग से आय-कर का २६ प्रतिशत भाग तथा दूसरे वर्ग से २६·४ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है । आय-कर का शेष भाग बाकी एकाध प्रतिशत कर निर्धारित व्यक्तियों से प्राप्त होता है । इस तरह से यह स्पष्ट है कि धनी वर्गों को निर्धन वर्गों की तुलना में अधिक देना पड़ता है । इसके मनोवैज्ञानिक लाभ के अलावा हमें यह भी याद रखना होगा कि हम ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया है तथा हमें ऐसा कोई भी काम न करना चाहिये जिस से कि हमारी उद्देश्यपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाये ।

करारोपण की परियोजना में कोई मूल परिवर्तन न करने का एक विशेष कारण है; यही कारण है कि इस मामले की व्यापक रूप से जांच करने के लिए क्यों एक समिति नियुक्त की गई है । हम ने इसे दो वर्ष का समय दिया है, परन्तु मेरा अपना विचार है कि यह अप्रैल से लेकर १८ महीनों के अन्दर ही अपनी मुख्य सिपारिशें पेश कर सकेगी तथा एक वर्ष के अन्दर हमें मालूम हो सकेगा कि विभिन्न समस्याओं के बारे में इसकी क्या राय है ।

बजट घोषित होने के बाद स्टाक मार्केट की जो स्थिति रही है, उसे देख कर विरोधी दल के कुछ सदस्य परेशान जैसे हुए तथा कहने लगे कि यह बजट अमीरों का बजट है । बम्बई मार्केट में ज़रूर मूल्य वृद्धि हुई है, किन्तु कलकत्ता में इस से कम हुई है तथा मद्रास में मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया हुई है । बम्बई में जो प्रतिक्रिया हुई है उस से यह स्पष्ट होता है कि कारबारी क्षेत्र भविष्य के सम्बन्ध में विश्वस्त हैं । यह एक अच्छी बात है । बजट में प्रत्यक्ष करारोपण के सम्बन्ध में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है । स्टाक मार्केट शायद इसलिए सरकार का आभारी है कि कोई नये कर नहीं लगाए गए हैं । यदि कारबारी क्षेत्र भविष्य के बारे में विश्वस्त दिखाई देते हैं; तो कोई कारण नहीं कि मैं क्यों किसी गलतफहमी का शिकार हो जाऊं । कारबार का अर्थ अधिक उत्पादन तथा अधिक आय है । मुझे आशा है कि यह आय वापस राज्य

कोष में आ जायगी तथा इस से रोज़गार बढ़ जायगा ।

शेयर बाज़ार पर इन मामलों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ा कर बता देना भी सम्भव है । शेयर बाज़ार की प्रतिक्रियाओं, तथा उसकी तेह में जो मनोभाव हैं, उनका निर्वचन करना एक बहुत ही कठिन मामला है ।

कई माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर ज़ोर डाला, तथा ठीक ही ऐसा किया । मैं इन आलोचनाओं को सुनते सुनते कभी भी तंग नहीं आता हूं । मैं ने प्रायः यह स्पष्ट किया है कि हम धन-नाश को रोकने के लिए निरन्तर रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, हम ने एक पुनः संघटन समिति नियुक्त की है जोकि अधिकांश निरन्तर रूप से काम कर रही है । सरकार ने इस समिति की सिपारिशें स्वीकृत की हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कुछ मितव्ययता भी होगी यद्यपि इसे तत्काल ही अगले वष के आंक में नहीं दिखाया जा सकेगा परन्तु मुझे आशा है कि वह प्रतिरक्षा व्यय को उस आंकड़े तक लाने में सहायता देगी जोकि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना में इस के लिए रखा है । यह एक बड़ी बात होगी ।

जहां तक असैनिक व्यय का सम्बन्ध है, मैं सदन को इसका एक विस्तृत विश्लेषण दूंगा तथा यह बताऊंगा कि इसमें कमी करने की क्या गुंजाइश है। कुल असैनिक व्यय इस वर्ष के लिए २३९ करोड़ रुपये है । इस में से ३७ करोड़ रुपया उधार आदि चुकाने के लिए रखा गया है । ३·६ करोड़ रुपये निवृत्ति वेतनों के लिए है, ४·७६ करोड़ रुपये निजी थैलियों जैसे भुगतानों के लिए है । ४८·५८ करोड़ रुपये राज्य सरकारों को विभिन्न कार्यों के लिए सहायता अनुदानों के रूप में दिया जायगा । १६·४९ करोड़ रुपया राज्य सरकारों को उत्पाद-शुल्क के भाग के रूप में दिया जायगा । १२·६७ करोड़ रुपया विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च किया जायगा । १·९५ करोड़ रुपये कुछ विभाजनोत्तर दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यय किया जायगा । सात करोड़ रुपया राजस्व से कुछेक निधियों में हस्तांतरित किया जायगा । इन सारी धन राशियों को घटा के बाकी १०० करोड़ रुपया रह जाता है, जिस में से १५ करोड़ रुपये सरकारी भवनों, सड़कों, आदि के संधारण पर तथा सड़क निधि में हस्तांतरित करने पर व्यय होता है । ३४ करोड़ रुपया सामाजिक तथा विकास कार्यों पर व्यय होगा । इस तरह से बाकी लगभग ४० करोड़ रुपये रह जाता है । इस में से भी काफी हिस्सा मौलिक व्यय के रूप में होगा । इस तरह से एक सीमित क्षेत्र रह जाता है जहां कि पर्याप्त रूप से मितव्ययता हो सकती है । आंकड़े देने से मेरा यह मतलब नहीं कि मितव्ययता की कोई गुंजाइश नहीं है तथा हमें गैर-जरूरी खर्च के निवारण के लिए कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । तथ्य तो यह है कि हम ने असैनिक प्रशासकीय व्यय की निरन्तर जांच के लिए अधिकारियों का एक दल रखा है । तथा हम धन-नाश को रोकने के लिए यथा-सम्भव हर प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु इस तरह से जो मितव्ययता होगी वह विकास कार्यों पर बढ़े हुए व्यय में लुप्त हो जायगी मुझे आशा है कि सदन इस समस्या के विस्तार को भली भांति समझ जायगा । मैं उन्हें आश्वासन दूंगा कि मितव्ययता के लिए खोज जारी रहेगी, किन्तु इसके साथ ही मैं उन्हें कोई वचन नहीं दे सकता हूं कि इसके परिणामस्वरूप बजट में दिये गए व्यय में कोई विशेष कमी होगी क्योंकि हमें एक बहुत बड़े विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है । ४० करोड़ के उक्त व्यय में यदि ज्यादा से ज्यादा ५ प्रतिशत भी कमी की जाये

[श्री सी० डी० देशमुख]

तो भी इस से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है ।

केन्द्रीय बजट में सामाजिक सेवाओं के लिये पर्याप्त उपबन्ध न रखने के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने शिकायत की । वह इस मूल तत्व की उपेक्षा करते हैं कि यह सेवाएं राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती हैं । तथा केन्द्रीय बजट में इन राज्यों को अनुदान आदि देन के अलावा कुछ नहीं दिखाया जा सकता है । इस में केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों तथा केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं तथा विभागों के लिए उपबन्ध रखा गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष के बजट में ४९४ करोड़ के कुल राजस्व में से १२५ करोड़ रुपया राज्यों को अनुदान तथा राजस्व के भाग के रूप में दिया जाना है । अर्थात् केन्द्र अपने राजस्व का एक चौथाई भाग राज्यों को कल्याणकार्यों तथा प्रशासन आदि के लिए दे देता है । इसके अतिरिक्त केन्द्र को केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों, प्रयोगशालाओं, संस्थाओं आदि आदि पर २·४३ करोड़ रुपये व्यय करने पड़ते हैं । इन प्रयोगशालाओं आदि का लाभ सारे देश को पहुंचता है । इसलिये यह कहना भ्रान्ति पूर्ण है कि केन्द्र कल्याणकार्यों के विकास के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं करता है ।

कहा गया है कि केन्द्र अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर काफी धन खर्च नहीं करता है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे तथा शेष सरकार को उन की समस्याओं के प्रति अधिक से अधिक सहानुभूति है । मेरी इस में विशेष दिलचस्पी है । मेरी समस्या इसे सामान्य ढंग से, जिस में कि इसे पेश किया गया है, निवारण करना है । श्री राजभोज ने बताया कि ग्रामों में हरिजन बस्तियों के लिए अच्छी जगहें होनी चाहिये । उसे बजट की व्यवस्था में लाना मेरे लिए कठिन दिखाई दे रहा है । यह प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की समस्या होनी चाहिये । परन्तु और भी एक समस्या है जिसका सम्बन्ध हम से है । यह शिक्षा तथा छात्रवृत्तियों की है । इस संबंध में हमारी कार्यवाही कुछ कम नहीं । भाग क तथा भाग ख राज्यों में शिक्षा पर २३५ लाख रुपये खर्च होता है जबकि भाग ग राज्यों में ३० लाख रुपये व्यय होता है । कुल मिला कर २६५ लाख रुपया व्यय होता है । इसके अलावा पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक करोड़ रुपया और रखा गया है । और भी ४० लाख रुपया छात्रवृत्तियों के लिए रखा गया है । यह ठीक है कि हरिजन छात्रों के लिए जो छात्रवृत्तियां रखी गई हैं, उनकी प्रतिशतता इस वर्ष कुछ कम हो गई है । परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि एक वर्ष के लिए यह राशि कुल ५ लाख रुपये थी, दूसरे वर्ष इसके लिए १७ लाख रुपये रखा गया था तथा अब यह ४० लाख रुपये है । मैं ने वचन दिया है कि मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा कि कोई हरिजन बालक जो कि छात्रवृत्ति का अधिकारी हो, इस से वंचित न रह जाये । मैं समझता हूं कि गत वर्ष सभी योग्य हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं ।

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग प्रत्येक बालक को छात्रवृत्ति मिल गई ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह और भी अच्छी बात है ।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने बताया कि पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक करोड़ रुपया रखा गया है तथा छात्रवृत्तियों के लिये ४० लाख रुपये का उपबन्ध रखा गया है । क्या मैं यह समझूंगा कि पिछड़ी हुई

जातियां छात्रवृत्तियों की परियोजना में शामिल न होंगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह एक भिन्न उद्देश्य के लिए है । इस ४० लाख रुपये में पिछड़ी हुई जातियां भी शामिल हैं, परन्तु यह कुछ विशेष बांट है ।

विकास कार्यों के अर्थ सन्धारण के सम्बन्ध में उपबन्धित साधनों की आलोचना की गई है । योजना में राज्यों द्वारा कुछ साधनों के उपबन्ध रखने की कल्पना की गई है । मैं ने बजट भाषण के दौरान में कहा है कि योजना के प्रथम दो वर्षों में कुछ राज्य उन साधनों को एकत्रित अथवा प्राप्त नहीं कर सके हैं जिनकी कि उन से आशा थी । कुछ राज्यों ने कोशिश की है तथा कुछ कर रहे हैं । कुछ राज्यों को अकाल, अभाव आदि का सामना करना पड़ा है। योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कुछ राज्यों ने धन प्राप्ति के नये साधनों को ढूंढने के बजाय अपने विनियोजनों के परिसमापन की ओर प्रवृत्ति प्रकट की । परन्तु सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं योजना के भविष्य के सम्बन्ध में निराशावादी नहीं हूं । तीन वर्ष अभी बाकी हैं तथा मुझे आशा है कि राज्य सरकारें उतना धन प्राप्त कर सकेंगी जितने की कि उन से आशा है ।

बाहर से हम ने जो धन उधार के रूप में लिया है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने, जिन में कि श्री टंडन भी शामिल हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा कर्जों पर लिए गए ब्याज की दरों के औचित्य के सम्बन्ध में कुछ सन्देह प्रकट किया । हम ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ५० करोड़ रुपये लिये हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल ९५ करोड़ रुपया लिया है । इसके अलावा हमें न केवल अमेरिका से अपितु कई अन्य देशों से भी सहायता मिली है । यह इस समय तक कुल ५० अथवा ६० करोड़ रुपये है । गेहूं के लिए हम ने जो ९५ करोड़ रुपया उधार लिया है, उस पर हमें ढाई प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है । इसके मुकाबले में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की ब्याज-दर हाल ही से बढ़ती चली जा रही है । हाल ही के वर्षों में उन्हें ३ ३/८ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देना पड़ा है, यह उस दर के समान ही है जोकि हमें यहां देनी पड़ती है । इस पर वह १ प्रतिशत अपना कमिशन लगाते हैं । श्रीमन्, आपको याद होगा कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सदस्य बनने के बारे में भारी गलत-फहमी थी । उस समय हमें आशंका थी अधिकांश ऋण यूरोप के उन देशों को दिये जायेंगे जोकि युद्ध-ध्वंसित हैं तथा यह सारा धन नष्ट होगा । यही कारण था कि उस समय क्यों कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था । मैं ने उस समय आश्वासन दिया था कि यह धन नष्ट न होगा तथा मुझे प्रसन्नता है कि मेरा पूर्वानुमान ठीक निकला है । वास्तव में कुछ कर्ज़ तो लौटा दिए गए हैं । हमें आशा है कि कुछ समय के बाद हम अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से आग्रह कर सकेंगे कि वह अपना कमिशन कुछ कम करे । यदि उनके पास काफी साधन एकत्रित हुए होंगे तो कोई कारण नहीं कि वह क्यों अधिक ब्याज ले के सदस्य देशों की प्रगति में बाधक बनें । इस समय मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दूंगा कि वह केवल हम से ही अधिक ब्याज आदि नहीं लेते हैं । यूगोस्लाविया को हाल ही में जो उधार दिया गया है वह ४ ७/८ प्रतिशत दर पर दिया गया है, इस में उनका एक प्रतिशत कमिशन भी शामिल है । यह ऋण उत्पादी कार्यों के लिये दिये जाते हैं तथा इन से हमें जो लाभ प्राप्त होगा उसको दृष्टि में रखते हुए ब्याज की दर अधिक नहीं दिखाई दे पड़ती है । कुछ भी हो, बाहर से हम ने जो

[श्री सी० डी० देशमुख]

उधार लिया है, उसका अधिकांश भाग हमें कम ब्याज पर मिला है ।

अमेरिका से जो गेहूं उधार के रूप में ली गई है, उसके बारे में मेरे मित्र श्री वी० पी० नायर ने बड़ी कटु आलोचना की । मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि इस शिकायत का कोई आधार नहीं कि इस गेहूं की कीमत निश्चित करने में हेरफेर से काम लिया गया है । अनाज का अधिकतर भाग भारतीय सम्भरण नियोजन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उधार निगम द्वारा खुले बाज़ार में खरीदा गया है, तथा बाज़ार भाव पर खरीदा गया । ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया कि गेहूं का ५० प्रतिशत भाग अमरीकी जहाज़ों द्वारा भारत लाया जायगा, उस समय नौ परिवहन की सुविधायें दुलर्भ थीं तथा जहाज़ उपलब्ध करने के लिए अमेरिका ने अपने कुछ जहाज़ों की मरम्मत की, तथा यह भारतीय सम्भरण नियोजन को माल ले जाने के लिए पेश किये गये । चालू दर पर भाड़ा चुकाया गया । सम्भवतः मैं ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि यह दर उस से बहुत ज्यादा नहीं है जो कि हम ने सोवियत रूस से प्राप्त गेहूं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विचार में रखी थी ।

सदन के अन्दर तथा बाहर पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए जन सहयोग की प्राप्ति के लिए जो कहा जा रहा है उसका अर्थ क्या है तथा किस तरह से यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि जहां तक प्रस्थापित धनराशि अर्थात् २०६९ करोड़ रुपये का सम्बन्ध है, पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए व्यय का एक कार्यक्रम है । इस धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं, रेलवे, औद्योगिक विकास कार्यों आदि आदि पर व्यय किया जायगा । यहां जनता के प्रत्यक्ष सहयोग के लिए अधिक विस्तृत क्षेत्र नहीं । यहां वह केवल इन कार्यों में दिलचस्पी ले सकते हैं तथा सुधार के लिए रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं । संसद के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह जनता को दामोदर घाटी परियोजना, भाकड़ा-नंगल, हिराकुड, चितरंजन तथा सिन्दरी का महत्व बता दें । योजना के और भी कई पहलू हैं जिन्हें जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिये, तथा उन्हें यह बताना चाहिये कि हमारे देश को जिसके पास कि इस समय बहुत ही सीमित साधन हैं, ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी है । इसका अर्थ यह भी होगा कि हमें कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी तथा कुछ को, चाहे वह कितनी ही उपयोगी सिद्ध क्यों न हों, कुछ समय के लिए रोके रखना होगा । जितना यह उन्हें समझाया जायगा उतना पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए अच्छा वातावरण तैयार होगा ।

जहां तक योजना में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का सम्बन्ध है, इस में कुछ उपबन्ध रखे गए हैं, यद्यपि वह उतने नहीं जितने कि वह होने चाहिये थे । जनता सामुदायिक परियोजनाओं में, जोकि लगभग प्रत्येक राज्य में शुरू की गई हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकती है ।

श्री सारंगधर दास : परन्तु क्या वह आगे आती हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, श्रीमन् । मेरे पास एक प्रेस नोट है जिस में कि सार्वजनिक सहयोग का सही वृत्तान्त दिया गया है ।

श्रीमन् आपको मालूम है कि सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन २ अक्तूबर १९५२ को हुआ था, तथा उस दिन से ५५ परियोजना क्षेत्रों के ८१ विकास केन्द्रों में काम शुरू हुआ है। इन परियोजनाओं के कार्यक्रम में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वच्छता, संचरण, सामाजिक शिक्षा, ग्राम हस्तकला आदि से सम्बन्धित कार्य शामिल हैं। इस काल में बीसियों मील ग्राम सड़कें तैयार की गई हैं, दर्जनों सहकारी समितियां तथा पंचायतें स्थापित की गई हैं, तथा कृषि विकास सेवा ने उन क्षेत्रों में जड़ पकड़ी है। कई स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं तथा पशुओं के संरक्षण के लिए पशु-चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। खाद के लिए हज़ारों गढ़े खोदे गए हैं तथा कई कृषि प्रदर्शनी केन्द्र खोले गए हैं। यह सारे काम जनता के अधिकतम सहयोग से किये गये हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि जनता का सहयोग आशातीत रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह हो, वहां जा कर स्थिति देख सकता है। ज्योंही इन परियोजनाओं की संख्या बढ़ती जायेगी, जन सहयोग का क्षेत्र भी बढ़ता चला जायगा। और भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस योजना में स्थानीय कार्य के लिए उपबन्ध रक्खा गया है तथा इस बजट में हम ने इस उद्देश्य के लिए तीन करोड़ रुपये रखे हैं। कुल इसके लिए १५ करोड़ रुपये व्यय होंगे। शर्त यह है कि यदि किसी बस्ती में कोई जन समुदाय ग्राम सड़कों, भवनों तथा जल व्यवस्था आदि के लिए कोई स्कीम तैयार करेगा तो वह इस बांट में से सहायता मांग सकता है। इस बारे में प्रक्रिया तैयार की जायगी तथा इसे शीघ्र ही घोषित किया जायगा। इनके बारे में यह भी एक शर्त होगी कि जनता उन कार्यों के लिए आप भी कुछ चन्दा इकट्ठा करेगी तथा श्रमदान देगी। इस कायक्रम की पृष्ठ पर विचार यह है कि जनता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन में नई जान लाने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रेरणा प्रद बात होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त योजना की सफ़लता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता बचत के सम्बन्ध में अपना पूर्ण सहयोग दे। सरकार से बहुत कुछ करने के लिए कहा जा रहा है तथा अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अल्प बचत के आन्दोलन को पिछले कुछेक वर्षों से काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। परन्तु इसको और भी तेज़ करना अच्छा है। इस बचत से ही हमें मालूम हो सकेगा कि जनता योजना में कितनी दिलचस्पी ले रही है तथा कितना सहयोग दे रही है। हाल ही में कुछ महिला संस्थाओं ने इस संबंध में काम करना शुरू किया है किन्तु उन्होंने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। यदि और संस्थाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू करेंगे तो योजना को क्रियान्वित करने का काम और भी आसान हो जायगा।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान योजना आयोग की रिपोर्ट की कुछ कंडिकाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इनका सम्बन्ध सामाजिक सेवाओं के लिये रखे गये उपबन्ध से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं कि अधिकारियों द्वारा इस काम के लिए जो कुछ धन प्राप्त किया जायगा वह आयोजन के प्रारम्भिक प्रक्रमों तक ही सीमित होगा। योजना आयोग ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया जाये। इसलिए अपेक्षित अनुभव तथा ज्ञान वाले व्यक्तियों को चाहिये कि वह उन बस्तियों में उपभोक्ता समितियां संघटित करें जहां कि वह रहते हैं। इस तरह से स्थानीय परिस्थितियों के प्रकाश में

[श्री सी० डी० देशमुख]

जन सहयोग संघटित किया जा सकता है तथा करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कितनी देर और बोल सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमन्, मैं आधा घंटा और बोल सकता हूं । (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर इस पर कल चर्चा जारी रहेगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार १२ मार्च १९५३ के दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।